ENFOLD PROACTIVE HEALTH TRUST

DEMYSTIFYING SEXUALITY HINDI HANDBOOK

–

FOR STUDENTS, TEACHERS AND PRACTITIONERS OF SOCIAL WORK



For use in conjunction with Demystifying Sexuality Reference Book
Looking at sexuality with a Rights-based, Restorative and Gender Transformative Lens

enfold

Demystifying Sexuality Handbook
– for students, teachers and practitioners of Social Work
डीमिस्टिफ़ाइंग सेक्शुअलिटी हैंडबुक
– सामाजिक कार्य (सोशल वर्क) के छात्रों, शिक्षकों और कार्यकर्ताओं के लिए एक पुस्तिका

For use in conjunction with

Demystifying Sexuality Reference Book
– Looking at sexuality from a
Rights-based, Restorative and Gender Transformative Lens
डीमिस्टिफ़ाइंग सेक्शुअलिटी रेफ़रेन्स बुक

– लैंगिकता पर अधिकार-आधारित, पुनर्स्थापनात्मक और जेंडर-परिवर्तनकारी दृष्टिकोण

के साथ प्रयोग हेतु

Enfold Proactive Health Trust

एन्फ़ोल्ड प्रोऐक्टिव हेल्थ ट्रस्ट

Published - August 2025 by Enfold Proactive Health Trust

The copyright and other intellectual property rights in respect of this Handbook belong exclusively to Enfold Proactive Health Trust ("Enfold"). Enfold license(s) this reference book under the terms of Creative Common License (CC BY-NC-ND 4.0), the details of which are found at https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.
Any use or reproduction of this reference book contrary to or in violation of the terms of the aforesaid creative commons license will be illegal and Enfold reserves the right to take suitable action in respect thereof. Enfold also reserves the right to modify, terminate or revoke the license granted as aforesaid or otherwise exercise any and all rights in respect of its intellectual property without further notice and the same shall be binding on the licensee or user or reader thereof.

Enfold Proactive Health Trust
No. 22, 3rd Main Road, Ashwini Layout, Ejipura,
Inner Ring Road, Koramangala,
Bengaluru, 560047, India
T: +91 99000 94251
www.enfoldindia.org

प्रकाशन – अगस्त 2025 में एन्फ़ोल्ड प्रोऐक्टिव हेल्थ ट्रस्ट द्वारा

इस हैंडबुक के संबंध में कॉपीराइट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार पूरी तरह से एन्फ़ोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट ("एन्फ़ोल्ड") के पास हैं। एन्फ़ोल्ड इस संदर्भ पुस्तक को क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस (CC BY-NC-ND 4.0) की शर्तों के तहत लाइसेंस देता है, जिसके विवरण https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ पर पाए जा सकते हैं। इस संदर्भ में पुस्तक का कोई भी उपयोग या पुनरुत्पादन जो उपरोक्त क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस की शर्तों के खिलाफ या उल्लंघन में हो, अवैध होगा और एन्फ़ोल्ड इसके संबंध में उचित कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। एन्फ़ोल्ड यह भी अधिकार रखता है कि वह उपरोक्त दिए गए लाइसेंस को संशोधित, समाप्त या रद्द कर सकता है या अपनी बौद्धिक संपदा के संबंध में कोई भी और सभी अधिकारों का उपयोग बिना किसी और नोटिस के कर सकता है, और यह लाइसेंसधारी या उपयोगकर्ता या पाठक पर बाध्यकारी होगा।

एन्फ़ोल्ड प्रोऐक्टिव हेल्थ ट्रस्ट,
नंबर 42, तीसरा मुख्य मार्ग,
पहला क्रॉस, डोम्लुर दूसरा चरण,
बेंगलुरु- 560071, भारत

फोन: +91 99000 94251,
वेबसाइट: www.enfoldindia.org

Demystifying Sexuality Handbook
– for students, teachers and practitioners of Social Work

Contents

Acknowledgement **8**

Introduction **13**

Chapter 1: Diversity in Sex **16**

- evolution, diversity and common origins of sexual and reproductive systems **16**

Chapter 2. Structure and Function of Sexual and Reproductive Systems **18**

Case 1: Lakshmi and Meena 18

Activity 1 19

Suggested Questions for Reflection and Discussion 19

Activity 2: 19

Chapter 3: Diversity in Sex, Gender and Sexuality **22**

Case 1: ‘A’ 22

Activity 22

Suggested Questions for Reflection and Discussion: 22

Case 2: Anita 23

Activity 24

Suggested Questions for Reflection and Discussion: 24

Activity 2: 24

Case 3: Tarik 25

2. Activity 26

Suggested Questions for Reflection and Discussion: 26

Activity 2: 26

Chapter 4. Development of Gender Identity and Sexual Orientation **28**

Case 1: Jagdeesh 28

Activity 1 29

Suggested Questions for Reflection and Discussion: 29

Case 2 : Bantei 18

Activity 1 18

Suggested Questions for Reflection and Discussion 18
Activity 2: 18
Chapter 5: Gender Bias **19**
Case 1: Keerthi 19
Activity 19
Case 2: Raja 20
Activity 1 20
Suggested Questions for Reflection and Discussion 20
Activity 2 20
Plan a workshop or program to address domestic violence by parents against their children. 20
Activity 3: 20
Activity 4: 20
Chapter 6: Body image and Self-esteem - their influence on sexuality and well-being **21**
Case 1: Iba and Rumi 21
Activity 1 22
Suggested Questions for Reflection and Discussion 22
Activity 2: 22
Chapter 7. Attitude towards Sexual Health and issues with Reproductive Health 23
Case 1: Anjali, Arun and Ashwini 23
2. Activity 23
2.1.Suggested Questions for Reflection and Discussion 23
Activity 2: 23
Activity 3: 24
Activity 4: 24
Activity 4: 24
Case 2: Aarthi 24
Activity 24
Questions for Reflection 24
Chapter 8. Sexual Development in Children and Adolescence **25**
Case 1: Johnny 25
Activity 1 26
Suggested Questions for Reflection and Discussion 26
Activity 2 26
Activity 3: 26
Activity 4: 26
Case 2: Sajida and Salima 27
Activity 1 27
Suggested Questions for Reflection and Discussion 27

Chapter 9: Attitude towards Sexuality **28**
Case 1: Ibrahim (i) 28
Activity 1 28
Suggested Questions for Reflection and Discussion: 28
Activity 2 29
Activity 2: 29
Case 2: Ibrahim (ii) 29
Activity 1 29
2.1: Suggested Questions for Reflection and Discussion 29
Activity 1 30
Suggested Question for Reflection and Discussion 30
Case 4: Adhila and Aaditi 30
Activity 1 30
Suggested Questions for Reflection and Discussion: 30
Activity 2 31
Case 5: Shweta 31
Activity 1 31
Suggested Questions for Reflection and Discussion 31
Activity 2 32
Activity 3 32
Activity 4 32
Case 6: Piya 32
Activity 1 32
Suggested Questions for Reflection and Discussion 32
Activity 3: 33
Chapter 10: Sexuality and Disability **34**
Case 1: Susheela 34
Activity 1 34
Suggested Questions for Reflection and Discussion 34
Activity 2 34
Chapter 11: Sexual Relationships **35**
Case 1: Kongdeng and Bahduh 35
Activity 1 35
Suggested Questions for Reflection and Discussion 35
Activity 2: 35
Case 2: Sunil 36
Activity 1 36
Suggested Questions for Reflection and Discussion 36

Case 4: Aamina and Aadil 36
Activity 1 37
Suggested Questions for Reflection and Discussion: 37

Chapter 12: Sexual Preferences and Practices **38**
Case 1: Hisha 38
Activity 1 38
Suggested Questions for Reflection. 38
Case 2: Manjeet and Heer 38
Activity 1 38
Suggested Questions for Reflection and Discussion 38

Chapter 13: Pedophilia **39**
Case 1: 'X' 39
Activity 1 39
Suggested Questions for Reflection and Discussion 39
Chapter 14. Intersectionality 39

Chapter 15. Sexual Violence against Adults **40**
Case 1: Vocabulary about sex and sexuality 40
Activity 1 41
Suggested Questions for Reflection and Discussion 41
Activity 2: 41
Case1: Rita and Jai (1) 41
Activity 1 42
Suggested Questions for Reflection and Discussion: 42
Case 3: Rita and Jai (2) 42
Activity 1 42
Suggested Questions for Reflection and Discussion: 42

Chapter 16: Sexual violence against Children **43**
Case 1: Mona and Rati 43
Activity 1 44
Suggested Questions for Reflection and Discussion 44
Case 2: Thei 44
Activity 1 45
Suggested Questions for Reflection and Discussion 45
Activity 2: 45
Activity 3 45
Activity 4: 46
Case 3: 'B' 46
Activity 1 46

Suggested Questions for Reflection and Discussion: 46
Case 4: Findings of an Empirical Study on Rape 47
Activity 1 47
Suggested Questions for Reflection and Discussion: 47
Case 5: ‘P’ 47
Activity 1 47
Suggested Questions for Reflection and Discussion 47
Case 6: Shembor and Jargit 47
Activity 1 48
Suggested Questions for Reflection and Discussion 48
Activity 2: 48
Case 7: Nancy 48
Activity 1 48
Activity Suggested Questions for Reflection and Discussion 48
Activity 2: 49
Chapter 17: Restorative Practices **49**
Sample Restorative Circle 1: Body Image and Reproductive Health 49
Sample Restorative Circle 2: Gender 51

अनुक्रमणिका

आभार – 8

परिचय – 13

अध्याय 1: लिंग में विविधता - 16

अध्याय 2: यौन और प्रजनन प्रणालियों की संरचना और कार्य -
18

प्रकरण 1: लक्ष्मी और मीना – 18

गतिविधि 1 – 19

सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल
– 19

गतिविधि 2 – 19

अध्याय 3: लिंग, लिंग पहचान और यौनिकता में विविधता
- 22

प्रकरण 1: 'A' – 22

गतिविधि – 22

सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल
– 22

प्रकरण 2: अनीता – 23

गतिविधि – 24

सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल
– 24

गतिविधि 2 – 24

प्रकरण 3: तारिक – 25

गतिविधि 2 – 26

सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल
– 26

गतिविधि 2 – 26

अध्याय 4: लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास का विकास - 28

प्रकरण 1: जगदीश – 28

गतिविधि 1 – 29

सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल – 29

प्रकरण 2: बानतेई – 18

गतिविधि 1 – 18

सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल – 18

गतिविधि 2 – 18

अध्याय 5: लिंग पूर्वाग्रह (जेंडर बायस) - 19

प्रकरण 1: कीर्ति – 19

गतिविधि – 19

प्रकरण 2: राजा – 20

गतिविधि 1 – 20

सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल – 20

गतिविधि 2 – 20

बच्चों के खिलाफ़ माता-पिता द्वारा की गई घरेलू हिंसा से निपटने के लिए कार्यशाला या कार्यक्रम की योजना बनाएँ – 20

गतिविधि 3 – 20

गतिविधि 4 – 20

अध्याय 6: आत्म-सम्मान और शारीरिक छवि - 21

प्रकरण 1: इबा और रूमी – 21
गतिविधि 1 – 22
सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल – 22
गतिविधि 2 – 22

अध्याय 7: यौन स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण और प्रजनन स्वस्थ्य से जुड़े मुद्दे - 23

प्रकरण 1: अंजलि, अरुण और अश्विनी – 23
गतिविधि 2 – 23
2.1. सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल – 23
गतिविधि 2 – 23
गतिविधि 3 – 24
गतिविधि 4 – 24
प्रकरण 2: आरती – 24
गतिविधि – 24
सोच-विचार के लिए सवाल – 24

अध्याय 8: बच्चों और किशोरों में यौन विकास - 25

प्रकरण 1: जॉनी – 25
गतिविधि 1 – 26
सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल – 26
गतिविधि 2 – 26
गतिविधि 3 – 26
गतिविधि 4 – 26
प्रकरण 2: साजिदा और सलीम – 27
गतिविधि 1 – 27
सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल – 27

अध्याय 9: यौनिकता के प्रति दृष्टिकोण - 28

प्रकरण 1: इब्राहिम (i) – 28

गतिविधि 1 – 28

सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल – 28

गतिविधि 2 – 29

प्रकरण 2: इब्राहिम (ii) – 29

गतिविधि 1 – 29

2.1. सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल – 29

गतिविधि 1 – 30

सोच-विचार और चर्चा के लिए सवाल – 30

प्रकरण 4: आदिला और आदिति – 30

गतिविधि 1 – 30

सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल – 30

गतिविधि 2 – 31

प्रकरण 5: श्वेता – 31

गतिविधि 1 – 31

सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल – 31

गतिविधि 2 – 32

गतिविधि 3 – 32

गतिविधि 4 – 32

प्रकरण 6: पिया – 32

गतिविधि 1 – 32

सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल – 32

गतिविधि 3 – 33

अध्याय 10: लैंगिकता और विकलांगता - 34

प्रकरण 1: सुशीला – 34
गतिविधि – 34
सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल – 34
गतिविधि 2 – 34

अध्याय 11: यौन संबंध - 35

प्रकरण 1: कोंगदेंग और बाहदुह – 35
गतिविधि 1 – 35
सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल – 35
गतिविधि 2 – 35
प्रकरण 2: सुनील – 36
गतिविधि 1 – 36
सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल – 36
प्रकरण 4: आमिना और आदिल – 36
गतिविधि 1 – 37
सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल – 37

अध्याय 12: यौन प्राथमिकताएं और व्यवहार - 38

प्रकरण 1: हिशा – 38
गतिविधि 1 – 38
सोच-विचार के लिए सवाल – 38
प्रकरण 2: मंजीत और हीर – 38
गतिविधि 1 – 38
सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल – 38

अध्याय 13: पीडोफ़ीलिया - 39

प्रकरण 1: 'X' – 39
गतिविधि 1 – 39
सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल – 39
अध्याय 14: अंतःसंबंधिता (इंटरसेक्शनैलिटी) - 39
अध्याय 15: वयस्कों के विरुद्ध यौन हिंसा - 40
प्रकरण 1: सेक्स और यौनिकता से जुड़ी शब्दावली – 40
गतिविधि 1 – 41
सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल – 41
गतिविधि 2 – 41
प्रकरण 1: रीता और जय (1) – 41
गतिविधि 1 – 42
सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल – 42
प्रकरण 3: रीता और जय (2) – 42
गतिविधि 1 – 42
सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल – 42
अध्याय 16: बच्चों के विरुद्ध यौन हिंसा - 43
प्रकरण 1: मोना और रति – 43
गतिविधि 1 – 44
सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल – 44
प्रकरण 2: थेई – 44
गतिविधि 1 – 45
सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल – 45

गतिविधि 2 – 45
गतिविधि 3 – 45
गतिविधि 4 – 46
प्रकरण 3: 'B' – 46
गतिविधि 1 – 46
सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल
– 46
प्रकरण 4: बलात्कार पर एक अनुभवजन्य अध्ययन के निष्कर्ष – 47
गतिविधि 1 – 47
सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल
– 47
प्रकरण 5: 'P' – 47
गतिविधि 1 – 47
सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल
– 47
प्रकरण 6: शेम्बोर और जरगित – 47
गतिविधि 1 – 48
सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल
– 48
गतिविधि 2 – 48
प्रकरण 7: नैंसी – 48
गतिविधि 1 – 48
सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल
– 48
गतिविधि 2 – 49

अध्याय 17: पुनर्स्थापनात्मक प्रक्रियाएं - 49

पुनर्स्थापनात्मक वृत्त नमूना 1: शारीरिक छवि और प्रजनन स्वास्थ्य – 49
पुनर्स्थापनात्मक वृत्त नमूना 2: जेंडर – 51

Acknowledgements

आभार

Many of the case studies in this Handbook draw from the lived experiences of people's lives. Enfold acknowledges and honors all children, young people, families and individuals who chose to overcome their inhibitions, reposed their faith and trust in social workers, and reached out for support to resolve challenges they were facing in the area of sexuality or sexual violence, despite personal, familial and social barriers. We applaud them for breaking the silence and thank them for sharing their struggles, hopes and successes in this area of their lives. We sincerely hope that this Handbook serves as a resource to empower more individuals to find answers they may have been seeking, and also the courage to seek support in ways that help them heal and grow through their journeys.

इस पुस्तिका में शामिल बहुत से प्रकरण कई लोगों के जीवन और अनुभवों पर आधारित हैं। एन्फ़ोल्ड उन सभी बच्चों, युवाओं, परिवारों और व्यक्तियों का आदर करता है, जिन्होंने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक बाधाओं के बावजूद, अपने डर और झिझक को पीछे छोड़ते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं पर भरोसा किया और यौनता या यौन हिंसा से जुड़ी परेशानियों के लिए मदद मांगी। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, और इन मुद्दों पर चुप्पी तोड़ने और मदद लेने के लिए उनकी हिम्मत की सराहना करते हैं। उन्होंने इन मुद्दों से जुड़े अपने संघर्ष, उम्मीदों और सफलता की कहानियाँ को हमारे साथ बाँटा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि ये पुस्तिका और भी लोगों की उनके सवालों के जवाब ढूँढने में मदद करेगी और उन्हें बेझिझक इन मुद्दों से जुडी चुनौतियों के लिए सहायता लेने की हिम्मत देगी, ताकि वे उनसे उबर सकें और आगे बढ़ सकें।

Enfold is deeply grateful to all the social work professionals who contributed to the drafting of this Handbook. We thank first and foremost the following faculty from Martin Luther Christian University, Shillong, Meghalaya for conceptualizing the content and flow of this handbook - **Dr. Ardonister Lyngdoh** (Assistant Professor, School of Social Work and Associate Dean Academics); Mr. **Arwan Lyngdoh** (Assistant Professor, Department of Allied Health Sciences); **Dr. Lavinia Mawlong** (Assistant Professor, Centre for Gender Equity and Diversity Education and Research and Assistant Dean, Academics); **Dr. Marbabiang Syiemlieh** (Assistant Professor and Associate Dean, School of Social Work); Ms. **Naphibanmer Wankhar** (Assistant Professor, Department of Allied Health Sciences); an**d Dr. R. Jennifer War** (Associate Professor, Centre for GENDER and Dean, Academics).

एन्फ़ोल्ड इस पुस्तिका को तैयार करने में मदद करने वाले सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं (सोशल वर्क प्रोफ़ेशनल्स) का आभार व्यक्त करता है।

हम सबसे पहले इस पुस्तिका के विषयवस्तु और क्रम की संकल्पना में अहम भूमिका निभाने वाले मार्टिन लूथर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, शिलांग, मेघालय के निम्नलिखित संकाय (फ़ैकल्टी) सदस्यों का धन्यवाद करते हैं:

- डॉ. अर्डोनिस्टर लिंगदोह (असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ़ सोशल वर्क और एसोसिएट डीन, अकैडमिक्स)
- श्री आरवान लिंगदोह (असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ़ एलाइड हेल्थ साइंसेज़)
- डॉ. लाविनिया मावलॉन्ग (असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंटर फ़ॉर जेंडर इक्विटी एंड डाइवर्सिटी एजुकेशन एंड रिसर्च और असिस्टेंट डीन, अकैडमिक्स)
- डॉ. मारबाबियांग सिएमलिएह (असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट डीन, स्कूल ऑफ़ सोशल वर्क)
- सुश्री नाफीबनमर वानखर (असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ़ एलाइड हेल्थ साइंसेज़)
- और डॉ. आर. जेनिफ़र वार (एसोसिएट प्रोफेसर, सेंटर फ़ॉर जेंडर और डीन, अकैडमिक्स)

आप सभी के योगदान के बिना ये पुस्तिका तैयार करना मुमकिन नहीं था — आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

Special thanks to Enfold team members and consultants (in alphabetical order) **Arlene Manoharan and Neeraja Sajan** for their extensive contribution in refining the structure and content of this book by contributing case studies, reflective questions, suggested activities and discussion points and for also pointing to linkages with the systems, policies, and laws that are currently available.

एन्फ़ोल्ड की टीम के सदस्य और सलाहकार, आर्लीन मनोहरन और नीरजा सजन (नाम अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम में), को इस पुस्तिका के विषयवस्तु और ढांचे को बेहतर बनाने में योगदान के लिए खास धन्यवाद। इन्होंने प्रकरण, सोच-विचार वाले सवालों, सुझावित गतिविधियों, और चर्चा के विषयों को इकट्ठा करने में मदद की, साथ ही इस विषय के संबंध में मौजूदा प्रणालियों, नीतियों और कानूनों के पहलुओं को भी उजागर किया।

Arlene Manoharan has a Masters degree in Social Work with specialization in Family and Child Welfare from Tata Institute of Social Sciences, (TISS). She has over thirty years of experience in the field of professional social work. She authored case studies on cases on women survivors of domestic violence as a contribution to a TISS publication - 'Shades of Courage -Women and Section 498 A (IPC)', (1997) while at Special Cell for Women in Distress, Police Commissioner's Office, Mumbai (a Field Action Project of TISS). She initially worked with children in street situations in various civil society organizations over 9 years. She then worked at the Centre for Child and the Law, (CCL)-a research centre of the National Law School of India University (NLSIU) for 19 years.

आर्लीन मनोहरन ने टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज़ (टी.आई. इस. इस.) से बाल और परिवार कल्याण (चिल्ड्रन और फैमिली वेलफ़ेयर) में विशेषज्ञता के साथ सामाजिक कार्य (सोशल वर्क) में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की है। इनके पास सामजिक कार्य (सोशल वर्क) के क्षेत्र में 30 से ज़्यादा सालों का अनुभव है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफ़िस के स्पेशल सेल फ़ॉर वीमेन इन डिस्ट्रेस (टी.आई. इस. इस. का एक फ़ील्ड प्रोजेक्ट) में काम करते दौरान इन्होंने टी.आई. इस. इस. द्वारा प्रकाशित 'शेड्स ऑफ़ करेज - वीमेन एंड सैक्शन 498A (आई. पी. सी.)' (1997) के लिए घरेलू हिंसा से जूझ रहीं महिलाओं पर प्रकरण लिखें हैं। अपने करियर की शुरुआत में इन्होंने करीब 9 साल तक सड़कों पर रहने वाले बच्चों के साथ अलग-अलग सिविल सोसाइटी संगठनों में काम किया। इसके बाद उन्होंने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी (एन.एल.इस.आई.यू) के रिसर्च सेंटर, सेंटर फ़ॉर चाइल्ड एंड द लॉ (सी.सी.एल.) में 19 साल तक काम किया।

At CCL-NLSIU, as Research Fellow, she headed the Juvenile Justice Program and also led the Centre as Centre Coordinator for 2 years. She engaged in action- research, working at the grassroots within gov**ernment run child care institutions while also undertaking research, training, teaching and advocacy to inform the formulation and reform of policy and laws relating to children as well as**

their effective implementation, at both local and national level.

सी.सी.एल.-एन.एल.इस.आई.यू में आर्लीन मनोहरन ने रिसर्च फेलो के रूप में जुवेनाइल जस्टिस प्रोग्राम की अगुवाई की और करीब 2 साल तक सेंटर कोऑर्डिनेटर के तौर पर सेंटर का नेतृत्व भी किया। इस दौरान इन्होंने सरकारी बालक देखरेख संस्थानों (चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन) में ज़मीनी स्तर पर काम करते हुए एक्शन रिसर्च की। साथ ही, उन्होंने स्थानीय और राष्ट्रीय स्तरों पर बच्चों से जुड़ी नीतियों और कानूनों को बेहतर बनाने और उन्हें ठीक से लागू करवाने के लिए रिसर्च, ट्रेनिंग, पढ़ाने और एडवोकेसी जैसे कई काम किए।

She is a national level trainer at various academic and training institutes and was a member of various statutory and other committees. She has conducted training for Child Welfare Committees, Juvenile Justice Boards, State Commissions for Protection of Child Rights (SCPCRs), government functionaries, NGOs and Law Teachers at State and National level; and also developed curriculum, authored self-instruction material and taught modules of NLSIU's PG Diploma on Child Rights Law. She has also published extensively. She currently works as an independent child protection specialist; consulting part-time as the Head of the Restorative Practices team at Enfold.

आर्लीन मनोहरन एक राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनर हैं और इन्होंने कई शैक्षणिक और ट्रेनिंग संस्थानों में ट्रेनिंग दी है। वे कई कानूनी समितियों और सलाहकार समूहों की सदस्य भी रह चुकी हैं। इन्होंने बाल कल्याण समितियों (चाइल्ड वेलफ़ेयर कमिटि), किशोर न्याय (जुवेनाइल जस्टिस) बोर्ड्स, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों (इस.सी.पी.सी.आर.), सरकारी अधिकारियों, गैर-सरकारी संस्थाओं, और राज्य व राष्ट्रीय स्तर के कानून के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा, इन्होंने एन.एल.इस.आई.यू के चाइल्ड राइट्स लॉ के पी.जी. डिप्लोमा के लिए पाठ्यक्रम और सेल्फ-इंस्ट्रक्शन मटेरियल तैयार किया, और कुछ मॉड्यूल भी पढ़ाए। वे इन विषयों पर कई लेख और रिपोर्ट्स भी प्रकाशित कर चुकी हैं। इस समय वे स्वतन्त्र रूप से एक बाल संरक्षण विशेषज्ञ के तौर पर काम कर रही हैं, और एन्फ़ोल्ड में रेस्टोरेटिव प्रक्टिसेस टीम की प्रमुख के रूप में पार्ट-टाइम सलाहकार हैं।

Neeraja Sajan, PhD scholar, TISS Mumbai is a sociologist and intersex studies scholar who has been working for and researching various aspects of the rights of and issues faced by intersex persons in India since 2014. In 2021, she was awarded a Fulbright-Nehru Doctoral Research Fellowship to pursue part of her doctoral research in the US. Her research focuses on intersection of medicine, healthcare and intersex persons rights. Her work and allyship to the intersex community was formally recognised when co-founders of Intersex Human Rights India (IHRI), a support platform and group for intersex persons invited her to be a member.

नीरजा सजन, टी.आई.इस.इस. मुंबई की पी.एच.डी. स्कॉलर हैं, और समाजशास्त्र और इंटरसेक्स स्टडीज़ की रिसर्चर हैं। वे 2014 से भारत में इंटरसेक्स लोगों के अधिकारों और उनकी समस्याओं से जुड़े पहलुओं पर काम और रिसर्च कर रही हैं। 2021 में इन्हें अपनी डॉक्टरेट रिसर्च के एक भाग को अमेरिका में पूरा करने की लिए फुलब्राइट-नेहरू डॉक्टोरल रिसर्च फ़ेलोशिप मिली। इनकी रिसर्च चैकित्सिक प्रणालियों, स्वास्थ्य सेवाओं, और इंटरसेक्स लोगों के अधिकारों के अन्तर्सम्बन्ध पर केंद्रित है। इंटरसेक्स समुदाय के साथ इनके काम और इनके सहयोग को मान्यता देते हुए इंटरसेक्स लोगों के सपोर्ट ग्रुप और प्लेटफ़ॉर्म, इंटरसेक्स ह्यूमन राइट्स इंडिया (आई.एच.आर.आई.), के सह-संस्थापकों ने इन्हें अपना सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया।

Her work led to her being a panelist at the first national seminar on the rights of intersex people in India organised by NIMHANS, Bengaluru and Solidarity Foundation, Bengaluru (an NGO) in 2017 and the first national LGBTI Health Symposium organised by PGIMER, Chandigarh. Among her work are the guidelines on the rights of intersex persons for law, policy, healthcare and media professionals and general public which she co-authored in collaboration with Solidarity Foundation in 2019.

नीरजा सजन के काम की वजह से इन्हें 2017 में भारत में इंटरसेक्स लोगों के अधिकारों पर हुए पहले राष्ट्रीय सेमिनार में पैनलिस्ट के तौर पर बुलाया गया। यह सेमिनार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस), बेंगलुरु और सॉलिडैरिटी फ़ॉउंडेशन, बेंगलुरु (एक गैर-सरकारी संस्थान) ने मिलकर आयोजित किया था। इन्हें पी.जी.आई.एम.ई.आर., चंडीगढ़ द्वारा आयोजित पहले राष्ट्रीय एल.जी.बी.टी.आई (LGBTI) हेल्थ सिम्पोज़ियम में भी पैनल के लिए आमंत्रित किया गया। इन्होंने 2019 में सॉलिडैरिटी फ़ॉउंडेशन के साथ मिलकर सह-लेखक के रूप में इंटरसेक्स लोगों के अधिकारों पर गाइडलाइन्स तैयार की। ये गाइडलाइन्स कानून, नीति, स्वास्थ्य सेवाओं, मीडिया प्रोफ़ेशनल्स और आम जनता के लिए तैयार की गई हैं।

She also has reviewed Guidelines on the Rights of Intersex Children authored by Centre for Child and Law, National Law School of India University & Solidarity Foundation in 2019. She brought her experience and perspectives gained through her work to make this handbook a practical guide for professional social workers and students of social work in their work as to how to incorporate intersectionality, positionalities, inclusiveness and understanding in often overlooked aspects of sexuality and diverse identities.

नीरजा सजन ने 2019 में सेंटर फ़ॉर चाइल्ड एंड लॉ, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी और सॉलिडैरिटी फ़ॉउंडेशन द्वारा तैयार की गई इंटरसेक्स बच्चों के अधिकारों पर गाइडलाइन्स की समीक्षा भी की है। उन्होंने अपने काम के दौरान मिले अनुभव और नज़रियों के आधार पर इस पुस्तिका को सामाजिक कार्य (सोशल वर्क) के छात्रों और कार्यकर्ताओं के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका बनाने में मदद की है, जिससे वे यह जान सकें कि काम के दौरान कैसे यौनिकता और विविध पहचानों से जुड़े अनदेखे पहलुओं में इंटरसेक्शनालिटी (अंतःसंबंधिता), पोज़िशनालिटी (किस सामाजिक जगह से कोई आ रहा है), समावेशिता और समझ को शामिल किया जाए।

We express our deep gratitude to Prof. Dr. **Murli Desai,** former Professor at Tata Institute of Social Sciences , for her invaluable guidance that helped shape the book.

We thank Enfold Team members - Kushi Kushalappa - Head, Support and Rehabilitation Team; Swagata Raha - Head - Research team and Co-Head - Restorative Practices Team; and Dr Sangeeta Saksena - Co-founder, Enfold for bringing in nuances in the practical application discussed in this Handbook, especially in the context of child sexual abuse, laws and rights, gender equity and sexuality.

हम प्रोफेसर डॉ. मुर्ली देसाई, पूर्व प्रोफेसर टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज, को इस पुस्तिका को आकार देने में उनकी मदद के लिए अत्यंत आभार व्यक्त करते हैं।

हम एन्फ़ोल्ड टीम के इन सदस्यों का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस पुस्तिका में चर्चित व्यवहारिक पहलुओं की बारीकियों को उजागर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर बाल लैंगिक शोषण, कानून और अधिकार, लैंगिक समानता और यौनिकता के संदर्भ में

—

खुशी कुशलप्पा (हेड, सपोर्ट और रिहैबिलिटेशन टीम),
स्वागता राहा (हेड, रिसर्च टीम और को-हेड, रेस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस टीम),
और डॉ. संगीता सक्सेना (को-फाउंडर, एन्फ़ोल्ड)

This Handbook is part of a project aimed at preventing gender-based violence by developing and implementing a formal curriculum for teachers and students of undergraduate and graduate studies from nursing, social work, psychology, education, special education and allied disciplines. As envisaged in the project, this curriculum is based on gender equity, personal safety and sexuality education and has been developed using rights-based, restorative and gender transformative approaches. We gratefully thank the Ford Foundation for supporting this project.

यह हैंडबुक लैंगिक आधार पर होने वाली हिंसा को रोकने के एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नर्सिंग, सामाजिक कार्य (सोशल वर्क), मनोविज्ञान, शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, और संबद्धित विषयों के अंडरग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्तर के शिक्षकों और छात्रों के लिए एक औपचारिक पाठ्यक्रम तैयार करना और लागू करना शामिल है। जैसा कि इस प्रोजेक्ट में परिकल्पना की गई है, यह पाठ्यक्रम लैंगिक समानता, व्यक्तिगत सुरक्षा और यौन शिक्षा पर आधारित है और इसे अधिकार-आधारित, पुनर्स्थापनात्मक, और लैंगिक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है।

हम इस प्रोजेक्ट की सहायता करने के लिए फ़ोर्ड फ़ॉउंडेशन का धन्यवाद करते हैं।

Introduction

This Handbook on Demystifying Sexuality and Social Work is meant for use by both practising professionals and students of social work, in conjunction with the Demystifying Sexuality Reference Book (henceforth referred to as the Book), published by Enfold Proactive Health Trust in June 2021. The book focuses on topics that are often overlooked in conventional education. However, the knowledge and understanding of these topics, especially for social workers, cannot be emphasised enough. This is given the considerable lack of comprehensive human sexuality training in Social Work Education in India and its importance in understanding and supporting all people, especially those from marginalized communities with little or no access to sexuality education, to live better lives.

परिचय

“डिमिस्टिफ़ाइंग सेक्शुअलिटी एंड सोशल वर्क” पर यह पुस्तिका सामाजिक कार्य (सोशल वर्क) के कार्यकर्ताओं और छात्रों दोनों के लिए बनाई गई है। यह एन्फ़ोल्ड प्रोऐक्टिव हेल्थ ट्रस्ट द्वारा जून 2021 में प्रकाशित डिमिस्टिफाइंग सेक्शुअलिटी रेफ़रेन्स बुक (जिसे आगे सिर्फ़ “रेफ़रेन्स बुक” कहा जाएगा), के साथ इस्तेमाल के लिए है। यह पुस्तिका उन विषयों पर ध्यान देती है जिन्हें आम शिक्षा में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन इन विषयों के बारे में जानकारी होना और इनकी समझ होना बेहद ज़रूरी है, खासकर सामाजिक कार्यकर्ताओं (सोशल वर्कर्स) के लिए। भारत में सामाजिक कार्य (सोशल वर्क) शिक्षा में व्यापक मानव यौनिकता प्रशिक्षण की भारी कमी को देखते हुए, यह जानना और समझना ज़रूरी है कि ये विषय कैसे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मददगार हो सकते हैं, खासकर वंचित समुदायों के लोगों के लिए, जिन्हें यौनिकता शिक्षा कम या बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं की गई है।

This may be in enabling them to not just resolve problems related to sex and sexuality, but to also experience pleasure without guilt and enjoy sexual well-ness.This Handbook lays out Case scenarios based on issues and themes featured in various chapters of the Book, with reflective questions for self-reflection, and group-discussion too. Each Chapter also contains a list of suggested activities that may be undertaken. This is intended to support the users in understanding the topic in greater depth and to enable application of the same in their respective fieldwork settings.

यह लोगों को यौन-क्रिया और यौनिकता से जुड़ी समस्याओं को हल करने में मदद करने के साथ-साथ, बिना शर्म या अपराधबोध महसूस किए यौन आनंद लेने में भी सहायक है। इस पुस्तिका में रेफ़रेन्स बुक के अलग-अलग अध्यायों में बताए गए मुद्दों और विषयों पर आधारित प्रकरण (केस स्टडीज़) दी गई हैं, साथ ही खुद से सोचने और समूह में चर्चा करने के लिए सवाल भी दिए गए हैं। हर अध्याय में कुछ सुझावित गतिविधियों की सूची भी है। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को इन विषयों को गहराई से समझने में, और इन्हें अपने कार्यक्षेत्र में लागू करने में मदद करना है।

As a Social Work Educator, you may first want to identify your own sexual script, and then assess and reflect on your own feelings, attitudes, and notions of sexuality, bodily and sexual autonomy, implicit bias, and sexual oppression; and your understanding of how the development and expression of sexuality are impacted by social norms, oppression and violence. This may serve to prevent reinforcement of bias and prejudice and exacerbate social shame and stigma about sexuality

in the classroom. You may then facilitate discussion on the topics in each Chapter, by using the Case Scenarios and the accompanying questions that are suggested to facilitate self-reflection and discussion in the classroom.

एक सामाजिक कार्य (सोशल वर्क) के शिक्षक के रूप में, सबसे पहले खुद के यौन संबंधी विचारों को पहचानना ज़रूरी है और उसके बाद अपने खुद के जज़्बातों, नज़रियों, और यौनिकता, शारीरिक और यौन स्वायत्तता, अंतर्निहित पूर्वाग्रह, और यौन उत्पीड़न के बारे में अपनी सोच के बारे में विचार करना ज़रूरी है। यह समझना भी ज़रूरी है कि कैसे यौनिकता का विकास और अभिव्यक्ति सामाजिक कायदों, उत्पीड़न, और हिंसा से प्रभावित होती है। यह कक्षा में पक्षपात और पूर्वाग्रह को मज़बूत होने से रोकने में सहायक हो सकता है, और यौनिकता को लेकर सामाजिक शर्म और निंदा को और बढ़ने से भी रोक सकता है। इन चीज़ों पर विचार करने के बाद आप सभी अध्यायों के विषयों पर चर्चा करवा सकते हैं, आत्म-चिंतन और चर्चा को बढ़ावा देने के लिए सुझाए गए प्रकरण और उनके साथ दिए गए सवालों का इस्तेमाल करते हुए।

You will need to prepare for the session by listing core messages that would need to be either arrived at through group discussion, or relayed to the students in response to the suggested questions, as well as other questions that may come up in the classroom, by relying primarily on the content in the Book. *Some additional core messages that may be conveyed have been provided in the Annexures accompanying each chapter of the Handbook, and may be circulated to the students after the session, should you deem it fit*. These additional core messages are not comprehensive, and should not be used in isolation.

सत्र की तैयारी के लिए आपको मुख्यतः रेफ़रेन्स बुक की विषयवस्तु के आधार पर मुख्य संदेशों की सूची बनानी होगी, जिन्हें या तो समूह चर्चा के माध्यम से समझाया जा सकता है, या सुझाए गए सवालों के जवाब में छात्रों तक पहुँचाया जा सकता है। साथ ही जिन सवालों के पूछे जाने की सम्भावना है, उनकी भी सूची बनाएं। इस पुस्तिका के हर अध्याय के साथ संलग्न परिशिष्टों में कुछ अतिरिक्त मुख्य संदेश दिए गए हैं, जिन्हें आप सत्र के बाद छात्रों को बाँट सकते हैं, यदि आप उचित समझें तो। लेकिन ध्यान रखें कि ये अतिरिक्त मुख्य संदेश विस्तार से नहीं दिए गए हैं, इसलिए इन्हें बिना सन्दर्भ के नहीं समझना चाहिए।

During the classroom discussion, you may also consider inviting the students to identify and discuss the application of specific Social Work principles and methods in each Case. An initial list of Suggested Activities has also been included after many of the Case scenarios. These activities, (or a customized version of the activity based on their specific field setting) may also be assigned to the students, as appropriate. You may consider adding suitable activities for self-reflection as well as for research, individual assignments, group work, networking, advocacy, etc., based on what you think the students are capable of doing at their respective levels of learning.

कक्षा में चर्चा के दौरान, आप छात्रों से कह सकते हैं कि वे हर प्रकरण में इस्तेमाल किए गए सोशल वर्क के सिद्धांतों और तरीकों की पहचान करें और उनके प्रयोग पर चर्चा करें। कई प्रकरण के बाद सुझाई गई गतिविधियों की एक प्रारंभिक सूची भी शामिल है। ये गतिविधियाँ, (जिन्हें उनके विशिष्ट कार्यक्षेत्र के अनुसार थोड़ा बदला जा सकता है), छात्रों को दी जा सकती हैं। छात्रों के सीखने के स्तर और उनकी क्षमता के अनुसार,

आप उन्हें आत्म-चिंतन, रिसर्च, असाइनमेंट, समूह कार्य, नेटवर्किंग, हिमायत (एडवोकेसी) आदि के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ भी दे सकते हैं।

As a Social Work student you may want to engage with the content of the Book and this Handbook in a reflective manner, placing it within the frame of your own journey of self-reflection as well as the social work theories and principles that you are learning as part of your ongoing Social Work Education.

एक सोशल वर्क छात्र के रूप में, आप इस रेफ़रेन्स बुक और इस हैंडबुक के विषयों को एक चिंतनशील तरीके से समझना चाहेंगे, और इन्हें अपने खुद के आत्म-चिंतन के सफ़र और साथ ही सोशल वर्क शिक्षा के दौरान सीखे गए सोशल वर्क के सिद्धांतों और नियमों के साथ जोड़ेंगे।

Adopting an intersectional lens and understanding positionalities is an integral aspect of professional Social Work, and therefore needs to be applied in all aspects of Social Work practice. Social workers, Faculty and students must keep in mind their own positionality and ensure that it does not hinder them from giving their best professionally. The effectiveness of this Handbook will increase when the Case scenarios are reflected on keeping in mind the intersectional framework and positionality, as well as social work theories, principles and methods.

अंतःसंबंधित (इंटरसेक्शनल) नज़रिया अपनाना और अपनी सामाजिक स्थिति (पोज़िशनैलिटी) को समझना प्रोफ़ेशनल सोशल वर्क का एक अहम हिस्सा है, इसलिए इसे सोशल वर्क के हर पहलू में लागू करना ज़रूरी है। सोशल वर्कर्स, फैकल्टी, और छात्र अपनी पोज़िशनैलिटी का ध्यान रखें और यह सुनिश्चित करें कि यह काम के प्रति उनके प्रयास में कोई बाधा न बने।

प्रकरण पर चर्चा करते समय अंतःसंबंधित फ़्रेमवर्क, पोज़िशनैलिटी, और सोशल वर्क के सिद्धांतों, नियमों, और तरीकों को ध्यान में रखने से इस हैंडबुक की प्रभावशीलता और बढ़ जाएगी।

Chapter 1: Diversity in Sex

Here are some suggestions for activities you may consider assigning to students as a supplement to the content in the Demystifying Sexuality Book.

अध्याय 1: लिंग में विविधता

यहाँ कुछ गतिविधियों के सुझाव हैं, जिन्हें आप छात्रों को करने के लिए दे सकते हैं। ये गतिविधियाँ डिमिस्टिफाइंग सेक्शुअलिटी" रेफ़रेन्स बुक पर आधारित हैं।

Activity 1

Assess yourself on the level of your comfort with talking about sex and sexuality in your personal life with family and friends, and in your professional life with your colleagues and even your clients, as appropriate. Write a few paragraphs about what you think is 'normal' in the context of sex and sexuality. What has shifted in your thoughts, feelings and attitudes after reading Chapter 1 of the Book?

गतिविधि 1:
अपने आप को इस बात पर आंकिए कि आप अपनी निजी ज़िंदगी में अपने परिवार और दोस्तों के साथ, और अपने व्यावसायिक जीवन में अपने सहकर्मियों और क्लाइंट्स के साथ, जहाँ भी उचित हो, सेक्स और यौनिकता के बारे में बात करने में कितना सहज महसूस करते हैं। आपके हिसाब से सेक्स और यौनिकता के संदर्भ में क्या 'सामान्य' है, इस पर कुछ वाक्य लिखिए। रेफ़रेन्स बुक के अध्याय 1 को पढ़ने के बाद आपके विचारों, भावनाओं और नज़रिये में क्या बदलाव आया है?

Activity 2
Design and conduct a short survey to find out what people in your family, or your friends circle were told about the similarity and differences between the male and female body, as well as the bodies of people from other genders. Collect information about their doubts, thoughts and feelings they have about people from other genders, including the trans community. Reflect on these and bring doubts or concerns you may have to the classroom discussion. Remember to maintain the confidentiality by changing the identities of the people you are referring to!

गतिविधि 2:
पुरुष और स्त्री के शरीर की समानताओं और विभिन्नताओं के बारे में, और अन्य जेंडर के लोगों के शरीर के बारे में, आपके परिवार या दोस्तों को क्या बताया गया है, इस पर एक छोटा सर्वेक्षण करें। अन्य जेंडर के लोगों, जैसे ट्रांस समुदाय, के बारे में उनकी शंकाओं, विचारों, और भावनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। इन पर विचार करें और यदि कोई भी शंका या चिंता हो तो कक्षा में उस पर चर्चा करें। ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करते समय आप उनका नाम और पहचान बदल कर उनका ज़िक्र करें, ताकि उनकी गोपनीयता का उल्लंघन न हो।

Activity 3

Prepare a list of words or phrases commonly used to describe people who identify as male, female or from the trans community. Reflect on these and think about whether these are empowering or stigmatizing. Discuss this with your classmates and try to find positive language that could be used to replace disparaging or stigmatizing terms.

गतिविधि **3:**

पुरुष, महिला या ट्रांस समुदाय से आने वाले लोगों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों या वाक्यांशों की एक सूची बनाएं। इन शब्दों पर विचार करें और विश्लेषण करें कि कौन से शब्द लोगों को सम्मान से सम्बोधित करते हैं, और कौन से उन्हें निंदा का आभास दिलाते हैं। अपने सहपाठियों के साथ इस बारे में चर्चा करें और मिलकर ऐसे सकारात्मक शब्द खोजें जिन्हें अपमानजनक या निंदात्मक शब्दों की जगह इस्तेमाल किया जा सके।

Activity 4

As a social work student or Faculty member, try and assess your own understanding about the human body and sexuality. Are there any gaps? Are there topics you would like to know more about? Are there topics you would like to discuss but are awkward to do so? Do you have any fears or anxieties about sex and sexuality? Reflect on how your own attitude towards human sexuality has or can influence your social work practice. Continue journaling through this course, to document the shifts in your thinking, your values and beliefs surrounding human sexuality.

Activity 5

Find someone you trust - who identifies as being someone with a gender that is different from yours. Initiate an open honest conversation about the human body and its diversity. If possible, share your doubts, fears, hopes and dreams about your own body.

गतिविधि **4:**
सोशल वर्क के छात्र या शिक्षक के रूप में, मानव शरीर और यौनिकता के बारे में अपने खुद के ज्ञान का आंकलन करें। क्या किसी विषय पर आपकी समझ सीमित है? क्या ऐसे विषय हैं जिनके बारे में आप और जानना चाहते हैं? क्या कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर आप चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन झिझक महसूस करते हैं? क्या सेक्स और यौनिकता को लेकर आपको कोई डर या चिंता है?

इस पर विचार करें कि कैसे यौनिकता के प्रति आपकी सोच और नज़रिया आपके सोशल वर्क के काम को प्रभावित करती है या कर सकती है। इस प्रशिक्षण के दौरान यौनिकता से जुड़े आपके विचारों, मूल्यों, और मान्यताओं में आए बदलावों को नोट करते हुए जर्नलिंग करते रहें।

गतिविधि **5:**
इस गतिविधि के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जिस पर आपको भरोसा हो और जिसकी जेंडर पहचान आपसे अलग हो। उनसे मानव शरीर और उसकी विविधता के बारे में खुले और ईमानदार तरीके से बातचीत करें।

अगर संभव हो, तो अपने खुद के शरीर को लेकर अपनी शंकाएं, डर, उम्मीदें और ख़्वाहिशें भी उस व्यक्ति को बताएं।

Chapter 2. Structure and Function of Sexual and Reproductive Systems

Case 1: Lakshmi and Meena

You have recently joined an NGO that works on empowering women and girls as a social worker. As part of a Women's Day celebration, the NGO organized an awareness program for all the girls attending the tailoring classes that they conduct for girls aged 15- 18 years of age on 'Respect for One's Body - Celebrating Womanhood.' The speaker showed videos about women's anatomy and asked the girls if they had any queries. Lakshmi, a 16 year old girl who hails from a traditional family, and has never been to school, is confused but awkward to ask a question during the session, as no-one talks about these things with her in her family or extended family. Though she is shy, she connects well with you, as you have developed a good rapport with the girls, while conducting literacy classes and life skill education. After the session, she brings a close friend of hers - Meena, who also attends the tailoring class, along with her, to you to ask you to explain more.

अध्याय **2:** यौन और प्रजनन प्रणाली की संरचना और कार्य

प्रकरण **1:** लक्ष्मी और मीना

महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही एक गैर-सरकरी संस्थान से आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हाल ही में जुड़े हैं। महिला दिवस के अवसर पर संस्थान ने उनसे सिलाई सीख रही 15 से 18 साल की लड़कियों के लिए "शरीर के प्रति सम्मान - नारीत्व का उत्सव" विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम की वक्ता ने स्त्री शरीर की

रचना पर वीडियो दिखाया और लड़कियों से पूछा कि क्या उनके कोई सवाल हैं। लक्ष्मी, जो 16 साल की है, एक पारंपरिक परिवार से आती है और कभी स्कूल नहीं गई है, इन बातों को लेकर थोड़ी उलझन में है, लेकिन सत्र के दौरान सवाल पूछने में हिचकिचा रही है, क्योंकि उसके परिवार या रिश्तेदारों में कभी इस तरह की बातें नहीं होती हैं।

हालाँकि वह शर्मीली है, लेकिन उसकी आपके साथ अच्छी तालमेल है क्योंकि साक्षरता और जीवन कौशल पर कक्षाएं लेने के दौरान आपने लड़कियों से एक अच्छा संबंध बना लिया है। सत्र के बाद, लक्ष्मी अपनी करीबी सहेली मीना, जो सिलाई कक्षा में उसकी सहपाठी भी है, को साथ लेकर आपके पास आती है और आपको इन विषयों को और अच्छे से समझाने के लिए कहती है।

Suggested Questions for Reflection and Discussion on Case of Lakshmi and Meena

1. Are you confident of having this conversation with these two young girls? How would you handle this situation if you are not fully confident?
   लक्ष्मी और मीना के प्रकरण पर विचार-विमर्श के लिए सुझाए गए सवाल:
1. क्या आप इन दो लड़कियों से इन विषयों पर बात करने को लेकर आत्मविश्वास महसूस करते हैं? अगर आपका आत्मविश्वास कम है, तो आप इस स्थिति को कैसे संभालेंगे?

2. What is reproductive health? How has it been defined?

2. प्रजनन स्वास्थ्य क्या होता है? इसे कैसे परिभाषित किया गया है?

3.Are you yourself comfortable using the names of the human sexual and reproductive organs while talking with your colleagues, friends, and family? Do you think it is important for social workers to familiarize themselves with these terms and use them in both one's professional capacity as well as in one's personal life and private capacity while engaging with people? Consider breaking the silence and broach the subject with someone you are comfortable with, by talking about the various parts of the sexual and reproductive systems and what you feel about them. Notice your own feelings. Reflect on what work you may need to do on yourself to be confident to talk about sex and reproductive systems as a professional Social Worker.

3. अपने सहकर्मियों, दोस्तों और परिवारजनों से बात करते समय क्या आप मानव यौन और प्रजननअंगों के नाम लेने में सहज महसूस करते हैं?
क्या आपको लगता है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए इन शब्दों को जानना और इनका प्रयोग करना ज़रूरी है, न केवल उनके व्यवसायिक जीवन में, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन और निजी बातचीतों में भी? इस चुप्पी को तोड़ने की कोशिश करें और किसी ऐसे व्यक्ति से इन विषयों पर बात करें, जिसके साथ आप सहज महसूस करते हों। उनसे यौन और प्रजनन अंगों के विभिन्न हिस्सों के बारे में बात करें और इन विषयों पर अपने विचारों और भावनाओं की भी बात करें। अपनी खुद की भावनाओं पर ध्यान दें। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, यौन और प्रजनन प्रणालियों के बारे में आत्मविश्वास से बात करने के लिए, आपको खुद के किन पहलूओं पर काम करने की ज़रूरत है, इस पर विचार करें।

Suggested Activities

Activity 1:

Do a mini-survey to find out whether there is age-appropriate and child-friendly resource material available in your local language that could be used for personal safety and sexuality education of people of different ages.

गतिविधि

गतिविधि **1:**
क्या अलग-अलग उम्र के लोगों को व्यक्तिगत सुरक्षा और यौन शिक्षा प्रदान करने के लिए आपकी स्थानीय भाषा में उम्र-अनुसार और बच्चों के अनुकूल शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध है, यह जानने के लिए एक छोटा सर्वेक्षण करें।

Activity 2:

Consider working in groups to talk about these terms and find suitable words in your own language that could be used, - words that describe these body parts accurately and are not violative of a person's dignity.

गतिविधि **2:**
समूह में मिलकर इन शब्दों के बारे में बात करें और अपनी-अपनी भाषा में इस्तेमाल करने के लिए उचित शब्द ढूंढें – ऐसे शब्द जो इन शारीरिक अंगों का सही वर्णन करें और किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस न पहुँचाएं ।

Annexure 2: Additional Core Messages for Case 1: Lakshmi and Meena

1. According to the World Health Organization (WHO), "Reproductive health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity, in all matters relating to the reproductive system and to its functions and processes. Reproductive health implies that people are able to have a satisfying and safe sex life and that they have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when and how often to do so."[1]

[1] See World Health Organization, https://www.who.int/westernpacific/health-topics/reproductive-health
विश्व स्वास्थ्य संगठन https://www.who.int/westernpacific/health-topics/reproductive-health पर देखें।

परिशिष्ट **2:** लक्ष्मी और मीना के प्रकरण के लिए अतिरिक्त मुख्य संदेश

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के अनुसार, "प्रजनन स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारी या कमज़ोरी का न होना नहीं है, बल्कि प्रजनन प्रणाली और उसकी कार्यप्रणालियों और प्रक्रियाओं से जुड़े हर मामले के सम्बन्ध में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होना है। प्रजनन स्वास्थ्य का मतलब है कि लोग सुरक्षित और संतोषजनक यौन जीवन जी सकते हैं, प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं, और उनके पास कब, कैसे और कितनी बार, यह तय करने की स्वतंत्रता है।"[1]

2. See Chapter 2 of the Book for information about anatomy for the answer to question 1. However, for translation of these terms into the local language, either contact a Gynaecologist or contact an NGO working in the field of reproductive health, sex and sexuality.

   सवाल संख्या 1 के जवाब के लिए शारीरिक रचना (एनाटमी) की जानकारी रेफ़रेन्स बुक के अध्याय 2 में दी गई है। स्थानीय भाषा में इन शब्दों के अनुवाद के लिए आप किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ (गाइनकॉलजिस्ट) या फिर प्रजनन स्वास्थ्य, यौन, और यौनिकता के क्षेत्र में काम करने वाली किसी गैर-सरकारी संस्थान (एन.जी.ओ.) से संपर्क कर सकते हैं।

3. Yes, it is important for social workers to use the terms applicable to the various parts of the human anatomy in both professional and personal life, so as to model respect for the human body, and help remove the embarrassment or shame while talking about it.

   हाँ, सामाजिक कार्यकर्ताओं का उनके व्यवसायिक और व्यक्तिगत जीवन में मानव शरीर की विभिन्न संरचनाओं के लिए उपयुक्त शब्दों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ताकि वे मानव शरीर के प्रति सम्मान का उदाहरण प्रस्तुत कर सकें, और इन विषयों से सम्बंधित शर्म या हिचक को दूर कर सकें।

4. Sexual and reproductive health is a basic human right. All human beings should have access to age appropriate scientific information about reproductive health and be educated about their right to reproductive health. Greater awareness of reproductive health can significantly increase gender equality, maternal and neonatal health and enhance choice related to family planning. It can also reduce risky behaviours and prevent unwanted pregnancies or sexually transmitted diseases. Though both Lakshmi and Meena are children, in fulfilment of social work ethical principles, you would be doing the right thing by supporting them to exercise their right to self-determination, and their right to participate. You may consider explaining the concept of rights and the meaning of these rights to them, and help them to build their own sense of dignity and rights in claiming these rights, without fear, though they may have to navigate their way around possible negative reaction from their family members, if they got to know that they were learning about these aspects of life. You could assure them of your ongoing support with regard to

discussing sex and sexuality in private, and also in case they face any harm, should there be an adverse reaction from family members. If Childline is operating in that District, share the Childline number with them.

यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एक मौलिक मानव अधिकार है। सभी लोगों को उनकी उम्र के अनुसार प्रजनन स्वास्थ्य की वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए और प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकारों की शिक्षा होनी चाहिए। प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता से जेंडर समानता को बढ़ाने में, मातृ और नवजात स्वास्थ्य में सुधार लाने में, और परिवार नियोजन से जुड़े विकल्पों को विस्तारित करने में मदद मिल सकती है। इससे जोखिम भरे व्यवहारों में कमी आ सकती है और अनचाहे गर्भधारण और यौन संचारित बीमारियों से बचाव भी हो सकता है।

हालाँकि लक्ष्मी और मीना दोनों ही बच्चियाँ हैं, फिर भी सामाजिक कार्य के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार, आप उन्हें उनके आत्मनिर्णय और भागीदारी के अधिकारों का प्रयोग करने में सहयोग करके एक सही कार्य करेंगे। आप चाहें तो उन्हें अधिकारों की अवधारणा और इन अधिकारों का अर्थ सरल भाषा में समझा सकते हैं, और उनमें खुद की गरिमा की समझ बनाने में और बिना किसी डर के इन अधिकारों को अपनाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन उनके यह सब सीखने के बारे में पता चलेने पर उनके परिवार की ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है, जिससे उन्हें जूझना पड़ सकता है। ऐसे में, आप उन्हें यह आश्वासन दे सकते हैं कि वे निजी रूप से सेक्स और यौनिकता से जुड़ी बातों पर आपसे चर्चा जारी रख सकती हैं, और यदि परिवार की तरफ़ से नकारात्मक प्रतिक्रिया होने पर उन्हें कोई खतरा महसूस होता है, तो आप उनका सहयोग करेंगे। यदि उस ज़िले में चाइल्डलाइन संचालित हो, तो उनका नंबर उन्हें दें।

2. What are the biological terms that are used to describe the various parts of the genitalia in the local language?

   स्थानीय भाषा में यौनांगों के विभिन्न भागों का वर्णन करने के लिए कौन-कौन से जैविक (वैज्ञानिक) शब्द उपयोग किए जाते हैं?

3. Lakshmi tells you that both their families are very traditional, and so family members would beat them if they heard they were talking about these things with others. Knowing this, would you still provide Lakshmi and Meena information about reproductive health? If so, why? If no, why not? Are there any ethical concerns you may need to take into consideration?

   लक्ष्मी आपको बताती है कि उसके और मीना के परिवार दोनों ही बहुत पारंपरिक हैं, और अगर उनके घरवालों को पता चलता है कि वे इन विषयों पर किसी से बात कर रही हैं, तो वे उनके साथ मार-पीट भी कर सकते हैं। यह जानने के बाद, क्या आप फिर भी लक्ष्मी और मीना को प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देंगे? अगर हाँ, तो क्यों? अगर नहीं, तो क्यों नहीं? क्या इस स्थिति के कोई ऐसे नैतिक पहलू (एथिकल कंसर्न) हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए?

4. Prepare a list of common myths about the structure and function of sexual and reproductive systems. Pair up with a fellow classmate and discuss these myths in the light of the content provided in the Book.

यौन और प्रजनन प्रणालियों की संरचना और कार्य से जुड़ी आम गलत धारणाओं (मिथकों) की एक सूची तैयार करें। अपने किसी सहपाठी के साथ

मिलकर रेफ़रेन्स बुक में दी गई जानकारी के आधार पर इन मिथकों पर चर्चा करें।

Chapter 3: Diversity in Sex, Gender and Sexuality

अध्याय 3: लिंग, लिंग पहचान और यौनिकता में विविधता

Case 1: 'A'

A 28 year old transman 'A', comes to you and tells you he has been disowned by his family due to his gender identity. He has nowhere to go except some transgender people whom he had befriended a long time ago. They are all living together in a rented place, as all of them have also been disowned by their family members. They are ostracised and are being looked upon with disgust in their locality. The neighbours are not happy with them staying there, although the owner himself has no problem with them. They are going through a difficult time trying to gain acceptance and employment. Though they feel a sense of solidarity amongst them, they are all depressed, facing sustained rejection from their own families, neighbourhood and the wider society.

प्रकरण **1: 'अ'**

'अ', 28 वर्ष का एक ट्रांसपुरुष, आपके पास आता है और आपको बताता है कि उसकी जेंडर पहचान के कारण उसके परिवार ने उससे सम्बन्ध तोड़ दिए हैं। उसके पास जाने की कोई जगह नहीं है, बस कुछ ट्रांसजेंडर दोस्त हैं, जिनसे वह बहुत पहले मिला था। वे सभी एक किराए के मकान में साथ रहते हैं, क्योंकि उन सभी को भी उनके परिवारों ने अस्वीकार कर दिया है। उनके पड़ोस में उन्हें सामाजिक बहिष्कार और लोगों की तिरस्कार-भरी नज़रों का सामना करना पड़ रहा है। उनके पड़ोसी उनके वहाँ रहने से खुश नहीं हैं, हालांकि मकान मालिक को उनसे कोई दिक्कत नहीं है। स्वीकृति और आजीविका पाने की कोशिश में वे एक मुश्किल समय से गुज़र रहे हैं। उन्हें अपने परिवार, पड़ोस और समाज से लगातार अस्वीकृति और उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। आपसी एकता और सहयोग की भावना के बावजूद, वे सभी बेहद उदास और अवसादग्रस्त हैं।

Suggested Questions for Reflection and Discussion on the Case of 'A':

1. What can a social worker do to support 'A' and his friends?
2. What does the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 say about employment opportunities? Discuss how this Act's provisions are different from the 2014 National Legal Services Authority v. Union of India (NALSA) judgement by the Supreme Court of India?
3. Shunned and discriminated transgender people living together have been found to be HIV/AIDS high risk groups. Their rejection in society may force them to take up sex work to earn a living. What support can be extended to them in such a situation? Which kind of organizations could be roped in? What are the policies and systems in place in your State to support the LGBTQIA+ community?
4. How will you explain the development of gender identity to a person with a trans identity?

'अ' के प्रकरण पर विचार-विमर्श के लिए सुझाए गए सवाल:

1. एक सामाजिक कार्यकर्ता 'अ' और उसके मित्रों की सहायता के लिए क्या कर सकता/सकती है?
2. उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, रोज़गार के अवसरों के बारे में क्या कहता है? इस अधिनियम के प्रावधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 2014 के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (नालसा) निर्णय से कैसे अलग हैं?
3. सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव की वजह से साथ रह रहे ट्रांसजेंडर लोग एच.आई.वी./एड्स के उच्च जोखिम वाले समूह हैं। समाज की अस्वीकृति उन्हें जीवन यापन के लिए यौन कार्य करने के लिए मजबूर कर सकती है। ऐसी स्थिति में उन्हें किस प्रकार का सहयोग प्रदान किया जा सकता है? किन प्रकार की संस्थाओं को इस कार्य में जोड़ा जा सकता है? आपके राज्य में क्वीयर (एल.जी.बी.टी.क्यू.आई.ऐ.+ (LGBTQIA+) समुदाय के समर्थन हेतु कौन-सी नीतियाँ और व्यवस्थाएँ मौजूद हैं?
4. आप किसी ट्रांस पहचान वाले व्यक्ति को जेंडर पहचान के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार समझाएँगे?

Annexure 3: Additional Core Messages Case of ‘A’

1. While similar situations are a reality for thousands of trans people in India, there have been efforts in different parts of the country to bring about a change. A group of transwomen in Tamil Nadu are successfully running a dairy farm while in other places there are trans women running restaurants, etc. The dairy farm was set up with the help of the then District Collector and many organisations and social workers and activists are supporting trans people to set up their own business in dairy farming.
   Make a few suggestions on how students can help trans persons start or collaborate with such a venture.

परिशिष्ट **3:** **'अ'** के प्रकरण से जुड़े अतिरिक्त मुख्य संदेश
ऐसी परिस्थितियाँ भारत के कई ट्रांस व्यक्तियों की ज़िन्दगी की हकीकत हैं, लेकिन देश के अलग-अलग हिस्सों में बदलाव लाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। तमिल नाडु में ट्रांस महिलाओं का एक समूह सफलतापूर्वक एक डेयरी फार्म चला रहा है, वहीं कुछ अन्य स्थानों पर ट्रांस महिलाएँ रेस्टोरेंट/भोजनालय आदि चला रही हैं। यह डेयरी फार्म उस समय के ज़िला कलेक्टर की सहायता से स्थापित किया गया था। साथ ही कई संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता ट्रांसजेंडर लोगों को डेयरी फार्मिंग में खुद का व्यापार शुरू करने में मदद कर रहे हैं।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा ऐसे उद्यम शुरू करने या उसमें जुड़ने में, छात्र उनकी सहायता के लिए क्या कर सकते हैं?

Case Study 2: Anita

A child named Anita, aged two years, was brought to a hospital by her parents. Anita is an intersex child. The parents have been referred to you, the social worker working in the hospital, for psycho-social assistance. They report that they have decided to raise the child as a girl and want to perform a 'sex-corrective’ surgery to change the appearance of the child’s genitalia to one associated with the female sex.

प्रकरण **2:** अनीता

दो साल की अनीता को उसके माता-पिता अस्पताल लाए हैं। अनीता एक इंटरसेक्स बच्ची है। माता-पिता को मानसिक-सामाजिक सहायता के लिए अस्पताल में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता (आप) के पास भेजा गया है। वे बताते हैं कि उन्होंने बच्चे को एक लड़की के रूप में पालने का निर्णय लिया है और बच्चे के यौनांगों की बनावट को स्त्री यौनांगों जैसा बनाने के लिए वे ‘लिंग-सुधार’ सर्जरी करवाना चाहते हैं।

Suggested Questions for Reflection and Discussion on the Case of Anita:

1. What are the issues in this scenario?
2. Do the parents have a right to choose the sex and gender of the child?
3. Which of the rights enshrined in the UN Convention on the Rights of the Child, 1989 (UNCRC) are being deprived/violated in this situation?

अनीता के प्रकरण पर विचार-विमर्श के लिए सुझाए गए सवाल:

1. इस स्थिति में क्या समस्याएं हैं?
2. क्या माता-पिता को उनके बच्चे के लिंग और जेंडर को तय करने का अधिकार है ?
3. इस स्थिति में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि, 1989 (यू.एन.सी.आर.सी.) में उल्लिखित किन अधिकारों को छीना जा रहा या उनका उल्लंघन किया जा रहा है?

Annexure 3: Additional Core Messages for
Case of Anita

The sex and gender of any human being, even a child, cannot be decided by others. It is only the individual - the person - who can and should self-identify their gender. The surgery being proposed in the scenario is termed as intersex genital mutilation which has been condemned as torture by United Nations[2] Organisation and intersex people and activists around the world. As mentioned in the book, in April 2019, in a landmark order, the Madras High Court banned unnecessary, sex reassignment surgeries on intersex babies in Tamil Nadu. Unless there is a threat to the child's life, no medical intervention should be carried out. Instead, the family can be provided counselling as to how to raise children in a gender neutral fashion, how to answer inquisitive and insensitive questions from family and neighbours. Later counselling should also be offered to the child as the child is growing up, to enable a better understanding of the sex variation they have and to navigate the challenges they may face growing up in a society which focuses mostly on heteronormative binary identities of male/female sex and man/woman gender identities, which can be very traumatic. Any medical intervention in adulthood should only be carried out with the person's express wish and informed consent.

परिशिष्ट **3:** अनीता के प्रकरण से जुड़े अतिरिक्त मुख्य संदेश

किसी भी इंसान का, यहाँ तक कि किसी बच्चे का भी, सेक्स (लिंग) और जेंडर दूसरों द्वारा तय नहीं किया जा सकता है। खुद की जेंडर पहचान सिर्फ़ उसी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है और की जानी चाहिए। इस मामले में प्रस्तावित सर्जरी को "इंटरसेक्स जननांग विच्छेदन" (इंटरसेक्स जेनिटल म्यूटिलेशन) कहा जाता है, जिसकी संयुक्त राष्ट्र[2] और दुनिया भर के इंटरसेक्स लोगों और कार्यकर्ताओं द्वारा निंदा की गई है और जिसे अत्याचार माना गया है। जैसा कि रेफ़रेन्स बुक में बताया गया है, अप्रैल 2019 में मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में इंटरसेक्स बच्चों पर अनावश्यक लिंग पुनःनिर्धारण सर्जरी (सेक्स रीअसाइन्मेंट सर्जरी) पर प्रतिबंध लगाया है। जब तक बच्चे की जान को कोई सीधा खतरा न हो, तब तक कोई मेडिकल प्रक्रिया नहीं की जानी चाहिए। इसके बजाय, परिवार को बच्चे को लिंग के प्रति तटस्थ (जेंडर-न्यूट्रल) तरीके से बड़ा करने, और रिश्तेदारों और पड़ोसियों से आने वाले जिज्ञासापूर्ण या असंवेदनशील सवालों का जवाब देने के लिए काउंसलिंग दी जा सकती है। जब बच्चा बड़ा होने लगे, तब उसे भी काउंसलिंग उपलब्ध करानी चाहिए ताकि

[2] See https://www.statewatch.org/media/documents/news/2011/nov/committee-against%20torture-germany.pdf

https://www.statewatch.org/media/documents/news/2011/nov/committee-against%20torture-germany.pdf देखें

वह अपनी लैंगिक विविधता को समझ सके। साथ ही, एक इंटरसेक्स बच्चे का एक ऐसे हेट्रोनॉर्मेटिव समाज में बड़ा होना, जहाँ लैंगिक और जेंडर पहचान स्त्री-पुरुष और आदमी-औरत के द्विआधारी वर्गों पर केंद्रित हैं, एक आघातपूर्ण अनुभव हो सकता है, और इससे सम्बंधित चुनौतियों का सामना करने में उसे काउंसलिंग से मदद मिल सकती है।

बच्चे के वयस्क हो जाने पर कोई भी मेडिकल प्रक्रिया तब ही होनी चाहिए जब उस व्यक्ति की खुद की मर्ज़ी और सही जानकारी पर आधारित सहमति मौजूद हो।

Case Study 3: Tarik

Tarik, who is 26 years of age, confronted his gay friend Amrit saying that being gay is a sin. He argued that people are not born gay, but learn behaviours after being influenced by various external factors that may cause people to take it up as a lifestyle. He also quoted verses from scripture to support his views. He goes on to say that though scientific studies have proven that it could be inborn, he firmly believes that humans are bound to make mistakes and that no scientific research undertaken by humans can be absolute.

Suggested Questions for Reflection and Discussion on Case of Tarik:

1. What key points would you bring up if you had a chance to discuss this issue with Tarik, if he were a student who had expressed such views in your class?

प्रकरण **3:** तारिक

तारिक, जिसकी उम्र 26 साल है, अपने समलैंगिक (गे) दोस्त अमृत से यह कहकर भिड़ता है कि समलैंगिक होना पाप है। वह कहता है कि लोग समलैंगिक पैदा नहीं होते, बल्कि बाहरी प्रभावों के कारण ऐसा व्यवहार सीखते हैं और इसे जीवनशैली के रूप में अपनाते हैं। वह अपने विचारों को सही ठहराने के लिए धार्मिक किताबों में लिखी बातों को भी सुनाता है। वह यह तक कहता है कि भले ही वैज्ञानिक शोध यह साबित करते हैं कि यह जन्मजात है, लेकिन उसका मानना है कि इंसान गलतियाँ कर सकता है और इंसानों द्वारा किया गया कोई भी शोध पूर्ण सत्य नहीं हो सकता।

तारिक के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल**:**

यदि तारिक एक छात्र हो और आपकी कक्षा में ऐसे विचार सामने रखे, तो आप उससे इस विषय पर बात करते समय कौन-कौन से महत्त्वपूर्ण बिंदु उठाएंगे?

Suggested Activities

Activity 1:

Reflect on and arrive at ways in which people like Tarik could be sensitized about the LGBTQI+ community. Request students to undertake research to identify suitable websites and videos that provide scientific and rights based content on this issue.This could include studying the Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on 'Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity.'[3] This report was submitted on 17 November 2011 to the Human Rights Council pursuant to its resolution 17/19, in which the Council requested the United Nations High Commissioner for Human Rights to commission a study documenting discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity, and how international human rights law can be used to end violence and related human rights violations based on sexual orientation and gender identity.

गतिविधि

गतिविधि **1:**

तारिक जैसी सोच रखने वाले लोगों को एल.जी.बी.टी.क्यू.आई+ (LGBTQI+) समुदाय के प्रति संवेदनशील बनाने के तरीकों पर विचार करें। छात्रों से अनुरोध करें कि वे इस विषय पर वैज्ञानिक और अधिकार आधारित जानकारी प्रदान करने वाली उपयुक्त वेबसाइट्स और वीडियोज़ का पता लगाएँ। इसमें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त की रिपोर्ट, 'डिस्क्रिमिनेटरी लॉज़ एंड प्रैक्टिसेज़ एंड एक्ट्स ऑफ़ वायलेंस अगेंस्ट इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर सेक्शुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी,' का अध्ययन भी शामिल हो सकता है।[3] यह रिपोर्ट 17 नवंबर 2011 को मानवाधिकार परिषद को उनके 17/19 के संकल्प के अनुसार प्रस्तुत की गई थी। इस संकल्प के तहत परिषद ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त से यह अनुरोध किया था कि वे यौन अभिविन्यास और जेंडर पहचान के आधार पर व्यक्तियों के खिलाफ़ भेदभावपूर्ण कानूनों, प्रथाओं और हिंसात्मक कृत्यों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक अध्ययन करवाएं, जिसमें यह भी बताऐं कि कैसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उपयोग करके इस तरह की हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों को समाप्त किया जा सकता है।

Activity 2:

Either on your own, or in a group, study the United Nations Office of the High Commissioner on Human Rights Intersex Fact Sheet.,[4] and reflect on it.

Activity 3:

Do some research and prepare a resource bank of people hailing from across any part of the spectrum of sex, gender and sexuality who have successfully navigated the challenges they faced,

---

[3] Available at https://www.ohchr.org/documents/issues/discrimination/a.hrc.19.41_english.pdf https://www.ohchr.org/documents/issues/discrimination/a.hrc.19.41_english.pdf पर उपलब्ध

[4] Available here https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://interactadvocates.org/wp-content/uploads/2016/02/United-Nations_FactSheet_Intersex.pdf https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://interactadvocates.org/wp-content/uploads/2016/02/United-Nations_FactSheet_Intersex.pdf पर उपलब्ध

demonstrated resilience and are now role models for the LGBTQI+ community, both from India and abroad.

गतिविधि **2:**
खुद या फिर समूह में मिलकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के इंटरसेक्स तथ्य पत्रक (फैक्ट शीट) को पढ़ें और उस पर विचार करें।

गतिविधि **3:**
लिंग, जेंडर, और यौनिकता के स्पेक्ट्रम के किसी भी हिस्से से आने वाले ऐसे लोगों पर शोध करें और उनपर एक संसाधन (रिसोर्स) बैंक तैयार करें जिन्होंने उनके सामने आई चुनौतियों का दृढ़ता के साथ सफलतापूर्वक सामना किया, और जो अब भारत और विदेश में एल.जी.बी.टी.क्यू.आई+ (LGBTQI+) समुदाय के लिए प्रेरणास्रोत बन चुके हैं।

Activity 4: Reflect on and think about barriers or challenges that come in the way of you being an ally of the LGBTQI+ community? In what way can you address these challenges and overcome these barriers in order to demonstrate professional social work values and principles and effectively work with individuals from this community on this issue?

गतिविधि **4:**
एल.जी.बी.टी.क्यू.आई+ (LGBTQI+) समुदाय के सहयोगी (एलाय) बनने में आपके सामने आने वाली बाधाओं या चुनौतियों के बारे में सोचें। सामाजिक कार्य के मूल्य और सिद्धांतों पर खरा उतरने के लिए और इस समुदाय के व्यक्तियों के साथ इस विषय पर प्रभावी ढंग से काम करने के लिए, आप इन चुनौतियों का समाधान और इन बाधाओं को दूर कैसे कर सकते हैं?

Annexure 3: Additional Core Messages on Case of Tarik

1. While everyone has a right to practice their own religion, no-one has the right to deny someone else of their right to their own identity and way of life. Religious beliefs should not be used for discrimination, excluding people, denying them their rights or to stigmatize and harm someone else. It is the duty of every social worker and every responsible citizen to sensitize and educate people about members of the LGBTQI+ community, as persons with equal dignity and rights.

परिशिष्ट **3:**
तारिक के प्रकरण से जुड़े अतिरिक्त मुख्य संदेश

हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वे किसी से उनकी खुद की पहचान और जीवनशैली तय करने के हक़ को छीन सकें। धार्मिक मान्यताओं का इस्तेमाल किसी के साथ भेदभाव करने, उनका बहिष्कार करने, उनके अधिकारों को नकारने, उनकी निंदा करने या उन्हें हानि पहुँचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। एल.जी.बी.टी.क्यू.आई+ (LGBTQI+) समुदाय के सदस्यों के समान अधिकार और सम्मान के बारे में लोगों में संवेदनशीलता और जागरूकता फैलाना हर सामाजिक कार्यकर्ता और ज़िम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है।

Chapter 4. Development of Gender Identity and Sexual Orientation

Case 1: Jagdeesh

Jagdeesh is a 30 year old IT professional with a high paying job. His parents have been pressuring him to get married. His neighbour, Maya, has been friends with him since school. When Maya expresses romantic interest in him indirectly, Jagdeesh discourages her by telling her that he may not be good husband material, but is never able to express what he really feels and why he doesn't want to get married to her. Jagdeesh subsequently succumbs to parental pressure and gets married to Maya. A year later, Maya is frustrated, because she believes that Jagdeesh is not interested in having sex as he is impotent. She feels cheated, their relationship deteriorates and they get a divorce three years later.

अध्याय 4: लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास का विकास

प्रकरण 1: जगदीश

जगदीश एक 30 वर्षीय आईटी पेशेवर है, जिसकी नौकरी ऊँची कमाई वाली है। उसके माता-पिता उस पर शादी करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। उसकी पड़ोसी, माया, स्कूल के समय से उसकी दोस्त रही है। जब माया की ओर से जगदीश के प्रति रोमांटिक रुचि के संकेत मिलते हैं, तो जगदीश उसे यह कहकर मना करने की कोशिश करता है कि वह अच्छा पति नहीं बन पाएगा । लेकिन वह माया को यह कभी नहीं बता पाता कि वह वास्तव में क्या महसूस करता है और उससे शादी क्यों नहीं करना चाहता। आख़िर में लेकिन जगदीश अपने माता-पिता के दबाव में माया से शादी कर लेता है। एक साल बाद माया बहुत निराश है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद जगदीश यौन रूप से कमज़ोर (नपुंसक, इम्पोटेंट) होने की वजह से सम्भोग (सेक्स) में रुचि नहीं रखता। उसे लगता है कि जगदीश ने उसे धोखा दिया है, उनका रिश्ता धीरे-धीरे ख़राब होने लगता है, और तीन साल बाद उनका तलाक हो जाता है।

Jagdeesh later meets Ameen, a 40-year-old bachelor, at his workplace. Jagdeesh felt very comfortable and happy spending time with Ameen. For the first time in his life he felt he had met a 'soulmate.' Ameen also feels the same way about Jagdeesh. They soon began to enjoy a sexual relationship. Jagdeesh is not sure how to proceed, as he is concerned about how his parents and extended family will feel about their same-sex relationship. Jagdeesh approaches you, a social worker, who lives in the same neighbourhood. He is wondering if he should attend spiritual discourses or go for counselling.

कुछ समय बाद जगदीश अपने काम पर अमीन से मिलता है, जो 40 साल का अविवाहित व्यक्ति है। जगदीश को अमीन के साथ समय बिताकर बहुत सुकून और खुशी महसूस होती है। ज़िन्दगी में पहली बार उसे ऐसा लगता है कि उसे अपना आत्मीय 'सोलमेट' मिल गया है। अमीन भी जगदीश के लिए ऐसा ही महसूस करता है। जल्द ही वे एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध का भी आनंद लेने लगते हैं। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने को लेकर जगदीश थोड़ा उलझन में है। उसे इस बात की चिंता है कि उसके माता-पिता और रिश्तेदार उसके इस

समलैंगिक रिश्ते के बारे में कैसा महसूस करेंगे। वह अपने ही मोहल्ले में रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता (आप) के पास आता है, और पूछता है कि क्या उसे आध्यात्मिक प्रवचन में जाना चाहिए या फिर काउंसलिंग लेनी चाहिए।

Suggested Questions for Reflection and Discussion on the Case of Jagadeesh:

1. Do you think Maya and Jagdeesh did the right thing in getting divorced? Or should they have worked at saving their marriage?
2. How would you respond to Jagadeesh's idea about attending spiritual discourses?
3. How would you respond to Jagadeesh's idea about going for counselling?
4. How would you support Jagdeesh to express himself in more assertive and respectful ways?
5. Why do you think Jagdeesh could not tell Maya why he thought he is not good husband material?
6. Discuss various options for responding to critical comments from family and colleagues that a person in Jagdeesh's situation could consider?
7. Which Case Work principles would you apply while working with Jagdeesh, if he was your client?

जगदीश के प्रकरण पर सोचने और चर्चा करने के लिए सुझाए गए सवाल:

- क्या आपको लगता है कि माया और जगदीश ने तलाक लेकर सही किया? या क्या उन्हें अपनी शादी बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी?
- जगदीश के आध्यात्मिक प्रवचन सुनने के ख़्याल पर आप उन्हें क्या राय देंगे?
- काउंसलिंग के लिए जाने के उनके ख़्याल पर आप उन्हें क्या राय देंगे?
- खुद को आत्मविश्वास और सम्मान के साथ व्यक्त करने में आप जगदीश की किस तरह मदद करेंगे?
- आपके हिसाब से जगदीश खुद को एक अच्छा पति न मानने के पीछे के कारण माया को क्यों नहीं बता पाया?
- जगदीश जैसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति परिवार या सहकर्मियों की ओर से आने वाली आलोचनात्मक बातों का किन तरीकों से जवाब दे सकता है, इस पर चर्चा करें।
- अगर जगदीश आपका क्लाइंट होता तो आप उसके साथ काम करते समय केस वर्क के कौन-कौन से सिद्धांतों का प्रयोग करते?

Annexure 4: Additional Core Messages for Case of Jagdeesh

1. In our society, many persons (cisgender men and women, persons of diverse gender and sex identities, sexual orientation) are pressured into getting married for various reasons. One common reason that is cited is that " they are at, or past the age of marriage." Often marriage is seen as a 'treatment' for homosexuality, asexuality, non-conforming gender expression, diverse gender identities, etc. Resisting such pressure can be extremely difficult for many people.

2. In this scenario, despite being an educated, 30 year old, employed cis-gender man, Jagdeesh is not able to live according to his wish. Even though he made it clear to Maya and his family that he was not interested in getting married to her, he felt compelled to listen to his parents. Being forced to live in an intimate relationship with someone is not conducive for a good, healthy relationship. However, many in our society believe that once people start living together, then they would automatically start forming a liking towards each other over time and form a relationship. In this scenario maybe Maya also believed the same. But when it did not materialize she felt cheated. Was it Jagdeesh's fault as he had already told her he was not interested in marrying her? Still Maya also suffered the consequences. Unfortunately, many in our society go through the fate of Jagdeesh and Maya.
3. Did you think Jagdeesh and Ameen were gay? Remember that we cannot assume a person's identity. Jagdeesh and Ameen may also be asexual or bisexual. Just because a person does feel attracted to women, does not mean they will be attracted to every woman. Jagdeesh might have been attracted to women but might not have been attracted to a Maya as a person and being forced to marry her might have caused him to resent her. As social workers we need to keep our minds open to all possibilities and remember to not get mired in stereotyping.

परिशिष्ट **4:** जगदीश के प्रकरण से जुड़े अतिरिक्त मुख्य संदेश

हमारे समाज में कई लोग (चाहे वे सिसजेंडर पुरुष या महिलाएं हों, या विविध जेंडर या लैंगिक पहचान और यौन अभिविन्यास वाले व्यक्ति हों) बहुत से कारणों के दबाव में शादी करते हैं। अक्सर उन्हें यह कहा जाता है कि "अब उनकी शादी की उम्र हो गई है, या शादी की उम्र निकली जा रही है।" कई बार तो शादी को समलैंगिकता, अलैंगिकता (एसेक्शुअलिटी), नॉन कन्फर्मिंग जेंडर-अभिव्यक्ति या विविध जेंडर पहचान के 'इलाज' के रूप में देखा जाता है। बहुत से लोगों के लिए ऐसे दबाव का सामना करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है।

इस प्रकरण में, पढ़ा-लिखा, 30 साल का, नौकरी पर लगा हुआ, और एक सिसजेंडर पुरुष होने के बावजूद, जगदीश अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िन्दगी नहीं जी पा रहा था। उसने माया और अपने परिवार को पहले ही बता दिया था कि वह माया से शादी नहीं करना चाहता, फिर भी उसे अपने माता-पिता की बात मानने के लिए मजबूर महसूस हुआ। अगर किसी को एक अंतरंग रिश्ते में मजबूरी से रहना पड़े, तो वह रिश्ता अच्छा और स्वस्थ बन ही नहीं सकता। मगर हमारे समाज में बहुत से लोग यह मानते हैं कि दो लोगों के साथ रहने से वे खुद-ब-खुद समय के साथ एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे और एक आपसी सम्बन्ध बना लेंगे । शायद इस स्थिति में माया ने भी ऐसा ही सोचा हो, लेकिन ऐसा न होने पर उसे लगने लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। क्या इसमें गलती जगदीश की थी, जब उसने पहले ही माया को बता दिया था कि वह उससे शादी करने के लिए इच्छुक नहीं है? गलती हो या न हो, माया को भी इस स्थिति के अंजाम को भुगतना पड़ा। बदकिस्मती से, हमारे समाज में कई लोग जगदीश और माया जैसी स्थिति से गुज़रते हैं।

क्या आपको ऐसा लगा कि जगदीश और अमीन समलैंगिक (गे) थे? याद रखें कि हम किसी भी व्यक्ति की पहचान को खुद से मानकर नहीं चल सकते। जगदीश और अमीन अलैंगिक (एसेक्शुअल) या उभयलैंगिक (बाइसेक्शुअल) भी हो सकते हैं। यदि कोई महिलाओं के प्रति आकर्षण महसूस करता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह हर महिला के प्रति ऐसा महसूस करेगा। हो सकता है कि जगदीश महिलाओं के प्रति आकर्षण महसूस करता हो, लेकिन माया के प्रति आकर्षित न हो। माया से शादी करने के लिए मजबूर होने पर हो सकता है कि उसके मन में माया के लिए कड़वापन भी पैदा हो गया हो।

एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमें अपने मन को सभी संभावनाओं के लिए खुला रखना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि हम खुद रूढ़िवादी धारणाओं में न उलझें।

Case 2 : Bantei

The following is a story shared by a 21 year old Khasi named Bantei, living in Guwahati, who identifies himself as gay and a member of the LGBTQIA+ community. At home, he would apply makeup. His relatives would ridicule him and call him 'hijra.' They felt that he had let his clan title down. They accused him of being a sex worker and once beat him in public at a taxi stand. He felt ashamed and humiliated as he had been made a laughing stock in his community. He started recording the verbal abuse that he faced from his family members and kept it as evidence. He shared that he did not feel safe at home, or outside the home, as he did not feel safe to walk on the road on his own, for fear of being judged or beaten. He has started avoiding gatherings and even stopped going to church.

A month earlier, Bantei had attempted suicide and was admitted in the Intensive Care Unit of a hospital. He reported that he also had suicidal ideation when he was in his teens and attempted to jump off a building. He narrated that when he sits in his room alone, all the memories of him being shamed by his family members in public, comes flooding into his mind and makes him feel depressed. Having benefited immensely from counseling and sexuality education, he now feels that awareness about gender fluidity should take place at all levels such as educational institutions, religious institutions and within the wider general community too.

प्रकरण **2:** बानतेई

यह कहानी गुवाहाटी में रहने वाले 21 साल के एक खासी युवक, बानतेई, ने साझा की है। वह अपनी पहचान समलैंगिक (गे) और एल.जी.बी.टी.क्यू.आई+ (LGBTQI+) समुदाय के सदस्य के रूप में करता है। घर पर, वह मेकअप लगाता था। उसके रिश्तेदार उसका मज़ाक उड़ाते थे और उसे 'हिजड़ा' कहकर बुलाते थे। उनके हिसाब से वह अपने क्लैन का नाम (टाइटल) डुबो रहा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वह एक सेक्स वर्कर है, और एक बार तो एक टैक्सी स्टैंड पर सबके सामने उसके साथ मारपीट भी की थी। बानतेई को शर्मिंदगी और अपमान महसूस होता था क्योंकि वह अपने समुदाय में उपहास का पात्र बन गया था। उसने रिश्तेदारों द्वारा कही गई गालियों और अपमानजनक बातों को सबूत के तौर पर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया।

उसने बताया कि उसे न तो घर में और न ही घर के बाहर सुरक्षित महसूस होता था। मारपीट और आलोचना के डर से उसे सड़क पर अकेले चलने में सुरक्षित महसूस नहीं होता था। वह मिलने-जुलने से बचने लगा और उसने चर्च जाना भी बंद कर दिया।

एक महीने पहले बानतेई ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी और उसे अस्पताल के आई.सी.यू. में भर्ती किया गया था। उसने बताया कि किशोरावस्था में भी उसे आत्महत्या के ख़याल आते थे, और उसने एक बिल्डिंग से कूदने की कोशिश भी की थी। उसने बताया कि जब वह अकेले अपने कमरे में होता है तो रिश्तेदारों के द्वारा सबके सामने किए गए अपमान की बुरी यादें उसके मन में उमड़ पड़ती हैं, और उसे अवसादग्रस्त कर देती हैं।

काउंसलिंग और सेक्शुअलिटी शिक्षा से काफ़ी मदद मिलने के बाद अब बानतेई का मानना है कि जेंडर की विविधता को लेकर जागरूकता शैक्षिक और धार्मिक संस्थानों, समुदाय, और समाज के हर स्तर पर होनी चाहिए।

Suggested Questions for Reflection and Discussion on the Case of Bantei

1. Do you think Bantei's suicide attempt during adolescence could have been linked to society's response to his sexual orientation?
2. Could his suicide ideation/attempt been prevented? If yes, how?
3. Is homosexuality a crime in India?
4. What are the religious beliefs around sexual orientation in your own community? What are your own thoughts and feelings about this as a social worker? How would you engage with ethical dilemmas you may face when your own religious beliefs conflict with professional social work principles and practice, particularly in the area of sexual orientation?

बानतेई के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल

- क्या आपको लगता है कि बानतेई का किशोरावस्था में आत्महत्या का प्रयास उसके यौन अभिविन्यास को लेकर समाज द्वारा किए गए बर्ताव से जुड़ा हो सकता है?
- क्या उसके आत्महत्या के ख़याल/प्रयास को रोका जा सकता था? अगर हाँ, तो कैसे?
- क्या भारत में समलैंगिकता (होमोसेक्शुअलिटी) एक अपराध है?
- आपके समुदाय में यौन अभिविन्यास को लेकर क्या धार्मिक मान्यताएँ हैं? एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस विषय पर आपके खुद के क्या विचार और भावनाएँ हैं? यदि आपकी धार्मिक मान्यताऐं सामाजिक कार्य के सिद्धांतों और काम के विरुद्ध हों, खासकर यौन अभिविन्यास के मामले में, तो आप इस स्थिति में नैतिक दुविधाओं को कैसे संभालेंगे?

Suggested Activities

Activity 1:

Work in groups and prepare a draft curriculum for an awareness programs on diverse identities of sexual orientation, gender and gender expression (including core messages, video resources, names of resource persons who could come in person or online, etc), for

a) School students of different age groups;
b) Teachers;
c) A religious group from your own religious community.

Activity 2:

Request students to access the website of the Social Psychology Network and spend some time to read and do the activity on Understanding Prejudice - The complexity of sexual orientation, available at https://secure.understandingprejudice.org/teach/activity/orient.htm

गतिविधि

गतिविधि **1:**
समूहों में मिलकर काम करें और यौन अभिविन्यास, जेंडर, और जेंडर-अभिव्यक्ति की विविध पहचानों पर जागरूकता कार्यक्रमों के लिए एक प्रारंभिक पाठ्यक्रम तैयार करें। इसमें मुख्य संदेश, वीडियो संसाधन, ऑनलाइन या ऑफ़लाइन सत्र के लिए विशेषज्ञों के नाम, आदि शामिल करें। यह पाठ्यक्रम निम्नलिखित के लिए बनाएं:

- अलग-अलग उम्र के स्कूल के छात्रों के लिए;
- शिक्षकों के लिए;
- आपके समुदाय के किसी धार्मिक समूह के लिए।

गतिविधि **2:**
छात्रों से कहें कि वे सोशल साइकोलॉजी नैटवर्क की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ उपलब्ध "अंडरस्टैंडिंग प्रेजुडिस - द कम्प्लेक्सिटी ऑफ़ सेक्शुअल ओरिएंटेशन" (पूर्वाग्रह को समझना - यौन अभिविन्यास की जटिलता) नाम की गतिविधि को पढ़ें और पूरा करें। यह गतिविधि इस लिंक पर उपलब्ध है:
https://secure.understandingprejudice.org/teach/activity/orient.htm

Annexure 4: Additional Core messages for Case 2: Bantei

1. This case points to the intersectionality of different identities. Bantei is a tribal who is gay, has non-conforming gender expression and has a practicing religious identity as well. Use this opportunity to discuss on topics such as intersectionality, religious beliefs on sexual orientation in various religious communities, discrimination towards people of diverse identities, lack of discourse on tribal people of diverse identities, etc.
2. Discuss the importance of ethical and professional social work, including the need for oversight and supervision from seniors/experts when faced with ethical dilemmas. If systems for supervision are not in place, discuss how these may be created, and emphasize how even practitioners who have been in the field for some time, should be humble enough to recognize the need for peer-support, meeting regularly to discuss their work and to also seek guidance from experts.
3. Discuss how Social Welfare Administration could be enhanced by ensuring peer-discussion, oversight and supervision are embedded in job descriptions and in performance appraisals too.

परिशिष्ट **4:** बानतेई के प्रकरण से जुड़े अतिरिक्त मुख्य संदेश

1. यह प्रकरण विभिन्न पहचानों की अंतःसंबंधिता (इंटेरसेक्शनैलिटी) की ओर इशारा करता है। बानतेई एक ट्राइबल है, जो समलैंगिक (गे) है, जिसकी जेंडर-अभिव्यक्ति नॉन-कंफ़ॉर्मिंग है, और जो अपनी धार्मिक पहचान को भी निभाता है। इस अवसर का उपयोग निम्नलिखित विषयों पर चर्चा के लिए करें: अंतःसंबंधिता (इंटेरसेक्शनलिटी), अलग-अलग धार्मिक समुदायों में यौन अभिविन्यास पर धार्मिक मान्यताएं, विविध पहचान वाले लोगों के प्रति भेदभाव, विविध पहचान वाले ट्राइबल लोगों के बारे में संवाद की कमी, आदि।
2. सामाजिक कार्य में नैतिकता और व्यावसायिकता के महत्त्व पर चर्चा करें, साथ ही नैतिक दुविधाओं का सामना करते समय वरिष्ठ कार्यकर्ताओं/विशेषज्ञों की निगरानी और पर्यवेक्षण की आवश्यकता पर भी चर्चा करें। यदि पर्यवेक्षण की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तो चर्चा करें कि इन्हें कैसे बनाया जा सकता है। इस बात पर ज़ोर दें कि कैसे लंबे समय से फ़ील्ड में काम कर रहे कार्यकर्ताओं को भी विनम्र होना चाहिए और सहकर्मियों के सहयोग, काम पर नियमित रूप से चर्चा, और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन की ज़रूरत को पहचानना चाहिए।
3. इस पर भी चर्चा करें कि किस प्रकार सामाजिक कल्याण प्रशासन को और बेहतर बनाने के लिए सहकर्मियों के बीच चर्चा, निगरानी, और पर्यवेक्षण (सुपरविज़न) को नौकरी के विवरण और मूल्यांकन (परफ़ॉरमेंस अप्रैज़ल) में अनिवार्य रूप से शामिल किया जा सकता है।

Chapter 5: Gender Bias

अध्याय 5: लिंग पूर्वाग्रह (जेंडर बायस)

Case 1: Keerthi

Keerthi, 25 years of age, is married with two young children aged five and three years, respectively. Keerthi has registered for employment under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, (NREGA), whereby one can get employment for 100 days. One of the guidelines of the scheme is equal pay for both men and women. However, Keerthi was not being paid on par with the men. You are a social worker, working in an NGO that deals with labour issues in that community. When speaking with Keerthi, you ask her what she felt about this. In response Keerthi says "We are women so we are okay with not being paid equally with men as we cannot work like men. If we are being paid equally, then men will not want to register, as they will feel inferior. Then they will stay at home and not go to work."

प्रकरण 1: कीर्ति

कीर्ति, 25 वर्ष की एक विवाहित महिला है, जिसके पाँच और तीन वर्ष की उम्र के दो छोटे बच्चे हैं। कीर्ति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा), जिसमें साल में 100 दिन तक काम मिलने का प्रावधान है, के तहत काम के लिए पंजीकरण करवाया है। इस योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन दिया जाएगा। लेकिन कीर्ति को पुरुषों के बराबर वेतन नहीं दिया जा रहा था। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो उस समुदाय में मजदूरों से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाली एक गैर-सरकारी संसथान (इन.जी.ओ.) के साथ जुड़े हैं। कीर्ति से बात करते समय जब आपने उससे पूछा कि उसे इस बारे में क्या लगता है, तो कीर्ति ने जवाब दिया –

"हम औरतें हैं, इसलिए आदमियों के बराबर वेतन न मिलने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आदमियों की तरह काम नहीं कर सकते। अगर हमें बराबर वेतन दिया जाएगा, तो आदमी काम के लिए पंजीकरण नहीं करवाएंगे, क्यूंकि उन्हें लगेगा कि उनका दर्जा कम हो गया है। तब वे घर बैठ जाएंगे और काम पर ही नहीं जायेंगे।"

Suggested Questions for Reflection and Discussion on Case of Keerthi

1. What points would you bring up in order to enable Keerthi to understand the concept of gender equity?
2. Is there something you could do to sensitize the men folk?

कीर्ति के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल

- कीर्ति को जेंडर समता (इक्विटी) का महत्त्व समझाने के लिए आप किन बिंदुओं को उठाएंगे?
- क्या पुरुषों को इस विषय पर संवेदनशील बनाने के लिए आप कुछ कर सकते हैं?

Annexure 5: Additional Core Messages for Case of Keerthi

Discuss how the social conditioning of women contributes to the furtherance of discrimination against women - How, with hundreds of years of patriarchal socialization, women have been turned into vehicles and enforcers of patriarchy.

परिशिष्ट 5: कीर्ति के प्रकरण से जुड़े अतिरिक्त मुख्य संदेश

चर्चा करें कि महिलाओं की सामाजिक रूढ़िबद्धता (कंडीशनिंग) किस तरह महिलाओं के खिलाफ़ भेदभाव को बढ़ावा देती है – कैसे सैकड़ों सालों से चले आ रहे पितृसत्तात्मक सामाजीकरण (सोशलाइज़ेशन) ने महिलाओं को भी पितृसत्ता का एक माध्यम और संरक्षक बना दिया है।

Case 2: Raja

Raja is a 16 year -old boy, studying in the 9th grade. He has three older sisters. Their parents don't want the girls to go out and work, as they expect them to get married and be home makers, like most of the women in the village. They also expect Raja to work and to support the family along with his father, and to contribute to the dowry that will have to be paid for the wedding of his sisters. However, Raja wants to study further. He is beaten repeatedly by his parents and forced to take up small jobs, which he does not wish to do. Soon he gets into drug addiction and becomes detached from his family. His childhood friend brings him to you for help and advice.

प्रकरण 2: राजा

राजा 16 साल का एक लड़का है, जो 9वीं कक्षा में पढ़ता है। उसकी तीन बड़ी बहनें हैं। उसके माता-पिता नहीं चाहते कि उसकी बहनें बाहर जाकर काम करें, क्योंकि उनके हिसाब से गाँव की बाकी महिलाओं की तरह वे भी शादी के बाद गृहिणी ही बनेंगी। वे यह भी चाहते हैं कि राजा अपने पिता के साथ काम करे और परिवार को आर्थिक सहयोग दे, साथ ही अपनी बहनों की शादी के लिए दहेज जुटाने में भी योगदान दे। लेकिन राजा आगे पढ़ाई करना चाहता है। उसके माता-पिता उसकी बार-बार पिटाई करते हैं और ज़बरदस्ती छोटे-मोटे काम करने के लिए उसे मजबूर करते हैं, जो वह नहीं करना चाहता। जल्द ही राजा को नशे की लत लग जाती है और वह अपने परिवार से कटने लगता है। उसका बचपन का दोस्त उसे आपके पास मदद और सलाह के लिए लेकर आता है।

Suggested Questions for Reflection and Discussion on Case of Raja

1. In your opinion, what life skills do you think Raja could learn to help him navigate through his current situation and move forward?
2. If Raja's parents and sisters are willing to come to you to resolve these problems, what are the points you would bring up and help them to think about?
3. How can Raja overcome his drug addiction? How can you support him in this?

राजा के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल

1. आपकी राय में, राजा को कौन-कौन से जीवन कौशल (लाइफ़ स्किल्स) सीखने चाहिए, जिनकी मदद से वह अपनी वर्तमान स्थिति को संभाल सके और आगे बढ़ सके?
2. अगर इन समस्याओं के समाधान के लिए राजा के माता-पिता और बहनें आपके पास आने को तैयार होते हैं, तो आप उनके सामने किन मुद्दों को उठाएंगे और उनके बारें में सोचने में उनकी मदद करेंगे?
3. राजा अपनी नशे की लत को कैसे छोड़ सकता है? आप इसमें उसकी मदद कैसे कर सकते हैं?

Suggested Activities

Activity 1

Plan a workshop or program to address domestic violence by parents against their children.

गतिविधि

गतिविधि 1:

माता-पिता द्वारा अपने बच्चों पर की जाने वाली घरेलू हिंसा के मुद्दे पर एक कार्यशाला या कार्यक्रम की योजना बनाएं।

Activity 2:

Do a mini research to identify de-addiction services in your District, and submit this to the District Child Protection Unit, which is responsible for maintaining such a database, as required under the JJ Act, 2015.

गतिविधि 2:

अपने ज़िले में नशा मुक्ति सेवाओं का पता लगाने के लिए एक छोटा-सा शोध करें, और इस जानकारी को ज़िला बाल संरक्षण यूनिट को सौंपें, जो कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (जे.जे. एक्ट, 2015) के तहत इस प्रकार की जानकारी और संपर्क सूचि बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है।

Activity 3:

Do a mini research to identify videos, games and activities that could be used to sensitize families about gender and translate these into the local language.

गतिविधि 3:

परिवारों को जेंडर के बारे में जागरूक और संवेदनशील बनाने में इस्तेमाल की जा सकने वाली वीडियो, खेल, और गतिविधियों को ढूंढने के लिए एक छोटा-सा शोध करें, और इनका स्थानीय भाषा में अनुवाद भी करें।

Activity 4:

Do a mini research and compile a list of Youtube videos that help to break taboos about menstruation and organizations spreading awareness about periods in India and abroad.

गतिविधि 4:

माहवारी/मासिक धर्म से जुड़ी पाबंदियों और मिथकों को तोड़ने में मदद कर रही यूट्यूब वीडियो, और साथ ही भारत और विदेश में पीरियड पर जागरूकता फैलाने का काम कर रही संगठनों, की सूची तैयार करने के लिए एक छोटा-सा शोध करें।

Annexure 5: Additional Core Messages for Case of Raja

1. Conventionally when we speak of gender discrimination, only oppression or discrimination of women is highlighted. Discrimination against transgender people might also be spoken about. But discussion on bias against people of other diverse gender identities or even awareness about other identities is very less. Another very often overlooked aspect of gender discrimination is the discrimination faced by cisgender men because of their gender. In this scenario, Raja has to give up his dream of higher education and start working despite being the youngest child because he is the boy. There are many other everyday matters that can show us how they are also discriminated against. For example, in most heterosexual marriages, it is taken for granted that the man should be taller than the girl. Many doctors have advised parents of intersex children with a particular endocrinological intersex variation, to bring the child up as a girl, since people with that variation will have somewhat limited vertical growth and a short man will not be able to marry! This is how deeply gender stereotyping and discrimination works in our society. However, in patriarchal societies, the extent and the nature of gender discrimination faced by cisgender men is much less in comparison with any other gender. Thus equating a particular gender's discrimination to the discrimination against cisgender men is not appropriate. While discrimination against cisgender men should not be dismissed it is not, in most cases, comparable.

परिशिष्ट 5: राजा के प्रकरण से जुड़े अतिरिक्त मुख्य संदेश

अक्सर जब हम जेंडर के आधार पर होने वाले भेदभाव की बात करते हैं, तो केवल महिलाओं के खिलाफ़ होने वाले भेदभाव या अत्याचार पर ध्यान जाता है। कभी-कभी ट्रांसजेंडर लोगों के साथ होने वाले भेदभाव पर भी बात होती है। लेकिन बाकी विविध जेंडर पहचान के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव और यहाँ तक कि उनके अस्तित्व की जानकारी समाज में बहुत कम है। एक और अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाने वाला पहलू है सिसजेंडर पुरुषों के साथ उनके जेंडर के कारण होने वाला भेदभाव। इस प्रकरण में, सिर्फ़ इसलिए कि वह एक लड़का है, राजा को अपनी आगे की पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है और काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, घर का सबसे छोटा बच्चा होने के बावजूद। ऐसे बहुत सारे रोज़मर्रा की ज़िन्दगी के उदाहरण हैं जो दर्शाते हैं कि कैसे पुरुषों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उदाहारण के लिए, अधिकतर हेट्रोसेक्शुअल शादियों में यह मान लिया जाता है कि लड़के का कद लड़की से ऊँचा होना चाहिए। इसी सोच के चलते कई डॉक्टर भी उन माता-पिता को, जिनके इंटरसेक्स बच्चे में एक विशिष्ट एंडोक्राइनोलॉजिकल विविधता (वेरिएशन) होती है, यह सलाह देते हैं कि वे उस बच्चे को लड़की की तरह पालें, क्यूंकि उस वेरिएशन वाले बच्चे की लंबाई सीमित रह जाती है, और छोटे कद का आदमी शादी नहीं कर पाएगा! यह दिखाता है कि हमारे समाज में जेंडर की रूढ़िबद्ध धारणाओं और भेदभाव की जड़ें कितनी गहरी हैं। हालांकि, पितृसत्तात्मक समाजों में, सिसजेंडर पुरुषों को जिस जेंडर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उसकी हद और प्रकार किसी अन्य जेंडर की तुलना में काफ़ी कम होती है। इसलिए सिसजेंडर पुरुषों के साथ होने वाले भेदभाव को बाकी जेंडर के लोगों के साथ

होने वाले भेदभाव के बराबर समझना उचित नहीं है। सिसजेंडर पुरुषों के साथ होने वाले भेदभाव को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अधिकतर मामलों में यह भेदभाव औरों से तुलनीय नहीं है।

Chapter 6: Body image and Self-esteem - their influence on sexuality and well-being

अध्याय 6: आत्म-सम्मान और शारीरिक छवि

Case 1: Iba and Rumi

Iba is 20 years old, and has a poor self-image. She has not fared well in academics or extracurricular activities in school and college. Her classmates used to tease her about being overweight, and this only pushed her further into stress eating. She is in a romantic relationship, and they have been seeing each other for about a year. Iba thinks Rumi is a nice person and is also considering marrying him. There are, however, some red flags that concern her. A couple of times, Rumi got very upset with her when she spoke to two of her male college mates. He became suspicious and got into an argument with her and slapped her. The next day he was apologetic and asked her to forgive him. He said that he loved her and wanted to take care of her and assured her that he would never do it again, ever! However, the same thing happened again just after a week, and this time he said that he did it because he loved her and did not want her to get into the wrong company, or for anything bad to happen to her. Iba was desperate to hold onto the relationship, as she was very lonely and didn't think that anyone else would show any interest in her. So though she was extremely upset with his behaviour, she remained silent. The very next day, Rumi again proclaimed his undying love for her and even asked her to marry him.

प्रकरण 1: इबा और रूमी

इबा 20 साल की है, और उसकी आत्म-छवि अच्छी नहीं है। स्कूल और कॉलेज में वह पढ़ाई और पाठ्येतर गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाई। उसके सहपाठी अक्सर उसके भारी वज़न को लेकर उसका मज़ाक उड़ाते थे, जिससे वह तनाव में आकर और ज़्यादा खाने लगी। वह लगभग एक साल से एक रोमांटिक रिश्ते में है। इबा को लगता है कि रूमी एक अच्छा इंसान है और वह उससे शादी के बारे में भी सोच रही है। लेकिन कुछ बातें हैं (रैड फ्लैग्स) जो उसे परेशान कर रही हैं। दो-तीन बार ऐसा हुआ कि जब इबा ने अपने कॉलेज के दो लड़कों से बात की, तो रूमी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने शक करते हुए इबा से बहस की और उसे थप्पड़ भी मार दिया। अगले दिन रूमी ने माफ़ी मांगी और कहा कि वह उससे प्यार करता है और उसका ध्यान रखना चाहता है। उसने भरोसा दिलाया कि वह दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन एक हफ़्ते बाद ही वही बात फिर से हुई। इस बार रूमी ने कहा कि उसने ऐसा सिर्फ़ इसलिए किया क्योंकि वह उससे प्यार करता है और नहीं चाहता कि वह गलत संगत में पड़े या उसके साथ कुछ बुरा हो। इबा हर हाल में रिश्ते को बनाये रखना चाहती थी, क्योंकि वह अकेलापन महसूस करती है और उसे लगता है कि शायद रूमी के अलावा कोई उसे पसंद नहीं करेगा। इसलिए वह रूमी के बर्ताव से बहुत ज़्यादा दुखी होने के बावजूद

भी चुप रही। अगले ही दिन, रूमी ने फिर से इबा से अपने अटूट प्यार का इज़हार किया और यहाँ तक कि उससे शादी करने के लिए भी कहा।

Suggested Questions for Reflection and Discussion on the Case of Iba

1. If Iba discusses the situation with you, what are the issues you could bring up with her, to help her better understand her situation and help herself?

इबा के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल:

1. अगर इबा आपके साथ इस स्थिति पर बात करती है, तो आप कौन-कौन मुद्दे उसके सामने रख सकते हैं, ताकि वह अपनी स्थिति को बेहतर समझ सके और खुद की मदद कर सके?

Suggested Activities:

Activity 1

Divide the class into three groups. Tell them to prepare a script and enact role plays involving a conversation between Iba and Rumi in the following scenarios. The scenes should involve, but not necessarily be limited to the following:

i) A social worker works with Iba and supports her in developing self-esteem and assertive behaviour, finally resulting in her being empowered to challenge Rumi and demand respect from him as her partner.

ii) scenarios where Rumi dismisses Iba's concern and Iba's assertive reaction towards it as being 'over-sensitive' and alarmist - after all he had 'only' slapped her - and promises never to do it again.

iii) scenarios where despite Iba's assertiveness Rumi justifies his actions as the norm and Iba's reaction as ultra-feminist and tells her to 'get real' as no-one would marry her because of her obseity, and how Iba responds to this.

Facilitate a discussion on Self-esteem and body image based on the role plays.

गतिविधि:

गतिविधि 1

कक्षा को तीन समूहों में बाँटें। सभी समूहों को निम्नलिखित स्थितियों पर आधारित एक स्क्रिप्ट तैयार करने और इबा और रूमी के बीच संवाद पर एक रोल प्ले करने को कहें। इन सीन में निम्न बातें शामिल होनी चाहिए, हालांकि इन्हीं तक सीमित रहना ज़रूरी नहीं है:

- एक सामाजिक कार्यकर्ता इबा के साथ काम करता/करती है और आत्मसम्मान और निश्च्यात्मक व्यवहार विकसित करने में उसकी मदद करता/करती है, जिसकी वजह से इबा खुद को इतना सशक्त महसूस करती है कि रूमी का सामना करते हुए एक पार्टनर के रूप में उससे सम्मान की मांग करती है।

- ऐसे सिनेरियो जहाँ रूमी इबा की चिंताओं और निश्च्यात्मक प्रतिक्रिया को 'ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील' और 'बात का हंगामा' कहकर ख़ारिज कर देता है - क्योंकि आखिरकार उसने उसे 'सिर्फ़ एक थप्पड़' ही तो मारा था - और फिर दोबारा ऐसा न करने का वादा करता है।
- ऐसे सिनेरियो जहाँ इबा के साहस दिखाने के बावजूद रूमी अपने बर्ताव को चलन के मुताबिक सही ठहराता है और इबा की प्रतिक्रिया को बहुत ज़्यादा नारीवादी (अल्ट्रा-फ़ेमिनिस्ट) बताकर कहता है कि उसे असलियत को समझने की ज़रूरत है क्योंकि उसके मोटापे के कारण वैसे भी कोई उससे शादी नहीं करेगा - और फिर इबा इस पर कैसी प्रतिक्रिया देती है।

रोल-प्ले के आधार पर आत्म-सम्मान और शारीरिक छवि पर चर्चा करायें।

Activity 2

As a social worker, how would you help Iba build her sense of self-worth, and empower her to make a good decision in terms of her relationship with Rumi and the future that lies ahead of her?

गतिविधि **2**

एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, आप इबा को आत्ममूल्य की भावना विकसित करने में कैसे मदद करेंगे, और उसे कैसे सशक्त करेंगे ताकि वह रूमी के साथ अपने रिश्ते और अपने भविष्य के बारे में एक सही और मजबूत फ़ैसला ले सके?

Annexure 6: Additional Core Messages for Case of Iba and Rumi

Iba is in a relationship that is beginning to be abusive. From the given information, Rumi seems to be over possessive and suspicious of Iba's friendship with other men. Unlike many people in her position, she has already identified cause for concern and doesn't seem to be making excuses for the abusive behaviour of her partner. But she still likes the person and desperately wants their relationship to work, because of her poor body image and low self-esteem.

Many times people feel that their partner's behaviour will change after marriage! Moreover, Iba has a belief that her body and mind both do not meet the social norms of beauty and intelligence. Her low self-esteem, and erroneous notion that marriage would help her feel more secure, is pushing her into making life decisions that may be putting her at risk. Counseling and therapies such as Neurolinguistic Programming could be considered to enable her to alter limiting beliefs she is harbouring about herself. She then needs to learn assertive behaviour and decision making skills too.

The most important point to be addressed here would be for Iba to recognize that she is worth it and that no-one has a right to abuse her. She needs to be supported to hold Rumi accountable for his abusive behaviour and see if Rumi takes corrective action before contemplating the future of their relationship. The idea is not to get personal assurance or promises of change but to see if the person takes concrete steps towards a change in behaviour - for example joining Life Skills programs on

how to express one's emotions appropriately, how to express anger in nonviolent ways, how to discuss one's apprehensions respectfully.

परिशिष्ट **6:** इबा और रूमी के प्रकरण से जुड़े अतिरिक्त मुख्य संदेश

इबा ऐसे रिश्ते में है, जो धीरे-धीरे हिंसक बनता जा रहा है। दी गई जानकारी के हिसाब से, रूमी इबा की दूसरे आदमियों से दोस्ती को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा शक करने वाला और हक जताने वाला व्यक्ति लगता है। ऐसी स्थिति में होने वाले कई लोगों के विपरीत, इबा इसे एक चिंता का विषय मान रही है, और अपने पार्टनर के हिंसक बर्ताव को सही ठहराने के बहाने नहीं ढूंढ रही है। लेकिन वह तब भी इस व्यक्ति को पसंद करती है और कम आत्म-सम्मान और नकारात्मक शारीरिक छवि के कारण वह इस रिश्ते को हर हाल में बनाये रखना चाहती है।

कई बार लोगों को लगता है कि शादी के बाद उनके पार्टनर का बर्ताव बदल जायेगा! साथ ही, इबा यह भी मानती है कि उसका रूप और मानसिक क्षमता समाज के सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के मानकों से मेल नहीं खाते। कम आत्म-सम्मान, और यह गलत धारणा कि शादी से उसे बेहतर महसूस करने में मदद मिलेगी, उसे ऐसे फैसले लेने की ओर धकेल रहे हैं, जो उसके लिए हानिकारक हो सकते हैं। इबा को खुद के प्रति सीमित करने वाले विश्वासों को बदलने के लिए काउंसलिंग और न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जैसी विधियों का सहारा दिया जा सकता है। इसके साथ ही, उसे आत्मविश्वास और निश्चयात्मक व्यवहार और निर्णय लेने का कौशल सीखने की भी ज़रूरत है।

यहाँ पर सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इबा अपने मूल्य को पहचाने और यह जाने कि किसी को भी उसे चोट पहुँचाने या उसका अपमान करने का अधिकार नहीं है। उसे सहयोग की ज़रूरत है ताकि वह रूमी को उसके हिंसक बर्ताव के लिए ज़िम्मेदार ठहराये, और उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले यह परखे कि रूमी अपने बर्ताव में सुधार लाने के लिए वास्तविक और ठोस प्रयास कर रहा है या नहीं।

आश्वासन या बदलने के वादों की बजाय यह देखा जाना चाहिए कि क्या इंसान वास्तव में बदलाव की दिशा में कदम उठा रहा है – उदहारण के लिए वह जीवन कौशल प्रशिक्षण में भाग ले रहा है, जहाँ उसे यह सिखाया जा सके कि अपनी भावनाओं को उचित ढंग से कैसे व्यक्त किया जाए, गुस्से को बिना हिंसा के कैसे प्रकट किया जाए, और अपने डर या संदेहों को सम्मानपूर्वक कैसे बताया जाए।

Chapter 7. Attitude towards Sexual Health and issues with Reproductive Health

अध्याय 7. यौन स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण और प्रजनन स्वस्थ्य से जुड़े मुद्दे

Case 1: Anjali, Arun and Ashwini

Anjali is a lecturer, aged around 52 years of age. Her husband Arun, aged 55, who had a good corporate job, has been laid off due to COVID-19 and this has made him lose confidence in himself. Since he is diabetic and obese with other underlying health conditions, he took extra precautions and diligently followed the COVID-19 protocols, not going out of the house at all. He used this as an excuse and politely refused to even go and meet his friends. Though Anjali was permitted to take lectures online due to the pandemic, recently she had to go to work in person, commuting to work at

least one hour each way. They had decided not to permit their domestic help to come and work inside the home, for fear of her carrying the virus. Anjali and Arun's sex life had deteriorated significantly over the past year, and this is leading to conflict between them too. They had a little girl, Ashwini. Though they had built a loving relationship over the years, they were now confused and irritable with each other, and their daughter, who often felt lonely and sad. One day Arun lost his temper and started yelling at Anjali, telling her that she was useless, as she couldn't cook properly, and was neither a good wife to him, or a caring mother to their daughter.

प्रकरण **1:** अंजलि**,** अरुण और अश्विनी

अंजलि लगभग 52 वर्ष की एक लेक्चरर हैं। उनके पति अरुण, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है, एक अच्छी कॉरपोरेट नौकरी में थे, लेकिन कोविड-19 के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे अरुण का आत्मविश्वास काफ़ी कम हो गया। चूंकि अरुण मधुमेह (डायबिटीज़) और मोटापे सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने कोविड के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरती और पूरी तरह से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया और घर से बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया। उन्होंने इस स्थिति का बहाना देकर अपने दोस्तों से भी मिलने से मना कर दिया। अंजलि को इस महामारी के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं लेने की अनुमति तो दी गई थी, लेकिन हाल ही में उन्हें ऑफ़लाइन काम पर जाना शुरू करना पड़ा, जहाँ आने-जाने में उन्हें रोज़ कम से कम दो घंटे का समय लगने लगा। कोरोना के संक्रमण के डर से उन्होंने अपने डोमेस्टिक हेल्प को भी घर आकर काम करने से मना करने का फ़ैसला लिया। पिछले एक साल में अंजलि और अरुण के यौन सम्बन्ध में भी काफ़ी गिरावट आ गई थी, जिससे उनके बीच तनाव और झगड़े बढ़ने लगे। उनकी एक छोटी बेटी है, अश्विनी। हालांकि उन्होंने समय के साथ एक प्यार भरा रिश्ता बनाया था, लेकिन अब वे एक-दूसरे से और अपनी बेटी से चिड़चिड़ापन और उलझन महसूस कर रहे थे। इस वजह से उनकी बेटी भी अक्सर अकेलापन और उदासी महसूस करती थी। एक दिन अरुण का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अंजलि पर चिल्लाना शुरू कर दिया, कहने लगे कि अंजलि किसी काम की नहीं है क्योंकि वह ठीक से खाना नहीं बना पाती, न तो वह उनके लिए एक अच्छी पत्नी है और न ही उनकी बेटी की अच्छे से देखभाल करने वाली माँ है।

Suggested Questions for Reflection and Discussion on Case of Anjali

1. From your analysis, what are the various challenges that this family is facing?
2. What is menopause? Do you think women can have a fulfilling sexual life during this time?
3. What is androgen deficiency? How could Arun be supported to enhance his sense of well-being?
4. What is family strengthening? What are the ways in which you could extend support to enable Anjali, Arun and Ashwini to strengthen their family?

अंजलि के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल

1. आपके विश्लेषण के अनुसार, यह परिवार किन-किन चुनौतियों का सामना कर रहा है?

2. रजोनिवृत्ति (मेनोपॉज़) क्या होती है? क्या आपको लगता है कि महिलाएं इस समय के दौरान संतोषजनक यौन सम्बन्ध बनाये रख सकती हैं ?

3. एंड्रोजन की कमी क्या होती है? अरुण की खुशहाली की भावना को बढ़ाने के लिए उन्हें किस तरह से सहयोग किया जा सकता है?

4. परिवार सशक्तिकरण क्या होता है? आप किन तरीकों से अंजलि, अरुण और अश्विनी को एक मज़बूत और खुशहाल परिवार बनाने में सहायता दे सकते हैं?

Annexure 7: Additional Core Messages for the Case of Anjali, Arun and Ashwini

Refer to the sections on Menopause and Androgen decline in Chapter 7 of the Book. In addition, discuss family strengthening as a deliberate process of giving parents the necessary opportunities, relationships, networks, and support to raise their children successfully; enabling family members to strengthen communication and relationship skills, etc.

परिशिष्ट **7:** अंजलि**,** अरुण और अश्विनी के प्रकरण के लिए अतिरिक्त मुख्य संदेश

सन्दर्भ के लिए रेफ़रेन्स बुक के अध्याय 7 में दिए गए रजोनिवृत्ति (मेनोपॉज़) और एंड्रोजन की कमी से संबंधित भागों को पढ़ें। इसके अतिरिक्त, चर्चा करें कि कैसे परिवार सशक्तिकरण एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत माता-पिता को अपने बच्चों का सफलतापूर्वक पालन-पोषण करने के लिए आवश्यक अवसर, संबंध, नेटवर्क और सहयोग प्रदान किया जाता है, और परिवार के सदस्यों को आपसी संवाद और रिश्ते मज़बूत करने के कौशल विकसित करने में सहायता दी जाती है।

Suggested Activities

Activity 1:

Spend some time alone and map out your own assumptions, thoughts and beliefs about sex during one's senior years.

गतिविधि

गतिविधि **1:**
कुछ समय अकेले बिताएं और वृद्धावस्था में यौन जीवन को लेकर अपनी खुद की मान्यताओं, विचारों, और धारणाओं के बारे में लिखें।

Activity 2:

Whatever your age or gender identity, based on your comfort level, identify a few men/women /trans persons in your own family and circle of friends who are in the age group 46 - 52 years of age, with whom you share a close connection. Ask them about their experience of menopause to better understand this phase of the life cycle. For those who are comfortable, ask them about their sex life during this time.

गतिविधि **2:**
चाहे आपकी उम्र या जेंडर पहचान कुछ भी हो, अपनी सहजता के अनुसार अपने परिवार या दोस्तों में से 46 से

52 वर्ष के आयु वर्ग के कुछ ऐसे पुरुषों/महिलाओं/ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान करें, जिनसे आपका संबंध गहरा हो। जीवन चक्र के इस चरण को बेहतर समझने के लिए उनसे रजोनिवृत्ति (मेनोपॉज़) के दौरान उनके अनुभवों के बारे में पूछें। जो लोग सहज महसूस करें, उनसे इस समय के दौरान उनके यौन जीवन के बारे में भी पूछें।

Activity 3:

Design a short survey tool (using google survey tools if accessible), and find out more about the sexual life of people going through menopause and androgen decline.

गतिविधि **3:**
एक छोटा-सा सर्वे फ़ॉर्म बनाएं (अगर संभव हो तो गूगल फ़ॉर्म का इस्तेमाल करें) और रजोनिवृत्ति (मेनोपॉज़) या एंड्रोजन की कमी के दौर से गुज़र रहे लोगों से उनके यौन जीवन के बारे में और जानकारी लें।

Activity 4:

Design an awareness campaign to promote awareness of how one can take care of one's physical and mental health and also enjoy sexual fulfillment during menopause and androgen decline.

गतिविधि **4:**
रजोनिवृत्ति (मेनोपॉज़) और एंड्रोजन की कमी के दौरान लोग अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रख सकते हैं और कैसे एक सुखद यौन जीवन का आनंद ले सकते हैं, इस पर एक जागरूकता अभियान तैयार करें।

Case 2: Aarthi

A 22 year old single girl, Aarthi, found that she was suffering from a vaginal infection and approached her college residential doctor for medical assistance to address the same. The doctor asked her whether she had sex recently, or if she uses sex toys. The manner in which the doctor spoke to her made her very uncomfortable. She replied that she had not, and left the clinic feeling judged, without waiting for any prescription. Her friend suggests she meet you, a social worker attached to an NGO.

प्रकरण **2:** आरती

22 वर्ष एक अविवाहित युवती, आरती, को पता चलता है कि उसे योनि संक्रमण (वैजिनल इन्फ़ेक्शन) हो गया है, जिसके इलाज के लिए वह अपने कॉलेज के रेज़िडेंशियल डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि क्या उसने हाल ही में यौनक्रिया की हैं या क्या वह सेक्स टॉयज़ का इस्तेमाल करती है। डॉक्टर के बात करने का तरीका आरती को बहुत असहज महसूस कराता है । उसने जवाब दिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, और आलोचित महसूस करने की वजह से किसी भी प्रिस्क्रिप्शन का इंतज़ार किए बिना ही क्लिनिक से निकल गई। उसकी एक दोस्त उसे आपसे (एक गैर-सरकारी संगठन (इन.जी.ओ.) से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता से) मिलने की सलाह देती है।

Questions for Reflection and Discussion on Case of Aarthi

1. What will you say to Aarthi? Do you have a list of sensitive medical professionals or para-professionals to whom you could refer people like Aarthi for appropriate medical advice?
2. How can doctors' judgemental attitudes on premarital sexual relationships be addressed?
3. What can social workers working in hospital settings do to make a difference in such situations?
4. Discuss how a network of sensitive medical practitioners, law enforcement personnel, government officials, NGO workers, counsellors and teachers can support people who feel judged or discriminated against, based on their sexual practices and preferences.

आरती के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सवाल

1. आप आरती से क्या कहेंगे? क्या आपके पास ऐसे संवेदनशील मेडिकल प्रोफ़ेशनल्स या पैरा-मेडिकल स्टाफ़ की सूची है, जिनके पास आप आरती जैसी लड़कियों को सही मेडिकल सलाह के लिए भेज सकते हैं?

2. शादी से पहले यौन संबंधों को लेकर डॉक्टरों की आलोचनात्मक (जजमेंटल) सोच को कैसे बदला जा सकता है?

3. अस्पतालों में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता ऐसी स्थितियों में सुधार लाने के लिए क्या कर सकते हैं?

4. चर्चा करें कि किस प्रकार संवेदनशील मेडिकल प्रोफ़ेशनल्स, पुलिस, सरकारी अधिकारियों, एन.जी.ओ. कार्यकर्ताओं, काउंसलर और शिक्षकों का एक नेटवर्क उन लोगों की मदद कर सकता है जिन्हें उनके यौन व्यवहार या पसंद के आधार पर आलोचना या भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

Case 3: Maria

Mary is a psychiatric social worker working in a hospital. She does not believe in abortion. The management of the hospital is also pro-life, and therefore does not advise or permit abortions. Sunita is a 20 year old woman who approaches Mary, with suicidal symptoms, seeking support for an abortion as she has just found out that she is 14 weeks pregnant.

प्रकरण **3:** मारिया

मारिया एक अस्पताल में कार्यरत मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक कार्यकर्ता है। वह गर्भपात (एबॉर्शन) में विश्वास नहीं रखती। अस्पताल का प्रबंधन भी प्रो-लाइफ सोच का है, और इस कारण वहाँ गर्भपात की सलाह या अनुमति नहीं दी जाती है। सुनीता, जो 20 वर्ष की एक युवती है, जो आत्मघाती लक्षणों के साथ मारिया के पास सहायता के लिए आती है। उसे हाल ही में पता चला है कि वह 14 सप्ताह की गर्भवती है, और वह गर्भपात कराने के लिए मारिया से मदद मांगती है।

Questions for Reflection and Discussion on the Case of Maria

1. Does Sunita have a right to terminate her pregnancy?
2. If you were in Mary's position, how would you respond to Sunita? How will you navigate the conflict between your personal beliefs, the policy of the hospital and your duty as a social worker to respect the human rights of Maria?

मारिया के प्रकरण पर विचार और चर्चा के लिए सवाल

1. क्या सुनीता को अपना गर्भपात करवाने का अधिकार है?

2. यदि आप मारिया की जगह होते, तो सुनीता के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सुनीता के मानवाधिकारों का सम्मान करने के कर्तव्य और अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं और अस्पताल की नीतियों के बीच के टकराव को आप कैसे संभालते?

Annexure 7 Additional Core Messages for the Case of Maria

- The law in India permits abortion upto the age of 20 weeks, and so yes, Sunita does have a right to terminate her pregnancy. Abortion may also be permitted beyond 20 weeks in certain situations. Refer to the section on Law and Medical Termination of Pregnancy in the Book for accurate information on this.
- As a professional social worker, the code of ethics requires respect for human rights. Further, the principles of right to self-determination and the non-judgemental approach requires that Mary should respect Sunita's decision and support her to access the services she is entitled to under the law. Since Mary's organization has a policy that is pro-life, she may respectfully inform Sunita that she will not be able to advise or support her with regard to the termination of her pregnancy because of the organizational policy that she is committed to adhere to. She must however provide her with the immediate mental health care support that Sunita needs given her suicidal ideation, and ensure she gets timely care. Mary must then make a sincere effort to connect Sunita to another hospital or NGO who can provide her the assistance she needs. In situations like this, where there is a conflict between professional and personal values (and in this case, organizational values too), this becomes an ethical issue and a matter of conscience. Social workers must consult with senior social workers and with experts in ethics if necessary. They must act in accordance with their professional training rather than allow their personal beliefs or organizational policies to come in the way of clients being able to enjoy their human rights. If the organization itself does not permit such referrals, Mary would have to make a choice as to whether she should

continue working in the organization in order to ensure she adheres to the obligations arising from her professional training.

परिशिष्ट 7: मारिया के प्रकरण से जुड़े अतिरिक्त मुख्य संदेश

- भारत का कानून गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात (एबॉर्शन) करवाने की अनुमति देता है, तो हाँ, सुनीता को अपनी गर्भावस्था समाप्त करने का अधिकार है। कुछ विशेष परिस्थितियों में 20 सप्ताह के बाद भी गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। इस विषय में सटीक जानकारी के लिए रेफ़रेन्स बुक में दिए गए "कानून और गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति" वाले भाग को देखें।
- एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, आचार संहिता के अनुसार मानवाधिकारों का सम्मान करना आवश्यक है। साथ ही, आत्मनिर्णय के अधिकार के सिद्धांतों और गैर-पक्षपाती दृष्टिकोण के आधार पर मारिया को सुनीता के फैसले का सम्मान करना चाहिए और उसे उसके कानूनी अधिकार के अनुसार सेवाओं तक पहुँचने में मदद करनी चाहिए। चूंकि मारिया के अस्पताल की नीति प्रो-लाइफ है, मारिया को सुनीता को सम्मानपूर्वक यह बताना चाहिए कि वह गर्भावस्था समाप्त करने के बारे में सीधे तौर पर सलाह या सहायता नहीं दे सकती, क्योंकि वह अस्पताल की नीति का पालन करने के लिए बाध्य है। लेकिन उसे सुनीता के आत्मघाती विचारों को ध्यान में रखते हुए उसे तुरंत मानसिक स्वास्थ्य सहायता देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुनीता को समय पर इलाज मिले। मारिया को सुनीता को किसी ऐसे अस्पताल या एन.जी.ओ. से जोड़ने का निष्ठापूर्ण प्रयास करना चाहिए, जहाँ उसे आवश्यक सहायता मिल सके। जब व्यक्तिगत और व्यावसायिक मूल्यों (इस प्रकरण में संस्थानिक मूल्य भी) के बीच टकराव होता है, तो यह एक नैतिक और आत्मचिंतन का विषय बन जाता है। ज़रूरत पड़ने पर सामाजिक कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं और नैतिकता विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। उन्हें अपने प्रशिक्षण के मुताबिक कदम उठाने चाहिए, और व्यक्तिगत मान्यताओं या संगठन की नीतियों को किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकारों के रास्ते में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। अगर उसका अस्पताल किसी दूसरे अस्पताल या संस्थान को रेफ़र करने तक की भी अनुमति नहीं देता है, तो मारिया को यह निर्णय लेना होगा कि क्या अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण और मूल्यों का पालन करने के लिए उसे इस अस्पताल में काम जारी रखना चाहिए या नहीं।

Chapter 8. Sexual Development in Children and Adolescence

Case 1: Johnny

In a co-educational school in the outskirts of the city, a teacher put up a poster on anatomy. A little boy named Johnny, who is studying in the 1st standard, is observed touching the genital area of that picture every day, before and after school. The class teacher noticed this on several occasions and scolded the boy, telling him that what he is doing is wrong and that he should be ashamed of himself. She then contacted his parents, who also did not like what they heard.
They told the teacher that they "never talk about such things at home." They went on to explain that whenever they watch programmes on television, they always make it a point to change their channel when there are sex scenes, and so they were wondering as to where their child learnt "such things." The teacher informs them that the school does not encourage teachers to talk about "such things" with the students either.

The teacher spoke to the boy separately and he said that he used to touch his 'pee pee' every now and then and that it "feels good." He said that his parents have found him doing so many times and they never scold him or tell him it is right or wrong, -they just go about their way, ignoring him every time he touches himself. So he thought that touching the private part in the picture which has the same 'pee pee' as him would also make the person in the picture also feel good!

The teacher then calls you, the school counsellor (a trained social worker), to handle the situation. When you speak to the parents in detail, you learn that they have found the child touching himself many times, but both of them have ignored it. They said that talking about one's private parts is not a part of the family's conversation and thought that the child would learn such things by himself, as time passed, just like they did during their growing years. They explained that they do not know how to teach a child about such things. They also said that there are no specific names for private parts in the local language and even if they have to talk about such things, they will not know how to.

अध्याय **8:** बच्चों और किशोरों में यौन विकास

प्रकरण **1:** जॉनी

शहर के बाहरी इलाके में एक सह-शैक्षिक विद्यालय में, एक शिक्षिका ने शरीर की संरचना (एनाटोमी) पर एक पोस्टर लगाया। जॉनी नाम का एक छोटा बच्चा, जो पहली कक्षा में पढ़ता है, स्कूल से पहले और बाद में, हर दिन उस तस्वीर में यौनांग क्षेत्र को छूता हुआ देखा जाता है। कक्षा की शिक्षिका ने कई बार यह देखा और बच्चे को डांट मारते हुए कहा कि वह जो कर रहा है वह गलत है और उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए। फिर उन्होंने उसके माता-पिता से संपर्क किया, जिन्हें भी यह सुनकर अच्छा नहीं लगा।

उन्होंने शिक्षिका से कहा कि वे "घर पर ऐसी चीज़ों के बारे में कभी बात नहीं करते।" उन्होंने बताया कि टेलीविज़न पर कार्यक्रम देखते समय भी, वे यौन दृश्यों के आने पर हमेशा चैनल बदल देते हैं, और उन्हें समझ

नहीं आ रहा कि उनके बच्चे ने "ऐसी चीज़ें" कहाँ से सीखीं। शिक्षिका उन्हें बताती है कि स्कूल भी शिक्षकों को छात्रों के साथ "ऐसी चीज़ों" के बारे में बात करने के लिए बढ़ावा नहीं देता है।

शिक्षिका ने लड़के से अलग से बात की तो उसने बताया कि वह हर थोड़ी देर में अपने 'पी पी' (यौनांग) को छूता है और ऐसा करना "अच्छा लगता है।" उसने बताया कि उसके माता-पिता ने उसे ऐसा करते हुए कई बार देखा है, लेकिन उन्होंने इस बात पर उसे कभी डांटा नहीं या यह नहीं बताया कि ऐसा करना सही है या गलत है – वे बस अपना काम करते रहते हैं, और उसके खुद को छूने को अनदेखा कर देते हैं। उसे लगा कि तस्वीर में दिखाए यौनांगों को छूना, जिसमें उसके जैसी ही 'पी पी' है, तस्वीर में मौजूद व्यक्ति को भी अच्छा महसूस कराएगा!

शिक्षिका आपको, स्कूल काउंसलर (एक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता) को, स्थिति को संभालने के लिए बुलाती है। जब आप बच्चे के माता-पिता से विस्तार से बात करते हैं, तो आपको पता चलता है कि उन्होंने उसे कई बार खुद को छूते हुए देखा है, लेकिन उन दोनों ने इसे अनदेखा किया है। उन्होंने कहा कि निजी अंगों के बारे में बात करना परिवारिक बातचीत का हिस्सा नहीं है, और उन्हें लगा कि जॉनी समय के साथ ऐसी चीजें खुद ही सीख जाएगा, जैसे उन्होंने खुद बड़े होते हुए सीखी थी। उन्होंने बताया कि वे नहीं जानते कि बच्चे को ऐसी बातें कैसे सिखाई जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी भाषा में निजी अंगों के लिए कोई विशिष्ट नाम नहीं हैं और अगर उन्हें ऐसी चीज़ों के बारे में बात करनी भी पड़े, तो उन्हें पता ही नहीं कि कैसे करें।

Suggested Questions for Reflection and Discussion on Case of Johnny

1. As a social worker, what do you yourself think about Johnny's behaviour?
2. Who should talk to the child to explore the situation further, and to rule out the possibility of the child being sexually abused?
3. What would you like the child to understand about this behaviour? How would you support the child in learning about sexual development in an age appropriate manner?
4. How will you sensitize and educate the parents about this topic?

जॉनी के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल

1. एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप जॉनी के व्यवहार के बारे में क्या सोचते हैं?
2. इस स्थिति को और बेहतर समझने के लिए और लैंगिक शोषण की संभावना को ख़ारिज करने के लिए, बच्चे से किसे बात करनी चाहिए?
3. आप बच्चे को इस व्यवहार के बारे में क्या समझाना चाहेंगे? आप उसे उसकी उम्र के अनुसार यौन विकास के बारे में सीखने में किस तरह सहयोग देंगे?
4. आप बच्चे के माता-पिता को इस विषय पर कैसे जागरूक और संवेदनशील बनाएंगे?

Suggested Activities

Activity 1

Reflect on your own childhood and adolescence and identify experiences you had related to conversations about sex and sexuality. As a trained social worker who is an adult, how comfortable are you talking about these aspects of human life with other people? If you are comfortable, share

these in the class and discuss the reasons why most people do not talk about sex and sexuality openly.

गतिविधि

गतिविधि **1:**
अपने खुद के बचपन और किशोरावस्था पर विचार करें, और सेक्स और यौनिकता से जुड़े संवाद के अपने अनुभवों को याद करें। एक प्रशिक्षित और वयस्क सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, आप मानव जीवन के इन पहलुओं पर दूसरों के साथ बात करने में कितना सहज महसूस करते हैं? यदि आप सहज महसूस करते हैं, तो कक्षा में अपने अनुभव साझा करें और इस पर चर्चा करें कि समाज में अधिकतर लोग सेक्स और यौनिकता पर खुलकर बात क्यों नहीं करते।

Activity 2:

Reflect on what aspects of reproductive health that you yourself need to grow in - (knowledge, attitudes and skills), in order to become more self-aware and to also provide more effective social services to individuals, families and communities you may be working with.

गतिविधि **2:**
विचार करें - अपनी आत्म-समझ को बढ़ाने के लिए और जिन व्यक्तियों, परिवारों, और समुदायों के साथ आप काम करेंगे उन्हें और ज़्यादा प्रभावशाली सेवाएँ देने के लिए, प्रजनन स्वास्थ्य के कौन-से पहलुओं में आपको खुद को और बेहतर करने की ज़रूरत है (जैसे कि जानकारी, सोच, व्यवहार, और कौशल)?

Activity 3:

Work in groups and discuss and plan a session on sex and sexuality for children of different developmental ages and different genders.
Similarly, develop a plan on personal safety and sexuality for adults of different genders.

गतिविधि **3:**

समूह में मिलकर अलग-अलग उम्र और विभिन्न जेंडर के बच्चों के लिए सेक्स और यौनिकता पर एक जानकारी सत्र की चर्चा करें और उसकी योजना बनाएं।

इसी तरह, अलग-अलग जेंडर के वयस्कों के लिए भी व्यक्तिगत सुरक्षा और यौनिकता पर एक सत्र की योजना तैयार करें।

Annexure 8: Additional Core Messages for Case of Johnny

1. The hesitance to name or talk about genitals or to discuss sexuality with children is seen throughout India. A majority of parents' and teachers' react to children's curiosity or exploration of sexuality, by communicating messages to children that it is wrong. As in this scenario above, most parents simply ignore it. Telling children that sexuality or curiosity about their bodies or others' bodies is 'wrong' or 'dirty' or 'shameful' can possibly cause a lot of emotional and psychological harm. Sexual predators are known to avoid grooming

children who know the names of their private parts, as it indicates that the child is aware of body parts and is likely to report any unsafe touch or behaviour to trusted adults.

2. Encouraging everyone, including children, the families, teachers and others to talk openly and respectfully about all parts of the body, including the genitalia parts, as well as about safe and unsafe touch, will enable them to respect all parts of the human body and shed the sense of awkwardness or shame that most people experience when talking about genitalia.
3. Please consider referring to the video on 'How to talk with a child when there is suspicion of sexual abuse' by Dr Shaibya Saldanha in Enfold's video series that accompanies this learning package. This resource is helpful in enabling children and adults to talk about and also report any unsafe or harmful sexual behaviour they encounter.

परिशिष्ट **8:** जॉनी के प्रकरण से जुड़े अतिरिक्त मुख्य संदेश

1. बच्चों के सामने यौनांगों के नाम लेने या उनसे इस बारे में बात करने में, और यौनिकता पर खुलकर चर्चा करने में झिझक पूरे भारत में देखी जा सकती है। यौनिकता के बारे में बच्चों की जिज्ञासा और खोज के प्रति अधिकतर माता-पिता और शिक्षकों की प्रतिक्रिया यह होती है कि वे बच्चे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बताते हैं कि यह गलत है। जैसे ऊपर दिए गए प्रकरण में दिखाया गया है, अधिकतर माता-पिता ऐसे व्यवहार को बस अनदेखा कर देते हैं। बच्चों को यह बताने से कि यौनिकता या अपने शरीर या दूसरों के शरीर के प्रति जिज्ञासा रखना "गलत", "गंदा" या "शर्मनाक" है, उन्हें भावनात्मक और मानसिक नुकसान पहुँच सकता है। लैंगिक शोषण करने वाले अपराधी उन बच्चों को निशाना बनाने से बचते हैं जो अपने निजी अंगों (प्राइवेट पार्ट्स) के नाम जानते हैं, क्योंकि यह इस बात की ओर इशारा करता है कि बच्चा अपने शरीर के बारे में जागरूक है और किसी भी गलत या असुरक्षित स्पर्श या व्यवहार के बारे में किसी भरोसेमंद वयस्क को बता सकता है।
2. बच्चों, परिवार के सदस्यों, शिक्षकों और बाकि सभी अन्य लोगों को यौनांगो सहित सभी शरीर के अंगों के बारे में, साथ ही सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में, खुलकर और सम्मानजनक तरीके से बातचीत करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। इससे सभी अपने शरीर के हर हिस्से का सम्मान करना सीखेंगे और यौनांगों के बारे में बात करते समय जो शर्म या असहजता महसूस होती है, वह भी धीरे-धीरे खत्म होगी।
3. आपसे अनुरोध है कि इन्फ़ोल्ड के इस लर्निंग पैकेज के साथ उपलब्ध वीडियो सीरीज़ में डॉक्टर शाइब्या सल्दान्हा द्वारा बनाए गए वीडियो, "जब बच्चे के साथ लैंगिक शोषण का शक हो तो उससे कैसे बात करें" को ज़रूर देखें। किसी भी असुरक्षित या नुकसानदायक यौन व्यवहार की रिपोर्ट करने में यह वीडियो बच्चों और बड़ों दोनों की मदद करेगी।

Case 2: Sajida and Salim

Roy, a young male social worker, is staying as a guest with a family in a village, while doing a field survey for his research. The owner of the house is Ahmed, who is a close childhood friend of Roy's uncle in the nearby city. Ahmed's daughter Sajida -a single parent who has completed her graduation, lives in the house along with her three children, the oldest being a 10 year old boy Salim. Sajida also works as an accountant in the NGO that has accepted Roy as an intern. On many occasions Roy noticed Salim touching his genitals, sometimes even in front of guests. The mother had also noticed this and had scolded her son on several occasions, telling him to stop doing this.

Over a period of time, Roy built a good rapport with Sajida. He casually picked up a conversation about this with Sajida, and though initially she was awkward to talk about this topic, she explained to him that she cannot supervise all her children all the time, since her father is aged and ailing, and she is the only breadwinner for the family. She shared that she did not know what to make of her child's behaviour, and so she thinks that the best thing is to scold and beat the child. None of her close relatives live nearby, so she is not able to discuss these awkward things with anyone in person, even when she is free.

प्रकरण 2: साजिदा और सलीम

रॉय, एक युवा पुरुष सामाजिक कार्यकर्ता, अपने शोध के लिए फ़ील्ड सर्वेक्षण के दौरान, एक गाँव के एक परिवार के साथ मेहमान के रूप में रह रहा है। घर के मालिक अहमद हैं, जो पास के शहर में रह रहे रॉय के चाचा के बचपन के करीबी दोस्त हैं। अहमद की बेटी साजिदा, एक अकेली माँ जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है, अपने तीन बच्चों के साथ उसी घर में रहती है। उसका सबसे बड़ा बच्चा 10 साल का सलीम है। साजिदा उसी एन.जी.ओ. में एकाउंटेंट के रूप में काम करती है जहाँ रॉय इंटर्न है। रॉय ने कई बार सलीम को अपने यौनांगों को छूते हुए देखा, और कभी-कभी तो उसे ऐसा मेहमानों के सामने करते हुए भी पाया। साजिदा ने भी यह देखा और कई मौकों पर अपने बेटे को डांटते हुए ऐसा करने से मना किया।

समय के साथ, रॉय की साजिदा के साथ अच्छी तालमेल बन गई। उसने धीरे से साजिदा के साथ इस बारे में बात छेड़ी। शुरू में वह इस विषय पर बात करने में झिझक रही थी, लेकिन फिर उसने उसे समझाया कि वह हर समय अपने सभी बच्चों की निगरानी नहीं कर सकती। उसके पिता बूढ़े और बीमार हैं, और वह अकेले घर को चलाने के लिए कमाती है। उसने बताया कि उसे नहीं पता कि वह अपने बच्चे के इस बर्ताव के बारे में क्या सोचे, और इसलिए उसे लगता है कि इस स्थिति में सही कदम बच्चे को डांटना और मारना है। उसके कोई भी करीबी रिश्तेदार पास में नहीं रहते हैं, इसलिए वह समय मिलने पर भी इन झिझक वाली बातों पर किसी से मिलकर चर्चा नहीं कर पाती है।

Suggested Questions for Reflection and Discussion on the Case of Sajida and Salima

1. Is it developmentally appropriate for a ten year old child to be touching her genitals in public?
2. If you were Roy, would you pick up a conversation about sexuality with the mother? If so why, if not why not? What else could you do to enable the mother to gain the understanding and skills she needs to resolve this?
3. If you were Roy and you are female, how would you discuss sexual development of children with the mother? How will you empower the mother to help the child comprehend the difference between public and private behaviours and support the child in understanding that touching one's genitals is not wrong but is best done in private?
4. Which Case Work principles would you apply while working with the mother, if she was your client? Explain
5. What would it mean to engage in Child-Centred Social Work with the ten year old son, if he was your client?

साजिदा और सलीम के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल

1. क्या दस साल के बच्चे का किसी सार्वजनिक जगह पर अपने यौनांगों को छूना विकास की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है?
2. अगर आप रॉय होते, तो क्या आप साजिदा से यौनिकता पर बात शुरू करते? अगर हाँ, तो क्यों? अगर नहीं, तो क्यों नहीं? इस स्थिति को संभालने के लिए ज़रूरी समझ और कौशल विकसित करने में आप साजिदा की और कैसे मदद कर सकते हैं?
3. अगर आप रॉय की जगह होते लेकिन एक महिला होते, तो आप साजिदा से बच्चों के यौन विकास के बारे में किस तरह चर्चा करते? आप साजिदा को किस तरह सशक्त बनाते ताकि वह अपने बच्चे को सार्वजनिक और निजी व्यवहार के फ़र्क के बारे में समझा सके, और साथ ही यह भी समझा सके कि अपने यौनांग को छूना गलत नहीं है, पर यह एक निजी व्यवहार है जो अकेले में ही किया जाना चाहिए।
4. अगर साजिदा आपकी क्लाइंट होती तो उसके साथ काम करते समय आप केस वर्क के कौन से सिद्धांत अपनाते? विस्तार से बताएं।
5. अगर दस साल का वह बच्चा आपका क्लाइंट होता, तो बाल-केंद्रित (चाइल्ड-सेंट्रिक) सामाजिक कार्य करने में क्या क्या शामिल होता?

Annexure 8: Additional Core Messages on the Case of Sajida and Salima
Please refer to the sections on **Sexual development from 9 - 12 years in the Book for core messages.** In addition, the following points need to be borne in mind.

As a social worker, one must be conscious of cultural and social etiquette, particularly with regard to engaging in conversations that may be perceived erroneously and cause harm to the people one is working with. In this case scenario, one may have to tread carefully while initiating conversations around sex and sexuality, bearing in mind the urban-rural differences, cultural differences, gender differences, differences in religious beliefs and customs, and even the marital status of Sajida and Roy. Moreover, Roy is staying as a guest - he is not in a professional relationship with Sajida. It may therefore be preferable for Roy to consider encouraging Sajida to speak about this with another worker in the NGO that they are both working in, someone who Sajida is comfortable with.

परिशिष्ट **8:** साजिदा और सलीम के प्रकरण से जुड़े अतिरिक्त मुख्य संदेश

कृपया 9 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चों में यौन विकास पर रेफ़रेन्स बुक में दिए गए भाग को पढ़ें, जहाँ इस विषय के मुख्य संदेश दिए गए हैं। साथ ही, नीचे दिए गए बिंदुओं का ध्यान रखना ज़रूरी है।

एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यह ज़रूरी है कि आप सांस्कृतिक और सामाजिक मर्यादाओं के प्रति जागरूक रहें, खासकर ऐसे विषयों पर बातचीत करते समय जो गलत समझे जा सकते हैं या जिनसे जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुँच सकता है। इस प्रकरण में सेक्स और यौनिकता जैसे विषयों पर बात शुरू करते समय बहुत सोच-समझकर आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें शहरी और ग्रामीण सोच का अंतर, सांस्कृतिक भिन्नता, जेंडर में अंतर, धार्मिक विश्वासों और परंपराओं का अंतर, और साजिदा व रॉय की वैवाहिक स्थिति का फ़र्क भी शामिल है। इसके अलावा रॉय इस घर में एक मेहमान के रूप में रह रहा है, साजिदा के साथ उसका संबंध व्यावसायिक नहीं है। ऐसे में यह ज़्यादा बेहतर होगा कि रॉय साजिदा को

प्रोत्साहित करे कि वह इस विषय पर उनकी एन.जी.ओ. में किसी अन्य कार्यकर्ता से बात करे जिसके साथ वह सहज महसूस करती हो।

Chapter 9: Attitude towards Sexuality

अध्याय 9: यौनिकता के प्रति दृष्टिकोण

Case 1: Ibrahim (i)

Ibrahim has been invited by his friends to go on a drive. After driving around for a while, some of his friends say, " Let's show Ibrahim some interesting sites every young man should know." Ibrahim realises that they intend to take him to an area known as the hub for commercial sex workers. He is uncomfortable and does not want to go. Some of his companions say, "Come on, be a man!" and "Don't be a baby!" The teasing and bullying continues over months.

प्रकरण 1: इब्राहिम (i)

इब्राहिम को उसके दोस्त गाड़ी में घूमने के लिए बुलाते हैं। थोड़ी देर इधर-उधर घूमने के बाद, उसके कुछ दोस्त बोलते हैं, "चलो, इब्राहिम को कुछ ऐसी जगह दिखाते हैं, जहाँ हर जवान लड़के को एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए।" इब्राहिम को समझ आ गया कि वे उसे उस इलाके में ले जाना चाहते हैं जो वाणिज्यिक यौन कार्य (कमर्शियल सेक्स वर्क) के लिए जाना जाता है। वह बहुत असहज महसूस करने लगता है, और वह वहाँ नहीं जाना चाहता। उसके दोस्त उसे "अरे! मर्द बन!" और "बच्चा है क्या!" जैसी बाते कहने लगते हैं। महीनों तक उनका इब्राहिम को चिढ़ाना और तंग करना चलता रहा।

Suggested Questions for Reflection and Discussion on the Case of Ibrahim (i):

1. If Ibrahim had come to your NGO requesting for assistance to help him deal with his anxiety related to this particular event, what social work interventions would you consider?

इब्राहिम (i) के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल:

1. अगर इब्राहिम आपकी एन.जी.ओ. में आकर इस घटना से जुड़ी चिंता और घबराहट के लिए मदद मांगता, तो आप सामाजिक कार्य के कौन से हस्तक्षेप (इंटरवेंशन) का इस्तेमाल करते?

Annexure 9: Additional Core Messages on the Case of Ibrahim (i)

In this scenario, Ibrahim will have to make a decision and take a stance on his own rather than succumbing to peer pressure. It means he should be aware of how to stand up to peer pressure and be assertive. People like Ibrahim could be supported to make independent decisions based on their own beliefs and value systems, and taught to gain affirmation from within rather than depending on it from peers or the wider society even at the cost of one's mental peace.

परिशिष्ट 9: इब्राहिम (i) के प्रकरण से जुड़े अतिरिक्त मुख्य संदेश

इस स्थिति में, इब्राहिम को उसके साथियों के दबाव में आने की बजाये खुद फ़ैसला लेना होगा और उस पर अडिग रहना होगा। इसके लिए उसे पता होना चाहिए कि साथियों के दबाव (पियर प्रेशर) का सामना कैसे करें

और दृढ़ता से अपनी बात कैसे रखें। इब्राहिम जैसे लोगों को अपनी मान्यताओं और मूल्यों के आधार पर आत्मनिर्भरता से फ़ैसले लेने में सहयोग दिया जा सकता है। साथ ही, उन्हें यह भी सिखाया जा सकता है कि साथियों या समाज पर निर्भर ना होकर और अपने अंतर्मन की शांति को भंग किये बिना वे कैसे अपने अंदर ही आत्म-पुष्टि पा सकते हैं।

Suggested Activities

Activity 1

Request students to work in groups and do a role play to demonstrate assertive behaviour using this case scenario.

गतिविधि

गतिविधि **1:**

छात्रों को कहें कि वे समूहों में काम करें और इस प्रकरण के आधार पर आत्मविश्वास और निश्चयात्मक व्यवहार (असेर्टिव व्यवहार) को दर्शाते हुए एक रोल प्ले करें।

Activity 2:

Plan a workshop for children or young people of different ages and genders on assertive behaviour, preferably using similar case scenarios that also help generate deeper awareness and ability in dealing with situations relating to sex and sexuality.

गतिविधि **2:**
अलग-अलग उम्र और विभिन्न जेंडर के बच्चों और युवाओं के लिए आत्मविश्वास और निश्चयात्मक व्यवहार पर एक कार्यशाला (वर्कशॉप) की योजना बनाएं। बेहतर होगा कि इसमें ऐसे ही प्रकरण के उदाहरणों को शामिल करें, जो यौन-क्रिया (सेक्स) और यौनिकता से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाएं और उनका सामना करने की क्षमता को विकसित करें।

Activity 3:

Request students to do internet searches to identify academic articles or videos prepared by organizations working to promote healthy attitudes towards sexuality, that help build a better understanding of the way adults with disability, older adults, sexual minorities, or sex workers experience their sexuality. Request the students to critique these articles/videos and facilitate class-room discussion on the same. Create safe spaces using Restorative Circle elements to enable sharing of the shift in perspectives and attitudes on these topics.

गतिविधि **3:**

छात्रों से कहें कि वे इंटरनेट पर ऐसे अकादमिक लेख या वीडियो ढूंढें, जो यौनिकता के बारे में सही और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने पर काम कर रही संस्थानों द्वारा बनाए गए हों, और जो विकलांग वयस्कों, बुज़ुर्ग व्यक्तियों, यौनिक अल्पसंख्यक लोगों (जैसे एल.जी.बी.टी.क्यू.आई+ (LGBTQI+) लोग) या सेक्स वर्कर्स के यौनिकता के अनुभवों की समझ को गहरा करने में मदद करते हों। छात्रों से इन लेखों/वीडियो का

विश्लेषण करने को कहें और इन पर कक्षा में चर्चा करें। पुनर्स्थापनात्मक वृत्त के माध्यम से एक सुरक्षित माहौल बनाएं ताकि इन विषयों पर छात्रों के विचारों और नज़रियों में आए बदलाव पर खुल के बात हो सकें।

Case 2: Ibrahim (ii)

In another version of the above scenario, Ibrahim visits a sex worker but later feels guilty about it and comes to you for advice. He is also upset with his friends for having forced him to accompany them.

प्रकरण **2:** इब्राहिम **(ii)**

ऊपर दिए गए प्रकरण के एक दूसरे परिदृश्य में, इब्राहिम एक सेक्स वर्कर के पास जाता है, लेकिन बाद में उसे अपराधबोध महसूस होता है और वह सलाह लेने आपके पास आता है। वह अपने दोस्तों से भी नाराज़ है, क्योंकि वे उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए थे।

Suggested Questions for Reflection and Discussion on the Case of Ibrahim

1. What would you discuss with Ibrahim to support him to resolve this challenge he is facing ?

इब्राहिम के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सवाल

1. इस समस्या के समाधान में इब्राहिम की मदद करने के लिए आप उससे किन बातों पर चर्चा करेंगे?

Annexure 9: Additional Core Messages for the Case of Ibrahim (ii)

Consider assisting Ibrahim to reflect on his personal values and religious beliefs while also explaining the law relating to sex work in India, drawing from the sections on Law on Sex Work, and Sex for Money in Chapter 9 of the Book. Enable Ibrahim to gain clarity on how he chooses to lead his life, and to gain the confidence he needs to stand by his own beliefs and choices, whatever they may be, as long as he is not violating the rights of other people.

परिशिष्ट **9:** इब्राहिम **(ii)** के प्रकरण से जुड़े मुख्य संदेश

इब्राहिम को उसके खुद के मूल्यों और धार्मिक मान्यताओं पर विचार करने में उसकी मदद करें। साथ ही, भारत में सेक्स वर्क से जुड़े कानूनों के बारे में भी उसे समझाएं। इस विषय पर रेफ़रेन्स बुक के अध्याय 9 में दिए गए भाग 'सेक्स वर्क पर कानून' और 'पैसों के लिए सेक्स' का सन्दर्भ लें। इब्राहिम को यह समझने में मदद करें कि वह अपनी ज़िन्दगी किस तरह जीना चाहता है। साथ ही, उसे आत्मविश्वास दिलाने में मदद करें ताकि वह अपने खुद के विचारों और फ़ैसलों पर डटा रहे, चाहे वे कुछ भी हों, जब तक वे किसी दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहे हों।

Case 3: Ibrahim (iii)

In the above scenario, Ibrahim comes to you to discuss his urge to visit a sex worker.

प्रकरण **3:** इब्राहिम **(iii)**

इस प्रकरण में, इब्राहिम किसी सेक्स वर्कर के पास जाने की उसकी तीव्र इच्छा के बारे में आपसे बात करने आता है।

Suggested Question for Reflection and Discussion on the Case of Ibrahim (iii)

1. What would you discuss with Ibrahim?

इब्राहिम **(iii)** के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सवाल

1. आप इब्राहिम से क्या बात करेंगे?

Annexure 9: Additional Core Messages for the Case of Ibrahim (iii)
Consider assisting Ibrahim to reflect on his personal values and religious beliefs while also explaining the law relating to sex work in India, drawing from the sections on Law on Sex Work, and Sex for Money in Chapter 9 of the Book. Enable Ibrahim to gain a better understanding of sex and sexuality and how he may choose to respond to these sexual urges. Help him gain the confidence he needs to stand by his own beliefs and choices, whatever they may be, as long as he is not violating the rights of other people.

परिशिष्ट **9:** इब्राहिम **(iii)** के प्रकरण के लिए मुख्य बातें

इब्राहिम को उसके खुद के मूल्यों और धार्मिक मान्यताओं पर विचार करने में उसकी मदद करें। साथ ही, भारत में सेक्स वर्क से जुड़े कानूनों के बारे में भी उसे समझाएं। इस विषय पर रेफ़रेन्स बुक के अध्याय 9 में दिए गए भाग 'सेक्स वर्क पर कानून' और 'पैसों के लिए सेक्स' का सन्दर्भ लें। सेक्स और यौनिकता की बेहतर समझ पाने में और यह समझने में कि वह यौन-सम्बंधित इच्छाओं के बारे में क्या कर सकता है, इब्राहिम की मदद करें। साथ ही, उसे आत्मविश्वास दिलाने में मदद करें ताकि वह अपने खुद के विचारों और फ़ैसलों पर डटा रहे, चाहे वे कुछ भी हों, जब तक वे किसी दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहे हों।

Case 4: Adhila and Aaditi

Adhila and Aaditi, both just over 18 years of age, are talking to some of their close friends. Most of them have had sex and are therefore teasing Adhila and Aaditri about them waiting for the 'right' time. A few of them make remarks like "you are both so goody goody!" One friend taunts the girl saying - "I'm sure you are frigid!"

प्रकरण **4:** आदिला और आदिति

आदिला और आदिति, दोनों की ही उम्र 18 साल से थोड़ी ऊपर है। वे अपने कुछ करीबी दोस्तों से बात कर रही हैं। उन दोस्तों में से ज़्यादातर सेक्स कर चुके हैं, इसलिए वे आदिला और आदिति को इस बात पर चिढ़ा रही हैं कि वे अभी तक 'सही समय' का इंतज़ार कर रही हैं। कुछ दोस्त टिप्पणी देते हुए कहती हैं, "तुम दोनों तो बहुत सीधे-साधे हो!" एक दोस्त तो यह ताना मारती है कि "तुम सेक्स के मामले में ठंडे हो (फ्रिजिड हो)!"

Suggested Questions for Reflection and Discussion on the Case of Adhila and Aaditi:

1. If Adhila and Aaditi came to your agency for help in handling this situation, what would you do to assist them?
2. What is the influence of media on young people, - especially given the absence of open discussion on sexuality with adolescents in most cultures in India?

आदिला और आदिति के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सवाल

1. अगर इस स्थिति को संभालने के लिए आदिला और आदिति आपकी संस्था में मदद के लिए आतीं, तो आप उनकी मदद के लिए क्या करते?

2. मीडिया का युवाओं पर क्या असर पड़ता है – खासकर तब, जब भारत की ज़्यादातर संस्कृतियों में किशोरों से यौनिकता पर खुलकर बातचीत नहीं की जाती?

Annexure 9: Additional Core Messages on Case of Aadhila and Aaditi

1. Engaging in sexual activities should always be one's personal choice, and undertaken with both partners articulating their wish and informed consent. Yet many young adults feel pressured to enter into sexual relationships. Phrases such as "you are just afraid," "why not, everyone is doing it," "Do it, or goodbye," etc., are some ways in which this peer pressure manifests. It is important to impart the understanding that one should build one's self-esteem and practice assertive behaviour to counter such pressure.

2. Sometimes this pressure is replaced by threats of violence such as "I can hurt you and post pictures of you naked online, if you don't", "You owe me because I helped you when you were in trouble" etc. Creating awareness of how to protect oneself against such violence or threats of violence, and how to take action against people who try to force themselves on someone is crucial.

परिशिष्ट **9:** आदिला और आदिति के प्रकरण से जुड़े मुख्य संदेश

1. यौन क्रियाएं करना किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत फ़ैसला होना चाहिए। शामिल दोनों लोगों को उनकी इच्छा और पूर्ण जानकारी के साथ सहमति को व्यक्त करना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर युवाओं को यौन संबंध बनाना शुरू करने का दबाव महसूस होता है। साथियों का दबाव कुछ इस तरह के वाक्यांशों के रूप में ज़ाहिर होता है - "तुम ख़्वाह-मख़्वाह डर रही/रहे हो", "सभी तो यह कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं?", "अगर नहीं किया तो मैं तो तुम्हें छोड़ रहा/रही हूँ"। यह समझना ज़रूरी है कि ऐसे दबाव का सामना करने के लिए व्यक्ति को आत्मविश्वास बनाना और दृढ़ता से अपनी बात कहना सीखना चाहिए।
2. कई बार यह दबाव धमकी में बदल जाता है, जैसे - "अगर नहीं माना/मानी तो तेरी अश्लील तस्वीरें वायरल कर दूंगा/दूंगी", "जब तुम मुसीबत में थे, तो मैंने तुम्हारी मदद की थी, तो तुम ऐसे एहसान चुका दो" – इस तरह की हिंसा और हिंसा की धमकियों से खुद को बचाने के तरीकों, और किसी के ज़बरदस्ती करने पर उसके खिलाफ़ कार्रवाई करने की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता फ़ैलाना बेहद ज़रूरी है।

Case 5: Shweta

Shweta was brought up in a family where sex is not a topic of discussion. However, over time, she received comprehensive sexuality education while studying in a college where such workshops were organised. She is grateful for such workshops and wishes such topics had been introduced earlier during her school days. At one such workshop the participants were asked to go to a pharmacy and purchase a packet of condoms. She was a little awkward about it but at the same time she was also curious to see what would happen in the shop.

She went to a well-known pharmacy and asked for a condom in a very matter of fact tone of voice. The people around her started staring at her. The pharmacist on the other hand did not say a word, and did not look at her, pretending to be busy. What the pharmacist did was a surprise. He brought a roll of cotton instead and gave it to her. Shweta corrected him on what she wanted, but he suddenly declared that the pharmacy did not have any more condoms, even though she could see them on the upper shelf. She was surprised at the reaction and left without saying anything more.

प्रकरण **5:** श्वेता

श्वेता एक ऐसे परिवार में बड़ी हुई थी, जहाँ सेक्स के बारे में कभी बात नहीं होती थी। लेकिन कॉलेज में पढ़ते समय उसे व्यापक यौनिकता शिक्षा सीखने का मौका मिला क्योंकि वहाँ इन विषयों पर कार्यशाला (वर्कशॉप) आयोजित होती थी। वह इन वर्कशॉप के प्रति आभार महसूस करती है, और सोचती है कि काश ऐसी बातें उसे स्कूल से ही सिखाई जातीं। एक ऐसी ही वर्कशॉप में, प्रतिभागियों को दवाइयों की दुकान (फ़ार्मेसी) जाकर कंडोम का एक पैकेट खरीदने को कहा गया। श्वेता को थोड़ी झिझक महसूस हुई, लेकिन साथ ही उसे इस बात की जिज्ञासा भी थी कि दुकान में क्या होगा।

वह एक जानी-मानी फ़ार्मेसी पर गई और उसने सीधे-सपाट अंदाज़ में कंडोम मांगा। आस-पास खड़े लोग उसे हैरानी से देखने लगे। दुकानदार (फ़ार्मासिस्ट) ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा, उसकी तरफ़ देखा तक नहीं, और ऐसा दिखाने लगा कि वह बहुत व्यस्त है। उसके बाद उसने जो किया, वह हैरानी भरा था। उसने कंडोम की जगह रुई का रोल लाकर उसे दे दिया। श्वेता ने उसकी गलती को सही करते हुए दोहराया कि उसे कंडोम चाहिए। इस पर दुकानदार ने अचानक से बोला कि सारे कंडोम खत्म हो गए हैं, जबकि श्वेता को वे ऊपर शैल्फ़ पर रखे हुए दिखाई दे रहे थे। श्वेता को उसकी प्रतिक्रिया पर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह कुछ और कहे बिना वहाँ से लौट आई।

Suggested Questions for Reflection and Discussion on Case of Shweta

1. Was it right on the pharmacist's part to refuse to sell her a condom? Would the pharmacist have behaved in the same way if the buyer was a male of the same age?

श्वेता के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सवाल

1. क्या दुकानदार का श्वेता को कंडोम बेचने से मना करना सही था? अगर श्वेता की जगह उसी उम्र का कोई लड़का कंडोम मांगता, तो क्या दुकानदार का बर्ताव वैसा ही होता?

Suggested Activities

Activity 1

Design a poster or an advertisement on access to reproductive health, which could be pasted on the walls of pharmacies.

गतिविधि

गतिविधि **1**
प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं पर एक पोस्टर या विज्ञापन बनाएं, जिसे दवाई की दुकानों (फ़ार्मेसी) की दीवारों पर लगाया जा सके।

Activity 2

Do a mini-research to identify organizations (Government and Non-Government organizations that conduct comprehensive sexuality education in India, and share this with your co-workers, NGO networks and the District Child Protection Unit, requesting them to publicize this information. Consider co-organizing workshops for women and girls in partnership with them.

गतिविधि **2**
भारत में व्यापक यौनिकता शिक्षा प्रदान करने वाली सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) की जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक छोटा-सा शोध करें। यह जानकारी अपने सहकर्मियों, एन.जी.ओ. नेटवर्क और ज़िला बाल संरक्षण इकाई (डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट) को भी दें, और उनसे इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का अनुरोध करें। इन संस्थाओं के साथ मिलकर महिलाओं और लड़कियों के लिए वर्कशॉप आयोजित करने के बारे में सोचें।

Activity 3

Do a mini research to understand the policy and legal framework pertaining to reproductive health for women and girls in India.

गतिविधि **3**
भारत में महिलाओं और लड़कियों के प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े कानूनी और नीतिगत नियमों को समझने के लिए एक छोटा-सा शोध करें।

Case 6: Piya

Piya is a 30-year-old sex worker who had run away from a violent husband, who hailed from another community. Her family had disowned her. She chose to migrate to Kolkata, and over time, decided to engage in sex work in order to survive. She has two children. You are a social worker from an NGO that works with sex-workers. She shared “I am regularly beaten up by the pimp who runs the brothel. I have lost contact with my relatives as they always judge me for the work I do. They don’t realize that without any education or other skills, I have no choice but to do this work. I am poor and I have to support my children. Society also looks down on women working in this profession - they don’t realize that it is women like us who are the first-responders against child-trafficking and human trafficking.”

प्रकरण **6:** पिया

पिया 30 साल की एक सेक्स वर्कर है, जो अपने हिंसात्मक पति (जो कि एक दूसरे समुदाय से है) से तंग आकर घर से भाग गई थी। उसके परिवार ने भी उससे रिश्ता तोड़ दिया था। पिया ने कोलकाता आने का फ़ैसला लिया, और समय के साथ जीविका चलाने के लिए सेक्स वर्क करना शुरू कर दिया। उसके दो छोटे बच्चे हैं। आप सेक्स वर्कर्स के साथ काम कर रहे एक एन.जी.ओ. में सामजिक कार्यकर्ता हैं। पिया बताती है, "मुझे कोठे का दलाल (पिंप) अक्सर पीटता है। मेरा मेरे रिश्तेदारों से कोई संपर्क नहीं बचा है, क्योंकि वे मेरे काम की वजह से मेरी आलोचना करते हैं। वे नहीं समझते कि बिना पढ़ाई या किसी और कौशल के, मेरे पास इस काम के आलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं गरीब हूँ, और मेरे ऊपर अपने बच्चों को पालने की ज़िम्मेदारी है। समाज भी इस पेशे की औरतों को बुरी नज़र से देखता है। वे नहीं जानते कि हम जैसी औरतें ही बच्चों की तस्करी और मानव तस्करी के खिलाफ़ सबसे आगे खड़ी होती हैं।"

Suggested Questions for Reflection and Discussion on Case of Piya

1. What are your own thoughts, beliefs and attitudes towards sex work? Do you think it is a dignified profession?
2. How would you deal with challenges that you may face, if your personal beliefs contradict professional social work values and principles, and the human rights approach, when working as a social worker in an NGO for women, and a sex worker approached you for help?
3. Do you think that there is a violation of women's rights in this case? If yes, how can you intervene?
4. What suggestions would you give to Piya?
5. How do you think this attitude will affect Piya and her children in the long run? How can you equip her to manage this?
6. What are the structural root causes that may drive women into situations of vulnerability, wherein they may choose to become sex workers?
7. What would be your beliefs and attitudes is a woman chose sex work, not from a position of vulnerability, but as a profession without any other compulsions?
8. What has been the effect of the COVID-19 pandemic on vulnerable groups of women like Piya.

पिया के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सवाल

1. सेक्स वर्क को लेकर आपके खुद के क्या विचार, मान्यताएं, और दृष्टिकोण हैं? क्या आप इसे एक सम्मानजनक काम मानते हैं?

2. औरतों के लिए एन.जी.ओ. में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते समय कोई सेक्स वर्कर आपसे मदद मांगे, और अगर आपकी व्यक्तिगत सोच सामाजिक कार्य के मूल्यों और सिद्धांतों और मानव अधिकार दृष्टिकोण के विपरीत है, तो आप इससे आने वाली चुनौतियों को कैसे संभालेंगे?

3. क्या आपको लगता है कि इस मामले में महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? अगर हाँ, तो आप कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं?

4. आप पिया को क्या सुझाव देंगे?

5. यह नज़रिया आगे चलकर पिया और उसके बच्चों को कैसे प्रभावित कर सकता है? आप उसे इसका सामना करने के लिए कैसे सशक्त कर सकते हैं?

6. वे प्रणालीगत मूल कारण क्या हैं, जिनकी वजह से महिलाएं मजबूरी में आकर सेक्स वर्क करने को तैयार हो जाती हैं?

7. अगर कोई महिला अपनी मर्ज़ी से सेक्स वर्क को एक पेशा मानकर करती है (बिना किसी मजबूरी के), तो उस स्थिति में आपके क्या विचार और नज़रिए होंगे?

8. कोविड-19 महामारी ने पिया जैसी कमज़ोर स्थिति में रहने वाली महिलाओं को किस तरह प्रभावित किया है?

Suggested Activities

Activity 1 :
Do a mini research on the National Network of Sex Workers (NNSW) in India to better understand the situation of women sex workers and the activities that the network is undertaking to promote awareness and responsiveness to their needs and rights - see http://nnswindia.org/

गतिविधि

गतिविधि **1:**
भारत के नेशनल नेटवर्क ऑफ़ सेक्स वर्कर्स (एन.एन.एस.डब्लू.) पर एक छोटा-सा शोध करें, यह समझने के लिए कि भारत में महिला सेक्स वर्कर्स की स्थिति कैसी है, और यह नेटवर्क उनकी ज़रूरतों और अधिकारों के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने और उन पर काम करने के लिए क्या-क्या कर रहा है। इसके लिए आप http://nnswindia.org/ वेबसाइट देख सकते हैं।

Activity 2 :

Study the UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention \against Transnational Organized Crime, that has been adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000.[5]

गतिविधि **2:**
संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) द्वारा महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने, उसे खत्म करने और उसके अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल का अध्ययन करें। यह प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध पर कन्वेंशन को पूरा करता है, जिसे 15 नवंबर 2000 को जनरल असेंबली के रेसोल्यूशन 55/25 के तहत अपनाया और हस्ताक्षर, अनुसमर्थन और परिग्रहण के लिए उपलब्ध कराया गया था।

[5] https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx

Annexure 9: Additional Core Messages on Case of Piya

Sex work is legal in India. Some associated activities such as solicitation in public places, running a brothel, an adult profiting off another adult' sex work, etc., is illegal. However, sex work is predominantly considered a sin or shameful profession in India. Interestingly, it is usually only sex workers with whom this tag is associated with and not their clients who are predominantly cisgender men. Moreover, it is not recognised as a profession, despite it being the sole source of income for lakhs of people in India. As social workers, we need to reflect on our own beliefs, values and attitudes and work on our ability to apply the principle of Non-judgement, with all our clients. We also need to proactively seek supervision and guidance when faced with challenging situations such as when we are unable to work with a client who holds beliefs that may be very different from the ones we hold.

"The 7th Report of the Panel on Sex Work, constituted by the Supreme Court in the Budhadev Karmaskar v. State of West Bengal, Criminal Appeal No. 135 of 2010

included recommendations such as adopting community-based rehabilitation, i.e. alternatives that are not contingent on trafficked women staying in state-run 'homes' and also revising laws like the ITPA so as to distinguish between those coerced into sex work and those who engage in it voluntarily, so that interventions are tailored to those who need them."[6] Despite not being illegal, people engaged in sex work have no specific schemes that provide them with additional protection or welfare.

As per the National Network of Sex Workers, in India, "Anti-trafficking laws and policies must be under-girded by an understanding of structural issues like poverty, lack of equal opportunities and skewed development policies. The aspiration to move and access better living conditions forces persons to move in an unsafe manner and accept work in a criminalised environment for instance in sex work…"[7]

Based on this and any additional information on sex work and sex workers is India, discuss this topic and issues face by sex workers and their children further.

परिशिष्ट 9: पिया के प्रकरण से जुड़े अतिरिक्त मुख्य संदेश

भारत में सेक्स वर्क गैर-कानूनी नहीं है। लेकिन इससे जुड़ी कुछ गतिविधियाँ जैसे कि सार्वजनिक जगहों पर ग्राहकों को बुलाना, कोठा चलाना, या किसी और के सेक्स वर्क से पैसे कमाना – ये गैर-कानूनी हैं। फिर भी, भारत में सेक्स वर्क को एक कलंकित या शर्मनाक पेशा माना जाता है। हैरानी की बात यह है कि समाज में केवल सेक्स वर्कर को ही गन्दा माना जाता है, न कि उनके ग्राहकों को, जो अधिकतर सिसजेंडर पुरुष होते हैं। भारत में सेक्स वर्क लाखों लोगों की आजीविका का एकमात्र साधन है, इसके बावजूद इसे एक पेशे के रूप में नहीं स्वीकारा जाता। सामजिक कार्यकर्ताओं के रूप में हमें अपने खुद के विचारों, मूल्यों और नज़रियों की समीक्षा करनी चाहिए, और हर क्लाइंट के साथ काम करते समय गैर-आलोचनात्मक (नॉन-जजमेंट) का सिद्धांत अपनाना चाहिए। जब हम किसी क्लाइंट के साथ काम करने में खुद को असमर्थ पाते हैं, क्योंकि उनकी मान्यताएं हमारे विचारों से बहुत अलग हैं, तो ऐसी चुनौती-भरी स्थिति में हमें सक्रीय रूप से पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त करने की ज़रूरत है।

---

[6] Sex Work is Dignified Work, National Network of Sex Workers, available here http://nnswindia.org/upload/Sex-Workers-Against-Traffickers.pdf

सेक्स वर्क इज़ डिग्नीफाइड वर्क, नेशनल नेटवर्क ऑफ़ सेक्स वर्कर्स, यहाँ उपलब्ध है - http://nnswindia.org/upload/Sex-Workers-Against-Traffickers.pdf

[7] Ibid.

“बुद्धदेव कर्मस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, क्रिमिनल अपील नंबर 135, 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाये गए सेक्स वर्क पैनल की 7वी रिपोर्ट में शामिल कुछ सुझाव थे - तस्करी के पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा संचालित ‘होम्स’ के बजाय समुदाय-आधारित पुनर्वास के विकल्प को अपनाया जाना, साथ ही आई.टी.पी.ऐ. जैसे कानूनों में बदलाव लाना ताकि ज़बरदस्ती कराए गए सेक्स वर्क और स्वेच्छा से किए गए सेक्स वर्क में अंतर किया जा सके, ताकि हस्तक्षेप लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से किया जा सके।”[6] सेक्स वर्क के गैरकानूनी ना होने के बावजूद, सेक्स वर्क कर रहे लोगों की सुरक्षा या कल्याण के लिए कोई विशेष सरकारी योजना नहीं है।

नेशनल नेटवर्क ऑफ़ सेक्स वर्कर्स (एन.एन.इस.डब्लू.) के अनुसार, भारत में “तस्करी (ट्रैफ़िकिंग) रोकने के कानूनों और नीतियों को बनाते समय गरीबी, असमान अवसर, और असंतुलित विकास जैसे प्रणालीगत कारणों की समझ ज़रूरी है। आगे बढ़ने की लालसा और बेहतर जीवन की तलाश लोगों को असुरक्षित तरीके से पलायन करने और अवैध वातावरण (जैसे कि सेक्स वर्क) में काम करने को मजबूर करती हैं।”[7]

इसके आधार पर, और भारत में सेक्स वर्क व सेक्स वर्कर्स से जुड़ी अन्य जानकारी के आधार पर, इस विषय पर और सेक्स वर्कर्स व उनके बच्चों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें।

Chapter 10: Sexuality and Disability

अध्याय **10:** लैंगिकता और विकलांगता

Case 1: Susheela

While conducting a survey in a rural community, one of your respondents tells you that one of her neighbours, Susheela, a 30 year old woman with intellectual disability, lives with her aged father who suffers from paralysis of the left arm and who runs a petty shop. Susheela is a sweeper in the local Government school and is pregnant with her second child. She is in the first trimester. The first child also has an intellectual disability. Nobody in the neighbourhood knows who the father of the first child or the second baby is. Concerned about her well-being, you send a message requesting Susheela to drop in at your office, and she willingly comes to meet you.

प्रकरण **1:** सुशीला

एक ग्रामीण समुदाय में सर्वेक्षण करने के दौरान, आपके एक उत्तरदाता आपको बताते हैं कि उनकी एक पड़ोसन है, सुशीला, जो 30 साल की है और जिसे बौद्धिक विकलांगता (इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी) है। वह अपने बुज़ुर्ग पिता के साथ रहती है जिनका बायां हाथ लकवाग्रस्त है और जो एक छोटी-सी दुकान चलाते हैं। सुशीला वहाँ के सरकारी स्कूल में सफ़ाईकर्मी का काम करती है और वह दूसरी बार गर्भवती है। वह अभी गर्भावस्था की पहली तिमाही में है। उसके पहले बच्चे को भी बौद्धिक विकलांगता है। मोहल्ले में किसी को यह नहीं पता कि उसके पहले या दूसरे बच्चे का पिता कौन है। इस स्थिति के बारे में चिंतित होकर, आप सुशीला को अपने ऑफ़िस में आने का अनुरोध करते हुए एक संदेश भेजते हैं, और वह राज़ी होकर आपसे मिलने आती है।

Suggested Questions for Reflection and Discussion on Case of Susheela

1. What are the issues that you would need to explore while speaking with Susheela?
2. Are there any legal provisions that are applicable in this case?

सुशीला के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा करने के लिए सुझाए गए सवाल

1. सुशीला से बात करते समय, कौन-कौन से मुद्दों को समझना और जानना ज़रूरी है?

2. क्या इस प्रकरण में कोई कानूनी प्रावधान लागू होते हैं?

Suggested Activities

Activity 1

Reflect on your own thoughts, feelings, and challenges related to the sexuality of persons with disabilities. Do you feel the need to work on yourself and build the skills to work with clients on this topic? If so, contact organizations such as Tarshi, based in New Delhi who have brought out useful resources on the same[8] and would be able to support you in this endeavour.

गतिविधि

गतिविधि **1**

विकलांग व्यक्तियों की यौनिकता से जुड़े खुद के विचारों, भावनाओं, और चुनौतियों के बारे में सोचें। क्या आपको लगता है कि इस विषय पर क्लाइंट्स के साथ काम करने के लिए आपको खुद पर काम करने और अपने कौशल का विकास करने की ज़रूरत है? अगर हाँ, तो नई दिल्ली में स्थित तारशी जैसी संस्थाओं से संपर्क करें, जिन्होंने इस विषय पर कई अच्छे संसाधन प्रदान किए हैं और जो इस प्रयास में आपकी मदद कर सकते हैं।

Activity 2

Do a mini research and identify short videos, film clips, stories and case studies that could be used for promoting awareness about the rights of persons with disability including aspects relating to sexuality, including in the vernacular.

गतिविधि **2**

एक छोटा-सा शोध करें और ऐसे वीडियो, फ़िल्म क्लिप, कहानियाँ और प्रकरण खोजें, जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने में काम आ सकें। इसमें यौनिकता से जुड़े पहलू और स्थानीय भाषा (वर्नाक्युलर) के संसाधन भी शामिल होने चाहिए।

Annexure10: Additional Core Messages - Case 1: Susheela

At the outset, we need to remember that having a mild mental impairment does not inherently mean a person is fully incapacitated. Thus, many persons with mental impairment are able to lead a fulfilling life. On the same note, being intellectually dsiabled does not sever a person's sexuality from them - they have every right to a fulfilling sexual life.

In this scenario, the woman in question may or may not have been abused, just as any other woman may have been. On the other hand, she may be having a fulfilling consensual sexual relationship with another person. However, if you are able to discern that Susheela has indeed been exploited due to her intellectual disability and sexually abused, you may need to offer her support to access legal assistance. You may also need to offer her advice about her pregnancy and that she has a choice whether to continue with it or not. You may also need to familiarize yourself with the provisions of the RPD Act, 2017, and help her to access medical assistance to determine whether there are any genetic issues that she may need to get assessed for, to inform the choices that she could make about her pregnancy. Additionally, you may want to also think about how you would like to support Susheela through family strengthening. This could include accessing government or private schemes for persons with disability available in your State which her father could access, as

[8] See https://www.tarshi.net/downloads/Sexuality_and_Disability_in_the_Indian_Context.pdf https://www.tarshi.net/downloads/Sexuality_and_Disability_in_the_Indian_Context.pdf देखें

he is likely to fulfill the legal norms to avail of such schemes. You could also explore the possibility of Susheela's first child availing of special education through some local agency.

परिशिष्ट **10:** अतिरिक्त मुख्य संदेश – प्रकरण **1:** सुशीला

सबसे पहले, यह समझना ज़रूरी है कि थोड़ी मानसिक ह्रास/विकलांगता होने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति बिल्कुल कुछ भी करने में असमर्थ है। ऐसे कई लोग हैं जो मानसिक विकलांगता के साथ एक खुशहाल जीवन जीते हैं। इसी तरह, बौद्धिक रूप से विकलांग होने से व्यक्ति की यौनिकता उनसे छिन नहीं जाती - उन्हें संतोषजनक यौन जीवन जीने का पूरा अधिकार है।

इस प्रकरण में, किसी और महिला के प्रकरण की तरह, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सुशीला के साथ शोषण हुआ हो। हो सकता है कि वे किसी व्यक्ति के साथ अपनी सहमति से एक यौन संबंध में हो। लेकिन अगर बातचीत के दौरान आपको यह पता लगता है कि सुशीला की मानसिक विकलांगता का गलत फ़ायदा उठाया गया है और उसका लैंगिक शोषण हुआ है, तो आपको उसे कानूनी सहायता दिलाने में सहयोग देना होगा। आपको उसे उसकी गर्भावस्था पर सलाह देनी होगी, और बताना होगा कि गर्भावस्था को जारी रखना या खत्म करना, यह उसका अपना फ़ैसला है। आपको आर.पी.डी. अधिनियम 2016 के प्रावधानों की जानकारी लेनी पड़ सकती है। साथ ही, उसे मेडिकल सलाह उबलब्ध करानी होगी, ताकि यह जान सकें कि उसकी गर्भावस्था से जुड़ी कोई आनुवांशिक (जैनेटिक) समस्या तो नहीं है, जिसके लिए उसे जांच की ज़रूरत हो और जो उसकी गर्भावस्था के बारे में उसके निर्णय को प्रभावित करे। इसके अलावा, आप इस बारे में भी सोच सकते हैं कि आप सुशीला की फॅमिली स्ट्रेंथनिंग द्वारा कैसे मदद कर सकते हैं। इसमें यह भी देखा जा सकता है कि उसके पिता को विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी या प्राइवेट योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। साथ ही, सुशीला के पहले बच्चे को भी किसी स्थानीय एजेंसी द्वारा विशिष्ट शिक्षा (स्पेशल एजुकेशन) प्रदान करवाने की सम्भावना के बारे में सोचा जा सकता है।

Chapter 11: Sexual Relationships

अध्याय 11: यौन संबंध

Case 1: Kongdeng and Bahduh

Kongdeng, a 21 years old woman, has been in a relationship with Bahduh, a 23 years old man for two years. Both of them are still pursuing their higher studies. Kongdeng is very determined to complete her studies so that she can be financially independent and also support her family. Kongdeng and Bahduh are deeply in love. They even refer to each other as 'happiness.' One day Bahduh asked Kongdeng if they could get intimate with each other. Kongdeng is taken aback by the question, as she believes in having sex only after marriage. She loves Bahduh, but the thought of having sex with him before marriage is against her values.

प्रकरण 1: कोंगदेंग और बाहदुह

कोंगदेंग 21 साल की एक युवती है जो पिछले दो साल से 23 साल के बाहदुह नाम के युवक के साथ रिश्ते में है। दोनों अभी अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं। कोंगदेंग ने अपने पढ़ाई पूरी करने का संकल्प लिया है ताकि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके और अपने परिवार का सहयोग कर सके। कोंगदेंग और बाहदुह एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वे एक-दूसरे को प्यार से 'ख़ुशी' भी बुलाते हैं। एक दिन बाहदुह ने कोंगदेंग से पूछा कि क्या वे एक दूसरे के साथ यौन संबंध बना सकते हैं। यह सुनकर कोंगदेंग चौंक गई, क्योंकि वह शादी के बाद ही यौन संबंध बनाने में विश्वास रखती है। वह बाहदुह से प्यार तो करती है, लेकिन शादी से पहले उसके साथ यौन संबंध बनाना उसके मूल्यों के खिलाफ़ है।

Suggested Questions for Reflection and Discussion on the Case of Kongdeng and Bahduh

1. If Kongdeng came to you for help, how would you support her in responding to Bahduh's request for sexual intimacy?
2. Do you think Bahduh was being indecent when he asked Kongdeng if he could have sex with her? If yes, why, and if no, why not?

कोंगदेंग और बाहदुह के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल

1. अगर कोंगदेंग आपसे मदद मांगने आती है, तो आप बाहदुह के यौन संबंध बनाने के प्रस्ताव पर जवाब देने में उसको कैसे सहयोग देंगे?

2. क्या आपको लगता है कि बाहदुह का कोंगदेंग से यौन संबंध बनाने की बात पूछना अश्लील बर्ताव था? अगर हाँ, तो क्यों? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

Suggested Activities

Activity 1:

Plan an activity with adolescents and youth from the community in which you work to help them to navigate similar instances in their romantic relationships? What information would you need to give them about the POCSO Act, 2012?

गतिविधि

गतिविधि **1:**
आप जहाँ काम कर रहें है, उस समुदाय के किशोरों और युवाओं को यह सिखाने के लिए कि रोमैंटिक रिश्तों में आने वाली इसी तरह की स्थितियों को वे कैसे संभाल सकते हैं, एक गतिविधि तैयार करें। आपको उन्हें पॉक्सो अधिनियम, 2012 के बारे में क्या जानकारी देने की ज़रूरत है?

Annexure 11 - Additional Core Messages on Case of Kongdeng and Bahduh.

Human beings are social animals and hence forming social relationships is inevitable. Romantic and sexual relationships are also commonplace. Consent is an important and essential aspect of healthy sexual relationships. It is advisable that one is well informed about Sexually Transmitted Infections (STIs), contraception, etc., before participating in sexual activities with another person. It is also important to understand the law in our country regarding what is legally considered consent and age of consent for sexual activity in India. The POCSO Act, 2012 puts down the age of consent as 18 years. This means that even if two people under the age of 18 years engage in consensual sex it will be considered as statutory rape of both minors. Similarly, in a consensual relationship, if one partner is above 18 years, and the other is below 18 years, then also it is considered statutory rape.

परिशिष्ट **11** – कोंगदेंग और बाहदुह के प्रकरण से जुड़े अतिरिक्त मुख्य संदेश

मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसके लिए सामजिक रिश्ते बनाना आवश्यक है। रोमैंटिक और यौन संबंध बनाना सामान्य है। सहमति का होना सेहतमंद यौन सम्बन्ध के लिए ज़रूरी और अनिवार्य है। किसी दूसरे के साथ यौन गतिविधियों में भाग लेने से पहले, यौन संचारित रोग (इस.टी.आयी.), गर्भ निरोध, आदि की पूरी जानकारी पाना उचित है। साथ ही, भारत के कानून के अनुसार यौन गतिविधियों के लिए सहमति का अर्थ, और सहमति दे सकने की उम्र, के बारे में समझना भी ज़रूरी है। पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अनुसार सहमति दे सकने की उम्र 18 साल है। इसका मतलब यह है कि 18 साल से कम उम्र वाले दो व्यक्ति अगर आपसी सहमति से भी यौन संबंध बनाते हैं, तो वह वैधानिक बलात्कार (स्टैट्यूटरी रेप) माना जाएगा। इसी तरह, अगर एक की उम्र 18 साल से ज़्यादा और दूसरे की 18 साल से कम है, और वे सहमति से यौन संबंध में हैं, तब भी वह वैधानिक बलात्कार माना जाएगा।

Case 2: Sunil

Sunil, a 26 year old man is brought to your agency for psycho-social support as he is suffering from depression. He shares that he was in love with a girl as a teenager, and unexpectedly became a father while he was still in his teens. He was unable to financially support the girl, (now 25 years of age), or his child. The girl's parents despised him and ordered her to never see him again. The girl is from a well-to-do family. Though he has managed to acquire a small job and hopes to see his

son again, the girl's family are reluctant to permit him to meet them. The girl, who is still fond of him, secretly contacts him occasionally out of sympathy and takes out her son to meet his father for a few hours, far away from where she stays. It has come to his knowledge recently that she will soon be engaged to another man, and will move cities to live with her husband. He begins to lose hope of ever seeing his son again.

प्रकरण **2:** सुनील

सुनील, 26 साल का एक युवक है, जिसे मनो-सामाजिक मदद के लिए आपकी संस्था में लाया गया है क्योंकि वह डिप्रेशन (अवसाद) से ग्रस्त है। वह बताता है कि जब वह एक किशोर था तो उसे एक लड़की से प्यार हो गया था, और अनपेक्षित रूप से किशोरावस्था में ही वह एक पिता बन गया। वह उस लड़की (जो अब 25 साल की है) और अपने बच्चे का खर्चा उठाने में असमर्थ था। लड़की के माता-पिता सुनील से नफ़रत करते थे और उन्होंने अपनी बेटी को सुनील से कभी न मिलने का आदेश दे दिया था। लड़की एक अमीर परिवार से है। सुनील ने किसी तरह एक छोटी सी नौकरी करना शुरू कर दिया है, और वह अपने बेटे से दोबारा मिलना चाहता है, लेकिन लड़की के परिवार वाले उसे अपने बेटे से मिलने नहीं देना चाहते हैं। लड़की को अब भी सुनील से लगाव है, और सहानुभूति की वजह से वह चुपके-से सुनील से कभी-कभी संपर्क करती है और अपने घर से दूर किसी जगह उनके बेटे को सुनील से कुछ घंटों के लिए मिलाने लाती है। हाल ही में सुनील को पता चला है कि लड़की की जल्द ही किसी और के साथ सगाई होने वाली है, और वह शादी के बाद अपने पति के साथ दूसरे शहर चली जाएगी। सुनील अपने बेटे से दोबारा मिलने की उम्मीद खोने लगता है।

Suggested Questions for Reflection and Discussion on the Case of Sunil

1. What are the possible areas of social work intervention in this case?What is mandatory reporting under the POCSO Act, 2012? Is there a limitation period for mandatory reporting and will I be obliged to report to the police in this case?

सुनील के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल

1. इस प्रकरण में सामाजिक कार्य के किन तरीकों से मदद की जा सकती है? पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत, अनिवार्य रिपोर्टिंग क्या होती है? क्या अनिवार्य रिपोर्टिंग के लिए कोई समय सीमा है, और क्या इस प्रकरण में आपको पुलिस को रिपोर्ट करना ज़रूरी होगा?

Case 3: Aamina and Aadil

Aamina's parents are at work. She invited a close friend Aadil over to discuss a college project. After the work is completed, Aadil comes closer to Aamina and asks her, "you didn't call me over just to do the project with you, did you?"

प्रकरण **3:** आमिना और आदिल

आमिना के माता-पिता काम पर गए हुए हैं। वह अपने करीबी दोस्त, आदिल, को एक कॉलेज प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए घर बुलाती है। जब उनका काम खत्म हो जाता है, तो आदिल आमिना के पास आकर उससे कहता है, "तुमने मुझे अपने साथ सिर्फ़ प्रोजेक्ट करने के लिए तो नहीं बुलाया था, है ना?"

Suggested Questions for Reflection and Discussion on the Case of Aamina and Aadil:

1. In your opinion are scenarios such as this common or uncommon? Explain.
2. What are the different ways that Aamina could handle the situation?
3. If Aamina approaches you to discuss whether she should start a sexual relationship with Aadil, how would you respond?

आमिना और आदिल के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल**:**

1. आपके विचार में क्या इस तरह की स्थिति आम बात है या नहीं? समझाइए।

2. आमिना इस स्थिति को संभालने के लिए कौन-कौन से तरीके अपना सकती है?

3. अगर आमिना आपसे आकर पूछती है कि क्या उसे आदिल के साथ यौन संबंध शुरू करने चाहिए, तो आप उसे क्या जवाब देंगे?

Annexure 11: Additional Core Messages - Case 4 – Aamina and Aadil

- Aadil's action, (of moving closer towards Aamina) and his words, both seem indicative of desire or intention for a sexual relationship or activity. There are different ways the rest of the conversation can go. One possibility is that Aamina might be interested in having a sexual relationship with Aadil. Another possibility can be that Aamina wants to have a sexual relationship with Aadil but she might not be ready yet. Or Aamina might have not thought of anything other than studying when she invited Aadil home. Each of these scenarios have different implications and require different approaches.
- In the first scenario, it seems to be the beginning of a sexual relationship. It is important that they both know or understand safe sex practices. However, it is not just the starting of the relationship that they should focus on. Sometimes, after young adults become sexually active they might go through emotional upheavals, regret, fear, doubts, etc. Unwanted pregnancy is yet another problem that might arise. Therefore it is important that they understand these aspects also before embarking on a sexual relationship. In this scenario social workers can play a pivotal role by providing comprehensive sexuality education.
- Along with spreading awareness about these topics, you could also spread information aboutwhom or which organisation people can approach if they need assistance, guidance or more information. You can plan workshops or programs to disseminate information and awareness.

- In the second scenario, Aamina does want a sexual relationship with Aadil but she is not ready. Everything from the first scenario is applicable to the case as well. Additionally, Aamina also has to be assertive and let Aadil know she is not ready for it at that time.
- In the third scenario, Aamina and Aadil have a completely different understanding of the situation. Aamina had only thought about studying and Aadil had misread the situation. Factors like differences in socialisation, cultural changes, positionality of each person in the society, etc., change how different people understand a particular situation. It is important that people realise that their actions might not be understood as it was meant to. On the other hand, their interpretation of others' actions might not always be right. As a social worker, you could assist people in such situations to communicate respectfully and clear any misunderstanding between them, and to also ensure that such a situation or misreading of situations does not arise.

परिशिष्ट **11:** अतिरिक्त मुख्य संदेश – प्रकरण **4** – आमिना और आदिल

- आदिल का आमिना के करीब आना और उसकी कही गई बात, दोनों ही यह संकेत देते हैं कि वह यौन-संबंध या गतिविधि की इच्छा या इरादा रखता है। इसके आगे बातचीत अलग-अलग तरीकों से हो सकती है। एक संभावना यह है कि आमिना को भी आदिल के साथ यौन-संबंध बनाने में रुचि हो सकती है। एक और संभावना यह हो सकती है कि आमिना आदिल के साथ यौन-संबंध बनाना चाहती तो है, लेकिन अभी इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आमिना ने आदिल को घर सिर्फ़ पढ़ाई के लिए ही बुलाया था और उसने और किसी बात के बारे में सोचा भी नहीं था। इन तीनों ही परिदृश्यों के अलग मायने हैं और हर परिदृश्य में अलग दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है।
- पहले परिदृश्य में, यह उनके बीच यौन संबंध की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में यह ज़रूरी है कि दोनों सुरक्षित यौन संबंध बनाने के तरीकों के बारे में जानते हों और उन्हें समझते हों। लेकिन केवल संबंध की शुरुआत पर ध्यान देना काफ़ी नहीं। कई दफ़ा, पहली बार यौन रूप से सक्रिय होने के बाद युवा मानसिक उलझन, पछतावा, डर, संकोच आदि जैसी भावनाए महसूस करते हैं। अनचाही गर्भावस्था भी एक बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए, यौन संबंध बनाने से पहले इन बातों को अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। इस स्थिति में सामाजिक कार्यकर्ता व्यापक यौनिकता शिक्षा प्रदान करने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं।
- इन विषयों पर जागरूकता फैलाने के साथ, आप यह सूचना भी दे सकते हैं कि यदि किसी को मदद, मार्गदर्शन या जानकारी की ज़रूरत हो तो वे किस व्यक्ति या संस्था से संपर्क कर सकते हैं। आप जानकारी और जागरूकता फैलाने के लिए कार्यशालाएं या कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं।
- दूसरे परिदृश्य में, आमिना आदिल के साथ यौन संबंध बनाना तो चाहती है, लेकिन वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में पहली स्थिति की सारी बातें तो लागू होंगी ही, साथ ही, आमिना को दृढ़ता के साथ आदिल को बताना होगा कि वह अभी तैयार नहीं है।
- तीसरे परिदृश्य में, आमिना और आदिल दोनों एक दूसरे से बिलकुल अलग सोच रहे हैं। आमिना ने सिर्फ़ पढ़ाई के बारे में सोचा था और आदिल ने स्थिति को गलत समझ लिया। सामाजिक माहौल, संस्कृतिक अंतर, सामजिक स्थिति (पोज़िशनालिटी), आदि जैसे कारणों की वजह से अलग-अलग लोग किसी स्थिति को अलग नज़रिये से देख सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति आपकी बात को या आपके किये को वैसे ही समझेगा, जैसा आपका इरादा है। दूसरी ओर, यह भी ज़रूरी नहीं कि उनकी समझ हमेशा सही हो। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, आप ऐसी स्थिति में लोगों को सम्मानजनक तरीके से संवाद कर गलतफ़हमियाँ दूर करना सिखा सकते हैं, और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति और गलतफ़हमियाँ पैदा ही न हों।

Chapter 12: Sexual Preferences and Practices

अध्याय **12:** यौन प्राथमिकताएं और व्यवहार

Case 1: Hisha

Hisha is a 25 year old working woman who is staying in a working women's hostel. She has a roommate who confided in her that she has been sexually active since she was 19 years old. Hisha tells her that she was in serious relationship until a few months ago and has been celibate since then. Hisha also says that while she does want to be in a relationship she is also thinking of engaging in causal sex with someone she knows at her office.

प्रकरण **1:** हिशा

हिशा 25 वर्ष की एक कामकाजी महिला है, जो एक वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में रहती है। उसकी एक रूममेट है, जिसने उससे बताया कि वह 19 साल की उम्र से यौन रूप से सक्रिय रही है। हिशा उसे बताती है कि वह कुछ महीनों पहले तक एक सीरियस रिलेशनशिप में थी और तब से वह सेक्स से दूर रही है। हिशा यह भी कहती है कि वह एक रिलेशनशिप में रहना चाहती है, लेकिन वह अपने ऑफ़िस के एक जान-पहचान वाले व्यक्ति के साथ कैज़ुअल सेक्स करने के बारे में भी सोच रही है।

Suggested Questions for Reflection on the Case of Hisha.

1. What are your own views relating to sex, live in relationships, casual sex and marriage? If either of these young women came to you seeking support for some personal issue, would this aspect of their life come in the way of you giving your best as a professional social worker?

हिशा के प्रकरण पर सोच-विचार के लिए सुझाए गए सवाल**:**

1. सेक्स, लिव-इन रिलेशनशिप, कैज़ुअल सेक्स, और शादी से जुड़ी आपकी खुद की क्या राय है? यदि इन दोनों में से कोई भी युवती किसी व्यक्तिगत समस्या के लिए आपसे मदद मांगने आती है, तो क्या आपके लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी पूरी तरह से मदद करने में उनके जीवन का यह पहलू रुकावट बनेगा?

Case 2: Manjeet and Heer

Manjeet, a 28 year-old man, and Heer, a 22 year-old woman, are planning on getting married. Manjeet says they should be very open with each other and discuss their sexual preferences openly. Heer does not give it much importance, saying like other married couples they will find their preferences together. However, Manjeet was hoping to discuss BDSM and his interest in it with Heer. Now, he does not know how to bring it up with her or how she will react to it.

प्रकरण **2:** मंजीत और हीर

मंजीत, जो 28 साल का है, और हीर, जो 22 साल की है, एक दूसरे से शादी करने की सोच रहे हैं। मंजीत कहता है कि उनके बीच खुलापन होना चाहिए और उन्हें यौनिकता से सम्बंधित अपनी पसंद - नापसंद के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। लेकिन हीर इसे ज़्यादा महत्त्व नहीं देती और कहती है कि बाकी शादीशुदा जोड़ें की तरह वे भी आपस में अपनी पसंद जान लेंगे। मंजीत हीर से बी.डी.एस.एम. और उसमें उसकी रुचि के बारे में बात करना चाह रहा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वह हीर से यह बात कैसे करे या हीर की इसपर क्या प्रतिक्रिया होगी।

Suggested Questions for Reflection and Discussion on Case of Manjeet and Heer

1. What do you think Manjeet could do in order to navigate and strengthen her intimate relationship with Heer?
2. Is it required or beneficial for couples who intend to live together as partners, to discuss the details of their sexual preferences and practices with each other and share all the details too?

मंजीत और हीर के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा करने के लिए सुझाए गए सवाल:

1. आपको क्या लगता है मंजीत को हीर के साथ अपने यौन-सम्बन्ध को संभालने और मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए?

2. क्या दो लोग जो साथ रहने या शादी करने की सोच रहे हैं, उनके लिए अपनी यौन पसंद और आदतों के बारे में खुलकर बात करना और सारी बातें एक-दूसरे को बताना ज़रूरी या फायदेमंद होता है?

Chapter 13: Pedophilia

अध्याय **13:** पीडोफ़ीलिया

Case 1: 'X'

A final year engineering student 'X' aged 21 years, goes to the college appointed counselor, and tells him that he needs to talk to someone or else he is afraid he will do something terrible. He goes on to say that he would "rather die than do that". The college counselor manages to calm him down and create a situation where he is able to speak freely. He starts by saying that he has always been a popular guy and that after puberty he had no dearth of female admirers from his age group. In school, he gradually realised that he is always attracted to younger girls than to his classmates or peers. At first it didn't bother him much, as they were all in school.
But after joining college he was confused when he realised that he was still sexually attracted to younger girls, especially those around 10 years of age. Recently, he had gone to his hometown to attend a festival and there he met his older cousin's daughter, a nine year old girl. To his dismay, he started having intense emotions for this girl and found himself sexually aroused whenever he thought of her. He was horrified with what he was thinking and feeling and hurriedly left his hometown and came back to his college hostel. He tried to engage in a sexual relationship with a girl from his college who had demonstrated some affection for him, but he could not get that young girl out of his mind. He tells the school counselor that he is thoroughly ashamed and afraid that he would hurt the girl. He also reveals that he has started having thoughts about wanting to kill himself.

प्रकरण 1: 'एक्स'

इंजीनियरिंग डिग्री के आखिरी साल का एक छात्र, 'एक्स', जो 21 साल का है, कॉलेज में नियुक्त काउंसलर के पास जाता है और कहता है कि उसे किसी से बात करने की ज़रूरत है वरना उसे डर है कि वह कुछ भयानक कर देगा। वह आगे कहता है कि "ऐसा करने के बजाय वह मरना पसंद करेगा।" कॉलेज काउंसलर उसे शांत करने और एक ऐसा मौहोल बनाने का प्रयास करता है जहाँ वह खुलके बात कर सके है। 'एक्स' बात शुरू करता है और बताता है कि वह हमेशा से ही लोगों में मशहूर रहा है, और यौवन के बाद भी उसे पसंद करने वाली उसी की उम्र की लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। स्कूल में, उसने समय के साथ महसूस किया कि वह हमेशा अपने सहपाठियों या साथियों की बजाए उनसे छोटी लड़कियों की ओर आकर्षित होते हैं। तब क्योंकि वे सभी स्कूल में थे, तो उसे इस बात से ज़्यादा परेशानी नहीं हुई।

लेकिन कॉलेज शुरू होने के बाद, उसे उलझन महसूस होने लगी क्योंकि वह अभी भी छोटी लड़कियों के लिए यौन रूप से आकर्षित था, खासकर उनसे जो लगभग 10 साल की उम्र की होती थी। हाल ही में, वह एक त्योहार मनाने के लिए अपने शहर गया और वहाँ उसकी मुलाक़ात उसकी चचेरी दीदी की नौ साल की बेटी से हुई। उसे घोर निराशा हुई यह जानकार कि इस लड़की की ओर उसकी भावनाएं गहरी होने लगीं है। जब भी वह उसके बारे में सोचता था, तो खुद को यौन रूप से उत्तेजित पाता था। अपनी सोच और भावनाओं से घबराकर वह तुरंत अपने शहर से अपने कॉलेज के छात्रावास वापस आ गया। उसने अपने कॉलेज की ही एक युवती, जो उसमे दिलचस्पी दिखा रही थी, के साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वह उस छोटी लड़की को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाया। वह कॉलेज काउंसलर को बताता है कि इस बात को लेकर वह पूरी

तरह से शर्मिंदा है, और उसे इस बात का डर है कि कहीं वह उस लड़की को चोट न पहुँचा दे। वह यह भी कहता है कि उसके मन में खुदखुशी के विचार आने लगे हैं।

Suggested Questions for Reflection and Discussion on Case of 'X'

1. Is Pedophilia a mental disorder?
2. If you were the college counselor or person who was approached by this person 'X', how would you handle the situation?

'एक्स' के प्रकरण से जुड़े सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाये गए सवाल:

1. क्या पीडोफ़ीलिया एक मानसिक बीमारी है?

2. अगर आप कॉलेज के काउंसलर होते, या वह व्यक्ति जिससे 'एक्स' मदद मांगता, तो आप इस स्थिति को कैसे संभालते?

Chapter 14. Intersectionality

अध्याय 14. अंतःसंबंधिता

Case 1

Two girls Anjana and Bindu are school classmates. Their school is located in a city. Anjana is from a small village far from the city (lacking even in basic facilities) and therefore stays in the school hostel. Anjana's family is economically backward, her father is a daily wage labourer and the sole breadwinner of the family. Her studies and hostel are covered by a government scholarship for girl students. Bindu is from a well-to-do family and lives near the school. Due to the COVID-19 pandemic, all hostellers were sent home and online classes were started.

प्रकरण 1

दो लड़कियाँ, अंजना और बिंदु, स्कूल में सहपाठी हैं। उनका स्कूल एक शहर में स्थित है। अंजना एक छोटे से गाँव से है जो शहर से काफ़ी दूर है और जहाँ बुनियादी सुविधाएँ भी नहीं हैं। इसलिए वह स्कूल के हॉस्टल में रहती है। अंजना का परिवार आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उसके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं। उसकी पढ़ाई और हॉस्टल का खर्च सरकार द्वारा लड़कियों के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति से चलता है। बिंदु एक संपन्न परिवार से है और स्कूल के पास ही रहती है। कोविड-19 महामारी के कारण हॉस्टल में रहने वाले सभी बच्चों को घर भेज दिया गया और ऑनलाइन कक्षाएँ शुरू कर दी गईं।

Questions for Reflection and Discussion on the Case of Anjana and Bindu

1. From the perspective of intersectionality and positionality, discuss how the situation of online classes, lockdown and the pandemic could have been experienced differently by Anjana and Bindu.

अंजना और बिंदु के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सवाल

1. इंटरसेक्शनैलिटी (अंतःसंबंधिता) और पोज़िशनैलिटी (सामाजिक स्थिति) के दृष्टिकोण से, चर्चा करें कि ऑनलाइन कक्षाओं, लॉकडाउन, और महामारी के अनुभव अंजना और बिंदु के लिए कैसे अलग हुए होंगे।

Case 2

Heera is a transwoman with disability who is a wheelchair user from an economically backward family in a tribal community.

प्रकरण 2

हीरा एक ट्रांस महिला (ट्रांसवुमन) है जो विकलांगता के कारण व्हीलचेयर का इस्तेमाल करती है। वह एक आदिवासी समुदाय के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवार से आती है।

Questions for Reflection and Discussion on the Case of Heera

1. Through an intersectional framework discuss how Heera's experiences might be different from a transwoman from upper class, upper caste, and a non-tribal background.

हीरा के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सवाल

अंतःसंबंधिता के दृष्टिकोण (इंटरसेक्शनल फ़्रेमवर्क) से चर्चा करें कि हीरा के अनुभव एक उच्च वर्ग, उच्च जाति, और गैर-आदिवासी परिवार से आने वाली किसी ट्रांसवुमन से कैसे अलग हो सकते हैं।

Suggested Activities

Activity 1:
Request students to think of any one person with whom they have engaged with as part of their Case Work, and request them to write a short note on how they initially perceived this person. Then request them to reflect on the person from the lens of intersectionality and share how this exercise helped them to become more sensitive and empathetic towards them, given the challenges that the client is working through as part of the Case Work.

गतिविधि

गतिविधि **1:**

छात्रों से कहें कि वे किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचे जिनसे उन्होंने केस वर्क के दौरान बातचीत की हो। शुरुआत में उनकी उस व्यक्ति के बारे में क्या धारणाएं थी, इस पर उन्हें संक्षेप में एक नोट लिखने को कहें। इसके बाद, उनसे कहें कि वे उस व्यक्ति को अंतःसंबंधिता (इंटरसेक्शनैलिटी) के दृष्टिकोण से देखें। केस वर्क के दौरान वह व्यक्ति जिन चुनौतियों से जूझ रहा/रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, यह बताएं कि इस गतिविधि ने कैसे उस व्यक्ति के प्रति अधिक संवेदनशीलता और सहानुभूति विकसित करने में मदद की।

Activity 2:

Request the students to analyse the institution/school/hospital/community or other setting in which they have been placed for field work from the angle of intersectionality. Request a few students to share what they have learnt from this exercise and what they could do in terms of social work interventions to change the way people engage with each other in that setting.

गतिविधि **2:**

छात्रों से कहें कि वे जिस संस्था, स्कूल, अस्पताल, या समुदाय में फ़ील्ड वर्क कर रहे हैं, उसका अंतःसंबंधिता (इंटरसेक्शनैलिटी) के नज़रिए से विश्लेषण करें। कुछ छात्रों से अनुरोध करें कि वे बताएं उन्होंने इस गतिविधि से क्या सीखा, और कैसे वे सामाजिक कार्य के ज़रिए उस जगह पर लोगों के एक दूसरे के प्रति व्यवहार में सुधार ला सकते हैं।

Chapter 15. Sexual Violence against Adults

अध्ययन **15.** वयस्कों के विरुद्ध यौन हिंसा

Vocabulary about sex and sexuality

India is a country with more than 200 languages and even more dialects. Many languages do not have words that could be used to describe or talk about sexuality. Even if there are words, people are not very aware of them. Further, even if people are aware of the words, they may not be comfortable using them given the socio-cultural norm that sex and related matters are not to be discussed in public.
Patricia Mukhim in her article "Create a Language to Portray the Trauma," (The Statesman, March 25 2012), suggests that the lack of a proper word for rape in the Khasi tribal language somehow fails to convey the horror of the crime. This silence around sexuality potentially contributes to the persistence of myths and misconceptions among youth and adults too into adult life. People, especially children and youth, receive very little age-appropriate information on sexuality and sexual health, be it from parents, school, religious institutions, peers or the media. T and the little information they do receive seems steeped in notions of morality. Ignorance about reproductive health, blaming rape victims, intolerance to people with different sexual orientations, addiction to pornography and the practice of unsafe sex are some of the potential consequences of the prevailing silence in the society.

सेक्स और यौनिकता से जुड़ी शब्दावली

भारत एक ऐसा देश है जहाँ 200 से ज़्यादा भाषाएँ और उनसे भी ज़्यादा बोलियाँ बोली जाती हैं। बहुत-सी भाषाओं में यौनिकता की व्याख्या करने या उसके बारे में बात करने के लिए शब्द नहीं हैं। और अगर शब्द हैं भी, तो ज़्यादातर लोगों को ये शब्द नहीं मालूम। अगर शब्द मालूम भी हैं, तो सेक्स और उससे जुड़ी बातों को खुलकर न करने के सामाजिक और सांस्कृतिक नियमों की वजह से, लोग उन शब्दों का इस्तेमाल करने में असहज महसूस करते हैं।

पैट्रिशिया मुखीम ने अपने लेख *"क्रिएट ए लैंग्वेज टू पोर्ट्रे द ट्रॉमा"* (द स्टेट्समैन, 25 मार्च 2012) (सदमे को दर्शाने के लिए भाषा की रचना करो) में लिखा है कि खासी जनजाति की भाषा में "बलात्कार" के लिए कोई उचित शब्द नहीं है, जिससे इस अपराध की भयानकता ठीक से नहीं बताई जा सकती। यौनिकता पर इस चुप्पी की वजह से कई तरह की ग़लतफ़हमियाँ और मिथक बने रहने की सम्भावना रहती है, न केवल युवाओं में, बल्कि बड़े होने के बाद वयस्कों में भी। लोगों को, खासकर बच्चों और युवाओं को, उम्र के अनुसार यौनिकता और यौन स्वास्थ्य की सही जानकारी बहुत कम मिलती है, चाहे वो माता-पिता से हो, स्कूल से, धर्मस्थलों से, साथियों से, या मीडिया से। जो थोड़ी-बहुत जानकारी मिलती भी है, वो भी नैतिकता की धारणाओं में डूबी हुई होती है। समाज की इस चुप्पी के कुछ संभावित नतीजे हैं - प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में अनजान रहना, बलात्कार के पीड़ितों को ही दोष देना, भिन्न यौन अभिविन्यास वाले लोगों के प्रति असहिष्णुता, पोर्नोग्राफ़ी की लत लग जाना, और असुरक्षित यौन संबंध बनाना।

Suggested Questions for Reflection and Discussion

1. Is there silence around sex and sexuality in your community? Share examples of words that are used in your language pertaining to sex and sexuality. In a group discussion with peers

who speak the same language, make a list of anatomical and physiological terms for the genitalia and sexual functions and acts. Include terms for acts of sexual violence such as rape.

2. Share ways through which you can bring this awareness in society about personal safety and sexuality in your professional capacity, as well as in your personal life - among your family and friends?

सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल

1. क्या आपके समुदाय में सेक्स और यौनिकता को लेकर चुप्पी है? आपकी भाषा में इस्तेमाल किए जाने वाले सेक्स और यौनिकता से जुड़े शब्दों का उदाहरण दें। आपकी ही भाषा बोलने वाले साथियों के साथ मिलकर एक सामूहिक चर्चा करें, और यौनांगों और यौन क्रियाओं से जुड़े शारीरिक पारिभाषिक शब्दों की एक सूचि बनायें। इसमें यौन हिंसा (जैसे बलात्कार) के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द भी शामिल करें।

2. आप अपने व्यावसायिक जीवन और अपने निजी जीवन में भी (जैसे परिवार और दोस्तों के बीच), लोगों को व्यक्तिगत सुरक्षा और यौनिकता के बारे में जागरूक करने के लिए कौन से तरीके अपना सकते हैं, इसके बारे में बताएं।

Case 1: Rita and Jai (1)

Rita, an 18-year-old student, has recently lost her mother to cancer, leaving her 9 year-old brother in her care. Her father is addicted to alcohol and is unavailable to the children. Her 75 year-old grandmother is the only person she can turn to. She dreams of doing well in her studies so that she can get a good job as a nurse in the future.

Her 19-year-old neighbour, Jai, was very helpful during this stressful time. She increasingly relied on him not only for household chores but to also discuss her problems. One day, while she was alone with Jai, one thing led to another and they had sex. The next day Rita felt very confused. Jai apologised and said it would never happen again.

A month later, Rita missed her period and felt a little scared. She finally managed to tell her grandmother about it. They did a pregnancy test which turned out to be positive. Rita was shattered! She felt that this was the end of the world for her. Having the baby would mean giving up her studies and many of her dreams for her own life and that of her brother. Her grandmother said she was too old to help her look after her baby anyway. Rita recognized that she could barely manage her brother's and her needs with the little money that her mother had left her. She was so disturbed that she could not even bear to look at Jai. They stopped meeting each other after this, as they both felt uncomfortable about what had happened between them.

प्रकरण **1:** रीटा और जय **(1)**

रीटा एक 18 साल की छात्रा है। हाल ही में उसकी माँ की कैंसर से मौत हो गई है, जिसके बाद उसके ऊपर अपने 9 साल के छोटे भाई की देखभाल की ज़िम्मेदारी है। उसके पिता शराब का आदी है और बच्चों के लिए अनुपस्थित हैं। रीटा की 75 साल की दादी ही उसकी एकमात्र सहारा हैं। रीटा का सपना है कि वह पढ़ाई में अच्छा करे ताकि आगे चलकर नर्स बन एक अच्छी नौकरी कर सके।

इस मुश्किल समय में उसका 19 साल का पड़ोसी, जय, बहुत मददगार था। रीटा घर के कामों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी परेशानियाँ बाँटने के लिए भी उस पर निर्भर होने लगी थी। एक दिन, जब वह जय के साथ अकेले थी, तब बातों-बातों में बात आगे बढ़ी और उन्होंने सेक्स किया। अगले दिन रीटा को बहुत उलझन महसूस हुई। जय ने माफ़ी माँगते हुए कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होगा।

एक महीने बाद रीटा को उसका पीरियड नहीं आया और वह थोड़ा घबरा गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी दादी को यह बात बताई। उन्होंने एक गर्भावस्था का टेस्ट किया जिसका नतीजा था की वो गर्भवती है। यह जानकर रीटा एकदम टूट गई। उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी ही खत्म हो गई हो। बच्चे को जन्म देने का मतलब होगा कि उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी और उसकी और उसके भाई की ज़िन्दगी और सपनों पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। उसकी दादी ने कहा कि उनकी उम्र की वजह से वे बच्चे की देखभाल में उसकी मदद नहीं कर पाएंगी। जो थोड़े से पैसे उनकी माँ उसके लिए छोड़ गई थी, उससे रीटा अपने भाई और अपनी खुद की ज़रूरते ही मुश्किल से पूरी कर पा रही है। वह इतनी परेशान थी कि जय से नज़रे मिलाना भी मुश्किल हो गया। दोनों ने एक-दूसरे से मिलना बंद कर दिया क्योंकि उनके बीच जो हुआ, उसके बाद वे दोनों ही असहज महसूस कर रहे थे।

Suggested Questions for Reflection and Discussion on the Case of Rita and Jai (1):

1. What social work support can you provide to Rita to enable her to make a decision related to her baby?
2. What social work interventions could be considered to support Rita with her relationship with Jai?

रीटा और जय **(1)** के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल**:**

1. एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, आप रीटा को उसके बच्चे के बारे में फ़ैसला लेने में कैसे मदद कर सकते हैं?

2. रीटा को जय के साथ उसके रिश्ते को सुधारने में उसकी मदद के लिए कौन-कौन से सामाजिक कार्य के हस्तक्षेप अपनाये जा सकते हैं?

Annexure 14: Additional Core Messages on the Case of Rita and Jai (1)

1. Support may be provided to Rita to help her reflect on and consider her options related to her decision about her baby. The options could include having the baby and looking after it, having the baby and giving it up for adoption, going to a doctor and getting an abortion, etc.
2. Rita may be encouraged to consider bringing Jai to the agency, so that they could discuss their relationship, and whether they would like to take it forward, and accordingly decide about the baby. She could be provided legal literacy about the MTP Act, and its provisions. Rita could also be provided support for how she could navigate her life choices, whether or not she decides to continue her relationship with Jai. Referrals may also be made to legal

services, so that she could understand the legal implications of having a baby outside marriage, if she chooses to keep the baby but not marry Jai.

परिशिष्ट **14:** रीटा और जय **(1)** के प्रकरण से जुड़े अतिरिक्त मुख्य संदेश

1. रीटा को यह सोचने और समझने में मदद दी जा सकती है कि वह अपने बच्चे को लेकर क्या फ़ैसला लेना चाहती है। उसके पास कुछ विकल्प हैं, जैसे - बच्चे को जन्म देना और खुद उसकी देखभाल करना, बच्चे को जन्म देकर किसी को गोद देना, डॉक्टर से मिलकर गर्भपात (एबॉर्शन) कराना, आदि।
2. रीटा को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वह जय को भी संस्था में लेकर आए, ताकि दोनों साथ बैठकर अपने रिश्ते के बारे में बात कर सकें, और जान सकें कि क्या वे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं, और उस के आधार पर बच्चे को लेकर फ़ैसला ले सकें। रीटा को एम.टी.पी. (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी) अधिनियम और उसके प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी जा सकती है। रीटा को अपनी ज़िन्दगी के फ़ैसले लेने में सहयोग किया जा सकता है, चाहे वह जय के साथ रिश्ता बढ़ाये या नहीं। अगर वह शादी के बिना बच्चे को रखने का फ़ैसला करती है, तो इसके कानूनी पहलूओं को समझने के लिए उसे कानूनी सेवा से जोड़ा जा सकता है।

Case 3: Rita and Jai (2)

In another scenario involving Jai and Rita, Jai had actually forced himself on Rita and threatened to harm her and her brother if she resisted, or told anyone about it. Rita felt ashamed, depressed and kept quiet about it. She was very adamant that no-one should know about how Jai had treated her. When she missed her period, she thought it was because of all the stress that she had been through. But some weeks later she was really scared and did all kinds of things that she thought would help to make her periods come, such as eating raw papayas, etc. Finally, she told her classmate Jenny who suggested she do a pregnancy test. The test was positive. Rita comes to you, a social worker, in the hopes that you will be able to help her deal with this crisis, as she did not want the baby.

प्रकरण **3:** रीटा और जय **(2)**

रीटा और जय के प्रकरण के एक दूसरे परिदृश्य में, जय ने रीटा पर ज़बरदस्ती की, और उसे धमकी दी कि अगर उसने विरोध किया या किसी को कुछ बताया तो वह उसे और उसके छोटे भाई को नुकसान पहुँचाएगा। रीटा को शर्मिंदा और उदासीन महसूस हुआ, और वह चुप रही। वह बिलकुल नहीं चाहती थी कि किसी को भी यह पता चले कि जय ने उसके साथ कैसा सुलूक किया। जब उसका पीरियड नहीं आया, तो उसे लगा कि यह तनाव की वजह से हो रहा है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वह बहुत घबरा गई और उसने पीरियड लाने के लिए हर तरीके के घरेलू उपाय आज़माए, जैसे कच्चा पपीता खाना, आदि। आख़िर में उसने अपनी सहपाठी जैनी को सारी बात बताई। जैनी ने उसे गर्भावस्था का टेस्ट करने को कहा, जिसका नतीजा आया की वो गर्भवती है। रीटा एक सामाजिक कार्यकर्ता (आप) के पास आती है, इस उम्मीद के साथ कि इस संकट से निकलने में आप उसकी मदद करेंगे, क्योंकि उसे यह बच्चा नहीं चाहिए।

Suggested Questions for Reflection and Discussion on the Case of Rita and Jai (2):

1. What according to you are the various options that Rita could consider as regards the pregnancy?

2. Should Rita confront Jai about what happened? Should she report him to the police? Should she force him to marry her? Are there any other courses of action?
3. What would you consider your responsibility as a social worker in cases of unwanted pregnancy?
4. What would you consider as your professional responsibility as a social worker in cases of domestic violence? Would you report the domestic violence against Rita, if Rita is not willing to consider this option? If yes, why? If you would not, why?
5. If in this scenario, Rita is 16 years of age, how would the situation change? Discuss what is the possible course of action in this scenario while keeping in mind the POCSO Act, 2012.

रीटा और जय (2) के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल

1. आपके अनुसार रीटा अपनी गर्भावस्था को लेकर किन विकल्पों के बारे में सोच सकती है?
2. क्या रीटा को जय से जो हुआ उसके बारे में सीधे बात करनी चाहिए? क्या उसे जय के खिलाफ़ पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए? क्या उसे जय पर उससे शादी करने का दबाव डालना चाहिए? क्या कोई और रास्ता हो सकता है?
3. एक अनचाही गर्भावस्था की स्थिति में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपके अनुसार आपकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है?
4. हिंसा के मामले में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपके अनुसार आपकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? अगर रीटा उसके साथ हुई हिंसा को रिपोर्ट नहीं करना चाहती, तब क्या आप फिर भी उसे रिपोर्ट करेंगे? अगर हाँ, तो क्यों? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?
5. अगर इस प्रकरण में रीटा की उम्र 16 साल होती, तो यह स्थिति कैसे अलग होती? पॉक्सो अधिनियम, 2012 को ध्यान में रखते हुए, इस स्थिति में क्या कदम उठाये जा सकते हैं, इस पर चर्चा करें।

Annexure 14: Additional Core Messages on the Case of Rita and Jai (2)

1. A social worker's approach to the two scenarios would have to be different. In the first scenario, Rita is worried about her brother's and her own future. She is also worried about how her father would react, what people will say, and the financially precarious situation she is in. She might have turned to you - a social worker to discuss her options or might be looking for a supportive environment to vent her fears.
2. In the second scenario Rita was sexually assaulted, resulting in a physical, emotional and psychological trauma that has various implications that would have to be understood and dealt with at several levels - in terms of Rita's health needs (including mental health), her unwanted pregnancy and related legal issues, family issues, etc. There are no easy answers in these kinds of situations, particularly because Rita is currently depressed. You would have to work with her at her pace, and enable her to make informed choices. You must also consider taking up this for discussion with your supervisor, given the ethical dilemma you may be facing as a social worker - feeling compelled to report to the police because you may be more focussed on justice and accountability of the perpetrator on the one hand, while also feeling obligated to meet the needs, wishes and rights of the victim. Yes, you will need to be victim centred and keep Rita's wishes in focus so that all interventions are planned in a manner that she feels supported and all her rights are protected. Social workers need to

adhere to social work principles and ethics, and so you must respect Rita's privacy and not disclose information to outsiders unless there is clear and immediate danger to her. You must respect Rita's right to self-determination and avoid imposing your own beliefs and compulsions on your clients. Though you may be feeling that the principle of beneficence or doing good takes priority, and therefore by reporting you would prevent other women from becoming Jai's victims. However, Rita may view your violation of confidentiality as harm, and may therefore lose trust in you and terminate your services, at a time when she needs mental health services and other support. You may feel uncomfortable as you think your silence means you are condoning rape. However, respect for Rita's rights and needs, and prioritizing her emotional and physical safety - must also be viewed as aspects of justice. Over time, once Rita has gained some emotional strength, she may be supported with additional information about the legal procedures, the support systems available, etc., to enable her to consider other options.

3. If Rita was a child, the mandatory reporting obligation under the POCSO Act, 2012 will apply. For more about this, inform the students that this topic will be dealt with in the next Chapter.

परिशिष्ट **14:** रीटा और जय **(2)** के प्रकरण से जुड़े अतिरिक्त मुख्य संदेश

1. एक सामाजिक कार्यकर्ता को इन दोनों स्थितियों के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाने होंगे। पहली स्थिति में रीटा को अपने भाई के और अपने भविष्य की चिंता है। उसे इस बात का भी डर है कि उसके पिता कैसे प्रतिक्रिया देंगे, लोग क्या कहेंगे, और वह आर्थिक रूप से भी कितनी खराब स्थिति में है। वह आपके पास, यानी एक सामाजिक कार्यकर्ता के पास, अपने विकल्पों पर बात करने और अपने डर और चिंताओं को एक सुरक्षित माहौल में बाँटने आई है।
2. दूसरी स्थिति में रीटा पर लैंगिक हमला हुआ है, जिससे उसे शारीरिक, भावनात्मक, और मानसिक सदमा पहुँचा है, जिसके असर को कई स्तरों पर समझना और संभालना होगा – रीटा की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें (जिसमें मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है), उसकी अनचाही गर्भावस्था और उससे जुड़े कानूनी मसले, पारिवारिक समस्याएं, आदि। ऐसी स्थिति में कोई आसान जवाब नहीं होता, खासकर जब रीटा पहले से ही अवसादग्रस्त (डिप्रेशन) है। आपको उसके साथ उसकी गति के अनुसार काम करना होगा और उसे सही जानकारी के आधार पर फ़ैसले लेने में मदद करनी होगी। आपको इस प्रकरण पर अपने अपने पर्यवेक्षक (सुपरवाइज़र) से बात करनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपके सामने एक नैतिक दुविधा हो — एक तरफ़, न्याय, और अपराधी की जवाबदेही को मध्यनज़र रखते हुए, आप पुलिस में शिकायत दर्ज करना चाह सकते हैं, और दूसरी तरफ़ आप रीटा की ज़रूरतों, इच्छाओं, और अधिकारों का सम्मान करने को बाध्य हैं। हाँ, आपको पीड़ित-केंद्रित होना होगा और रीटा की इच्छाओं को आगे रखना होगा ताकि सभी हस्तक्षेपों इस तरह से बनाये जाए कि उसे समर्थन महसूस हो और उसके सभी अधिकार सुरक्षित रहें। सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक कार्य के सिद्धांतों और नैतिकताओं का पालन करना ज़रूरी है, इसलिए आपको रीटा की गोपनीयता का सम्मान करना होगा और कोई भी सूचना किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देनी होगी, जब तक कि रीटा को कोई सीधा खतरा न हो। आपको रीटा के स्वयं निर्णय लेने के अधिकार का सम्मान करना होगा और अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं या मजबूरियों को उस पर थोपने से बचना होगा। हो सकता है आपको लगे कि अच्छा और नेक काम करना सबसे ज़रूरी है, और रिपोर्ट करने से आप भविष्य में जय द्वारा किसी और लड़की को नुकसान पहुँचाने से रोक सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि रीटा को आपकी गोपनीयता तोड़ना एक चोट जैसा लगे, और उसका आप पर से भरोसा टूट जाए और वह आपसे मदद लेना बंद करदे, एक ऐसे समय में जब उसे

मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सहयोग की ज़रूरत है। आपको असहज महसूस हो सकता है क्योंकि आपके अनुसार चुप रहना बलात्कार को नज़रअंदाज़ करना है। लेकिन, रीटा के अधिकारों और उसकी ज़रूरतों का सम्मान करने, और उसकी भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने को भी न्याय का एक हिस्सा मानना ज़रूरी है। समय के साथ जब रीटा भावनात्मक रूप से थोड़ी मज़बूत हो जाए, तब आप उसे कानूनी प्रक्रियाओं, उपलब्ध सहायता व्यवस्थाओं, आदि की अतिरिक्त जानकारी दे सकते हैं, ताकि वह और विकल्पों पर विचार कर सके।

3. अगर रीटा एक बच्ची होती तो पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत मैंडेटरी रिपोर्टिंग (अनिवार्य रूप से शिकायत दर्ज करना) का प्रावधान लागू होता। इस विषय पर और जानकारी अगले अध्याय में दी गई है।

Chapter 16: Sexual violence against Children

अध्याय **16:** बच्चों के विरुद्ध यौन हिंसा

Case 1: Mona and Rati

Mona is an 18-year-old university student. One day, her neighbours' 14 year-old daughter, Rati, who was very close to her, came crying to her and said her stepfather had been 'bad' to her. On talking a bit more to the child, Mona quickly realises that she has been repeatedly sexually abused by her stepfather. Mona is shocked and disturbed. The child says when she tried telling her mother, her mother hit her saying "don't say stupid things." Mona builds up courage and tries talking to the girls' mother, only to be rebuffed and told not to interfere and ruin her family.

प्रकरण **1:** मोना और रति

मोना यूनिवर्सिटी में पढ़ रही 18 साल की एक छात्रा है। एक दिन, उसके पड़ोसियों की 14 साल की बेटी, रति, जो उसके बहुत करीब थी, रोते हुए उसके पास आई और कहा कि उसके सौतेले पिता ने उसके साथ 'गलत' व्यवहार किया है। लड़की से थोड़ी और बात करने पर, मोना को पता चलता है कि उसके सौतेले पिता द्वारा बार-बार उसका लैंगिक शोषण किया गया है। यह जानकर मोना हैरान और विचलित है। लड़की का कहना है कि जब उसने अपनी माँ को यह बात बताने की कोशिश की, तो उसकी माँ ने उसे मारते हुए कहा कि बेवकूफ़ी-भरी बातें मत करो। मोना साहस जुटाकर लड़की की माँ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे यह कहकर झिड़क देती हैं कि वह उनके पारिवारिक मामलों में दखल देकर उनके परिवार को बर्बाद न करे।

Suggested Questions for Reflection and Discussion on the Case of Mona and Rati

1. Can Mona do anything more? Should she do anything more? If Mona approaches you in your professional capacity as a social worker, what can you do? What are her options? What do you think is her best option?
2. In the above case, when Mona talked further with Rati, she said that sometimes she actually felt nice when her step-father did those 'bad' things, and so she was very confused. What are the thoughts and feelings that emerge for you when you hear this? Do you think Rati did anything wrong? Did Rati entice him in any way?

मोना और रति के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल

1. क्या मोना और कुछ कर सकती है? क्या उसे और कुछ करना चाहिए? अगर मोना एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपसे मदद लेने आती है, तो आप क्या कर सकते हैं? मोना के पास क्या विकल्प हैं? आपके अनुसार, मोना का सबसे अच्छा विकल्प क्या है?

2. ऊपर दिए गए प्रकरण में, जब मोना ने रति से और बात की, तो रति ने कहा कि जब उसके सौतेले पिता उसके साथ 'गलत' चीज़ें करते थे, तो कभी-कभी उसे अच्छा महसूस होता था, इसलिए उसे बहुत उलझन महसूस हो रही है। यह सुनने पर आपके मन में कौन-कौन से विचार और भावनाएँ आती

हैं? क्या आपको लगता है कि रति ने कुछ गलत किया है? क्या रति ने अपने सौतेले पिता को किसी तरह उकसाया है?

Annexure 16: Additional Core Messages - Case 1 - Mona and Rati

1. If Mona came to you for assistance, you need to help her to understand the provisions related to mandatory reporting under the POCSO Act, 2012. Though she has an obligation to either report the abuse to the police, or call the Child Help Line (1098), she may seek the support of her parents to do so. If Mona expresses fear about reporting, given that she is just 18 years old, and is also a neighbour, it then becomes your obligation to report. Keeping quiet about the abuser puts all children in the extended family and neighbourhood and at the place of work of the abuser (if any), at risk. There are government and non-government organizations where one can seek shelter and protection. You could explain to her that there are ways to also hold the perpetrator accountable and responsible and take appropriate steps to prevent reoffending. You must advise Mona to be prudent about how she handles this information and support her in ensuring she protects herself from reprisal, since she is a young woman and resides next door.
2. Though Rati may have experienced pleasure during the sexual act, she cannot and must not be accused of enticing her step-father. There is a clear power differential, wide age gap and relationship of trust that has been violated, which makes this an aggravated crime.

परिशिष्ट **16:** मुख्य संदेश – प्रकरण **1** – मोना और रति

1. अगर मोना आपसे मदद मांगने आती है, तो आपको उसे पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत अनिवार्य रिपोर्ट दर्ज कराने (मैनडेटोरी रिपोर्टिंग) के प्रावधानों को समझने में मदद करनी होगी। मोना पर यह ज़िम्मेदारी है कि वह लैंगिक शोषण की रिपोर्ट पुलिस को करे या चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) पर कॉल करे, लेकिन वह इस काम में अपने माता-पिता की मदद भी ले सकती है। अगर मोना रिपोर्ट करने से घबरा रही हो, क्योंकि वह खुद सिर्फ़ 18 साल की है और रति की पड़ोसी भी है, तो फिर यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप रिपोर्ट करें। शोषण करने वाले के बारे में चुप रहने से पूरे परिवार, मोहल्ले, और यहाँ तक कि उस व्यक्ति के कार्यस्थल के बच्चों के लिए खतरा बना रहता है। ऐसी सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएं हैं जहाँ पीड़ित व्यक्ति को आश्रय और सुरक्षा मिल सकती है। आप मोना को यह समझा सकते हैं कि शोषण करने वाले व्यक्ति को ज़िम्मेदार ठहराने और उसे ऐसा दोबारा करने के रोकने के तरीके हैं। आपको मोना को यह सलाह देनी चाहिए कि वह इस मामले को बहुत समझदारी और सावधानी से संभाले, और आपको यह सुनिश्चित करने में उसकी मदद करनी चाहिए कि वह खुद किसी प्रकार के बदले के खतरे से सुरक्षित रहे, आखिर वह खुद एक युवा लड़की है और बगल वाले घर में ही रहती है।
2. भले ही रति को उस यौनिक अनुभव में कोई आनंद महसूस हुआ हो, उसे अपने सौतेले पिता को उकसाने का दोषी बिलकुल भी नहीं ठहराया जा सकता। इस स्थिति में साफ़ तौर पर दोनों लोगों के बीच शक्ति का असंतुलन है, उम्र का बड़ा अंतर हैं, और एक विश्वासपूर्ण रिश्ते का उल्लंघन किया गया है – यह सब इसे एक गुरुतर अपराध बनाता है।

Case 2: Thei

Thei was 10 years old when she was sexually abused by her maternal uncle. She could not share what happened with her mother, father or any family members, as she was too scared that she would be blamed for what happened. She just ignored her maternal uncle whenever he visited her home, and sometimes even hid in her room without coming for the family meal with him. Thei grows up to be a young woman and starts having romantic and sexual relationships, but, her relationships never last more than 6 months. This continues for years. Eventually, a close friend of Thei, who is a trained counselor, suspects that Thei, now 30 years old, has faced some adverse childhood experiences. She encourages Thei to approach you, a social worker working in an agency dealing with Personal Safety and Sexuality in the neighbourhood.

प्रकरण **2:** थेई

थेई 10 साल की थी जब उसके मामा ने उसका लैंगिक शोषण किया। इस डर से कि जो हुआ उसके लिए उसे ही दोषी ठहराया जायेगा, वह अपनी माँ, पिता, या किसी अन्य परिवार के सदस्य को कुछ नहीं बता पायी। जब भी उसके मामा उसके घर आते, वह उन्हें अनदेखा कर देती, और कभी-कभी तो अपने कमरे में छिपी रहती और सबके साथ खाना खाने के लिए भी नहीं आती। थेई बड़े होकर प्रेम और यौन संबंध बनाने लगती है, लेकिन, उसका कोई भी रिश्ता कभी भी 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाता। यह सालों तक चलता रहता है। थेई की एक करीबी दोस्त, जो एक प्रशिक्षित काउंसलर है, अंदाज़ा लगाती है कि थेई (जो अब 30 साल की है) ने बचपन में कुछ प्रतिकूल अनुभवों का सामना किया है। वह थेई को प्रोत्साहित करती है कि वह आपसे संपर्क करे, जो पड़ोस में व्यक्तिगत सुरक्षा और यौनिकता के मामलों पर काम करने वाली एक एजेंसी में सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

Suggested Questions for Reflection and Discussion on Case of Thei

1. Do you think Thei's relationship troubles has anything to do with the abuse she faced as a child?
2. How would you help Thei to help herself?
3. Do you have a legal obligation to report the maternal uncle under the POCSO Act 2012?
4. What are the different strategies that you can use as a social worker working in various settings to prevent child sexual abuse?

थेई के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल

1. क्या आपको लगता है कि थेई के रिश्तों में आनेवाली समस्याओं का बचपन में उसके साथ हुए लैंगिक शोषण से कोई सम्बन्ध है?

2. आप थेई को खुद की मदद करने में कैसे सहयोग दे सकते हैं?

3. क्या आपके ऊपर पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत थेई के मामा की शिकायत दर्ज करने की कानूनी ज़िम्मेदारी है?

4. आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में काम करते समय बाल लैंगिक शोषण को रोकने के लिए कौन-कौन से तरीके अपना सकते हैं?

Annexure 16: Additional Core Messages on Case of Thei

1. Sexual abuse can affect and torment survivors for the rest of their lives. Child sexual abuse (CSA) is a hard reality and is being perpetrated in homes and other places, most often by people known to and trusted by children. There are various strategies that could be used to promote personal safety and sexuality. Discussions in homes, in the community, in classrooms, in the media and other fora, about holding the perpetrators responsible and accountable for their abusive behaviour would help create safe spaces for children and adults alike; as would discussions with children on respect and care for one's entire body, personal safety rules and personal safety guide.

   In this scenario, Thei - the young child was worried that she would be blamed for her abuser's actions. She might have formed this fear having picked up negative reactions to any talk of sex, sexuality, genitalia, etc., from elders in the family or the media. It is important to teach children that there is no shame in any part of one's body, and that we are not responsible for other people's actions - we are responsible and accountable only for our own behaviour. Most importantly, every person, child or adult, has the right to safety, protection from sexual or any other form of abuse, and needs to be treated with dignity. It is unacceptable if anyone acts in ways that deny people their rights.

   Note: There is no legal obligation to report child sexual abuse that happened before POCSO Act 2012 came into effect. If the preson who faced sexual abuse as a child wants to report an offence that occurred before POCSO came into effect, it can be done under the Indian Penal Code.

परिशिष्ट **16:** थेई के प्रकरण से जुड़े अतिरिक्त मुख्य संदेश

1. पीड़ितों के लिए लैंगिक शोषण का कष्ट और असर ज़िंदगी भर रह सकता है। बाल लैंगिक शोषण समाज की एक कठोर सच्चाई है, जो घरों और अन्य जगहों पर अक्सर बच्चों की जान-पहचान वाले और भरोसे के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। व्यक्तिगत सुरक्षा और यौनिकता को बढ़ावा देने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। शोषण करने वाले व्यक्तियों को उनके बर्ताव के लिए ज़िम्मेदार ठहराने के विषय पर घरों में, समुदायों में, कक्षा में, मीडिया में, और अन्य मंचों पर चर्चा करने से बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक सुरक्षित माहौल बन सकता है। साथ ही, बच्चों से शरीर के प्रति सम्मान और उसकी देखभाल, व्यक्तिगत सुरक्षा नियमों, और सुरक्षा दिशानिर्देश पर चर्चा करना भी ज़रूरी है।
2. इस प्रकरण में, थेई जब एक बच्ची थी तो उसे डर था कि उसे ही उसके मामा के बर्ताव के लिए दोषी ठहराया जाएगा। यह डर उसने शायद सेक्स, यौनिकता, यौनांगों आदि जैसे विषयों पर अपने घर के बड़ों या मीडिया की नकारात्मक प्रतिक्रिया से सीखा होगा। बच्चों को यह सिखाना ज़रूरी है कि उनके शरीर के किसी भी अंग में शर्म नहीं बसी होती है, और हम दूसरों के कर्मों के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं, हम केवल अपने बर्ताव के लिए ज़िम्मेदार और जवाबदेह होते हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हर व्यक्ति को, बच्चा हो या बड़ा, लैंगिक शोषण या किसी अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार से बचाव और सुरक्षा का हक़ और गरिमा और सम्मान का अधिकार है। किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना जो उनके अधिकारों का उलंघन करता हो, अस्वीकार्य है।

नोट:
अगर किसी व्यक्ति के साथ पॉक्सो अधिनियम, 2012 के लागू होने से पहले लैंगिक शोषण हुआ है, तो उस

स्थिति में इसे रिपोर्ट करने की कानूनी बाध्यता नहीं है। लेकिन यदि वह व्यक्ति स्वयं 2012 से पहले हुए अपराध की रिपोर्ट करना चाहें, तो वह भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) के तहत कर सकते हैं।

Suggested Activities

Activity 1:

Reflect on your own lifespan, particularly your childhood and adolescence, to understand whether there is any underlying trauma that is unresolved or untreated. Proactively seek the therapy and support you may need to process such trauma, so that as a professional social worker, you are then able to provide more professional services to victims of abuse yourself.

गतिविधि **1:**
विचार करें यह समझने के लिए कि क्या आपके खुद के जीवन में, ख़ासकर बचपन और किशोरावस्था में, कोई अंतर्निहित सदमा (ट्रॉमा) तो नहीं है जो अनसुलझा या अनुपचारित हो। ऐसे किसी सदमे को समझने और संभालने के लिए सक्रिय रूप से आवश्यक थेरेपी और सहयोग प्राप्त करें, ताकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप लैंगिक शोषण के पीड़ितों को बेहतर सेवाए प्रदान कर सकें।

Activity 2

If there is no module on Trauma Informed Practice (TIP) in your curriculum, identify experts who are competent and invite them to conduct an orientation on TIP, so that you will better understand its importance. You may then consider doing a full course on this, to help you to prevent burnout and vicarious trauma, while working with challenging populations or cases involving abuse or any form of violence.

गतिविधि **2 (Activity 2)**

अगर आपके पाठ्यक्रम में ट्रॉमा इंफ़ॉर्म्ड प्रैक्टिस (टी.आई.पी.) पर कोई मॉड्यूल नहीं है, तो इस विषय में निपुण विशेषज्ञों को खोजें और उन्हें टी.आई.पी. पर एक परिचयात्मक (ओरिएंटेशन) सत्र लेने के लिए आमंत्रित करें, ताकि आप इसके महत्त्व को बेहतर तरीके से समझ सकें। इसके बाद, आप इस विषय पर एक पूरा कोर्स करने के बारे में भी सोच सकते हैं, जो चुनौतीपूर्ण समूहों, या शोषण या अन्य प्रकार की हिंसा से जुड़े मामलों में आपको अत्यंत थकावट (बर्नआउट) या परोक्ष आघात (वाईकेरियस ट्रॉमा) से बचना सिखा सकता है।

Activity 3:

Do a mini research to find out the organizations that work on issues related to personal safety and sexuality, competent to provide quality social services to women and children like Thei in your State.

गतिविधि **3:**

अपने राज्य में उन संस्थाओं के बारे में जानने के लिए एक छोटा-सा शोध करें, जो व्यक्तिगत सुरक्षा और यौनिकता से जुड़े मामलों पर काम करते हों और जो थेई जैसे बच्चों और महिलाओं को उच्च स्तरीय सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम हों।

Case 3: 'B'

In a rural community, a child 'B', aged 4 years of age, has been sexually abused by her step father, who is a teacher in the village school. An ASHA worker comes to know about this and informs a member of the Panchayat in the village. However, the family of the child and the village Panchayat want to settle it quietly. They threaten the ASHA worker, and tell her not to reveal this to anyone.

प्रकरण **3: 'बी'**

एक ग्रामीण समुदाय में, 4 वर्ष की आयु के एक बच्चे 'बी' का उसके सौतेले पिता द्वारा लैंगिक शोषण किया गया है। उसके सौतेले पिता गाँव के स्कूल में शिक्षक है। एक आशा कार्यकर्ता को इसके बारे में पता चलता है और वह गाँव के पंचायत के एक सदस्य को सूचित करती है। लेकिन, बच्चे के परिवार और ग्राम पंचायत इसे चुपचाप सुलझाना चाहते हैं। वे आशा कार्यकर्ता को धमकाते हैं, और उसे किसी को भी इस बारे में न बताने के लिए कहते हैं।

Suggested Questions for Reflection and Discussion on Case of 'B':

1. The ASHA worker picks up courage and discusses the situation with you, a trained social worker, also working in that village. What will you do?
2. How would you handle this situation and the concerns of the family and the Panchayat?
3. How will you sensitise the community about the need to prioritise the needs and rights of the child over everything else, including the family's honor?

'बी' के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल **:**

1. वह आशा कार्यकर्ता हिम्मत जुटाकर उसी गाँव में काम कर रहे एक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता से, जो कि आप हैं, से इस स्थिति पर चर्चा करती हैं। आप क्या करेंगे?
2. आप इस स्थिति को और परिवार व पंचायत की चिंताओं को कैसे संभालेंगे?
3. आप समुदाय को इस बारे में कैसे संवेदनशील बनाएंगे कि बच्चे की ज़रूरतों और अधिकारों को बाकी हर चीज़, यहाँ तक कि परिवार की इज़्ज़त के भी, ऊपर प्राथमिकता देना ज़रूरी है?

Annexure 16: Additional Core Messages on Case of 'B'

1. According to the POCSO Act, 2012, it is the legal duty of any person with knowledge of any sexual offence against a child to report it to the nearest police station, mandatorily. Moreover, aside from 'B', many other children may also be at risk, given that the stepfather is a teacher, who is well respected in the village - and so this is therefore considered as an aggravated offence with a higher penalty. As a social worker you have an obligation to report it. At the same time you must cater to the immediate needs and well-being of the child as well as follow-up with the procedures after an FIR has been filed. You also have

the additional task of protecting the identity of the ASHA worker who lives and works in the same community, as she approached you even after the village Panchayat instructed her not to tell anyone.

2. If you do not have the skills and training to handle such a case, you must bring this to the notice of your supervisor and refer the case to someone who does have the expertise to do so.

परिशिष्ट **16:** 'बी' के प्रकरण से जुड़े अतिरिक्त मुख्य संदेश

1. पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को किसी बच्चे के साथ यौन अपराध के बारे में पता चलता है, तो इसके बारे में निकटतम पुलिस स्टेशन में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करना उस व्यक्ति की कानूनी ज़िम्मेदारी है। 'बी' के अलावा और भी कई बच्चे जोखिम में हो सकते हैं, क्योंकि 'बी' के सौतेला पिता गाँव के एक बहुत सम्मानित शिक्षक हैं – इस कारण से यह एक गुरुतर अपराध माना जायेगा, जिसमें और भी सख़्त सज़ा का प्रावधान है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इस घटना की रिपोर्ट करें। साथ ही, आपको बच्चे की तात्कालिक ज़रूरतों और उसकी भलाई का ध्यान रखना होगा, और एफ़.आई.आर. दर्ज होने के बाद की प्रक्रिया के बारे में भी पूछ्ताछ करनी होगी। आपकी यह ज़िम्मेदारी भी है कि आप उसी समुदाय में रहने वाली और काम करने वाली आशा कार्यकर्ता की पहचान को गोपनीय रखें, क्योंकि उन्होंने पंचायत के मना करने के बावजूद आपको इसके बारे में बताया।
2. यदि आपके पास ऐसे मामलों को संभालने की पर्याप्त क्षमता और प्रशिक्षण नहीं है, तो आपको इसके बारे में अपने पर्यवेक्षक को बताना चाहिए और इस प्रकरण को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना चाहिए, जिसके पास इसकी विशेषज्ञता हो।

Case 4: Findings of an Empirical Study on Rape

In a study on human sexuality among university students in Shillong, cited in the Shillong Times[9], it was found that the victim is often blamed in rape cases. More Khasi women (41%) than men (25%) blamed the woman in a rape of a woman. The reasons they cited were that these women had loose morals and that women wearing a provocative dress 'are asking to be raped.

प्रकरण **4:** बलात्कार पर एक प्रमाण-आधारित अध्ययन के निष्कर्ष

शिलांग में विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच मानव यौनिकता पर किए गए एक अध्ययन, जिसका उल्लेख शिलांग टाइम्स में किया गया था,[9] में यह पाया गया कि बलात्कार के मामलों में अक्सर पीड़िता को ही दोषी ठहराया जाता है। इस अध्ययन में पाया गया कि खासी पुरुषों (25%) से ज़्यादा महिलाएं (41%) बलात्कार के मामलों में महिला को दोषी ठहराती हैं। उनके द्वारा दिए गए कुछ कारण थे कि ऐसी महिलाओं का चरित्र खराब होता है और छोटे कपड़े पहनकर वे खुद बलात्कार के लिए उकसा रही हैं।

[9] See https://theshillongtimes.com/2013/07/24/sexuality-and-silence-among-khasi-youth-of-meghalaya/ https://theshillongtimes.com/2013/07/24/sexuality-and-silence-among-khasi-youth-of-meghalaya/ को देखें

Suggested Questions for Reflection and Discussion on the above extract from the empirical study:

1. What are your thoughts about rape of women who do not dress in traditional attire? Do you agree with the opinions of the respondents who were of the opinion that these women were 'asking to be raped"?

उपरोक्त प्रमाण-आधारित अध्ययन के अंश पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल:

1. पारंपरिक वस्त्र न पहनने वाली महिलाओं के साथ हुए बलात्कार के बारे में आपकी क्या सोच है? क्या आप उन उत्तरदाताओं की राय से सहमत हैं, जिनका मानना था कि ऐसी महिलाएं "बलात्कार के लिए उकसा रही थीं"?

Case 5: 'P'

Ms. P who is 22 years old, comes to you with emotional disturbances. She tells you that she was sexually abused when she was 10 years old, by none other than her trusted neighbour who is also a close friend of her father. She also tells you that this event during her childhood is taking a toll on her relationship with her partner now.

प्रकरण **5: 'पी'**

मिस. पी, जो 22 साल की हैं, आपके पास भावनात्मक परेशानियों के साथ आती हैं। वह आपको बताती हैं कि जब वे 10 साल की थीं, तब उनके विश्वसनीय पड़ोसी ने, जो उनके पिता के करीबी दोस्त भी हैं, उनका लैंगिक शोषण किया था। वे यह भी बताती हैं कि बचपन में हुई यह घटना अब उनके साथी के साथ उनके रिश्ते पर प्रभाव डाल रही है।

Suggested Questions for Reflection and Discussion on Case of 'P'

1. How would you help Ms. P to help herself?
2. What are the various kinds of challenges that Ms P faces? What social services and allied services could be made available to her?

'पी' के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल:

1. आप मिस P को खुद की मदद करने में कैसे सहायता करेंगे?
2. मिस P को किन प्रकार की विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? उनके लिए कौन-कौन सी सामाजिक सेवाएं और संबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं?

Case 6: Shembor and Jargit

Shembor, aged 14 years, goes to tuition early morning around 5 a.m. thrice a week, not far from his home. The streets are always quite deserted at this time. One morning he came across Bantu, aged 40 years of age, a local fish seller who is acquainted with his father. Shembor greeted him. Bantu realising that no one was around, came close to him and offered him a cup of tea, sitting very close to him. Soon, he started feeling Shembor's genitalia, telling him that he had grown so

handsome as a young man. Shembor was shocked and speechless and ran away as fast as possible. At school, unable to hold himself together, and still shocked by what had happened, he shared this incident with his friend and classmate Jargit. Jargit burst out laughing, and when the other students asked what was going on, Jargit made fun of him in front of them about what had happened. Soon the whole class got to know about it. During the lunch break, Shembor picked up courage and attacked Jargit for humiliating him in front of the class, and soon the other classmates too started taunting Shembor that he looked like a girl, that is why this had happened to him.

प्रकरण **6:** शेम्बोर और जरगित

शेम्बोर, जिसकी उम्र 14 साल है, हफ़्ते में तीन बार सुबह लगभग 5 बजे घर के पास ही ट्यूशन के लिए जाता है। इस समय सड़कें हमेशा काफ़ी सुनसान रहती हैं। एक सुबह उसे बंटू मिला, जो 40 साल का एक स्थानीय मछली विक्रेता है, जिसकी उसके पिता से जान पहचान है। शेम्बोर ने उसे नमस्ते कहा। बंटू, यह देखकर कि आसपास कोई और नहीं है, शेम्बोर के पास आया और उसे चाय का एक कप पेश किया, उसके बहुत करीब बैठते हुए। फिर उसने शेम्बोर के यौनांगों को छूना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि वह कितना हैंडसम युवक बन गया है। शेम्बोर चौंक गया और हक्का-बक्का रह गया। वह वहाँ से तेज़ी से भाग आया। स्कूल में, खुद को न संभाल पाने पर और जो हुआ था उससे अभी तक हैरान महसूस करने पर, उसने इस घटना के बारे में अपने दोस्त और सहपाठी जरगित को बताया। जरगित हँसने लगा, और जब बाकी छात्रों ने पूछा कि क्या चल रहा है, तो जार्गिट ने सबके सामने जो हुआ था उसको लेकर शेंबोर का मज़ाक उड़ाया। जल्द ही पूरी कक्षा को इसके बारे में पता चल गया। लंच ब्रेक के दौरान, शेम्बोर ने साहस जुटाकर कक्षा के सामने उसका मज़ाक उड़ाने के लिए जरगित पर वार किया, लेकिन जल्द ही बाकी सहपाठियों ने भी शेम्बोर को यह कहकर ताना मारना शुरू कर दिया कि वह एक लड़की की तरह दिखता है और इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ।

Suggested Questions for Reflection and Discussion on Case of Shembor and Jargit

1. If you were the school social worker, and Jargit and Shembor were referred to you, what would you do to help them and the rest of the class to understand sexual abuse of boys?
2. What steps could you take to ensure Bantu is held accountable for his actions?

शेम्बोर और जरगित के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल**:**

1. अगर आप उस स्कूल में सामाजिक कार्यकर्ता होते, और शेम्बोर व जरगित को आपके पास भेजा जाता, तो आप उन्हें और बाकी कक्षा को लड़कों के साथ होने वाले लैंगिक शोषण के बारे में समझाने के लिए क्या करते?
2. बंटू को उसके किए की ज़िम्मेदारी लेने और उसकी सज़ा दिलाने के लिए आप कौन-कौन से कदम उठा सकते हैं?

Annexure 16: Additional Core Messages on Case of Shembor and Jargit

Sexual abuse of boys is common in India. Though many feel traumatized, most keep quiet and never tell anyone, due to fear of being mocked or because the matter may be trivialized. Many boys do not realise that they can also be targets of sexual abuse as sexual abuse is mostly talked about in relation to girls.

परिशिष्ट **16**: शेम्बोर और जरगित के प्रकरण से जुड़े अतिरिक्त मुख्य संदेश

भारत में लड़कों के साथ लैंगिक शोषण आम है। सदमा महसूस करने के बावजूद, बहुत से लड़के अक्सर इस बारे में चुप रहते हैं और किसी को नहीं बताते, इस डर से कि उनका मज़ाक उड़ाया जायेगा या फिर लोग इस बात को हल्के में ले लेंगे। बहुत से लड़कों को यह पता भी नहीं होता कि वे भी लैंगिक शोषण का शिकार बन सकते हैं, क्योंकि लैंगिक शोषण की चर्चा अक्सर सिर्फ़ लड़कियों के संदर्भ में की जाती है।

Suggested Activities

Activity 1:

Prepare an awareness campaign, about sexual abuse of boys, including core messages and data from the Study on Child Abuse conducted by the Ministry of Women and Child Development, Government of India, 2007, for school students aged 13-18 years of age. As part of this campaign, design a poster that could help boys report sexual abuse.

गतिविधि

गतिविधि **1:**

13 से 18 वर्ष की आयु के स्कूल छात्रों के लिए, लड़कों के साथ लैंगिक शोषण के बारे में एक जागरूकता अभियान तैयार करें। इसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2007 में कराए गए बाल शोषण पर अध्ययन के मुख्य संदेश और आँकड़े शामिल करें। इस अभियान के तहत, एक ऐसा पोस्टर बनायें जो लड़कों को लैंगिक शोषण की रिपोर्ट करने में मदद कर सके।

Case 7: Nancy

Nancy, aged 14 years of age, attends Sunday school classes every Sunday from 5-7 pm, at a church located about half an hour's walking distance from her home in a rural area. The route to the school is a quiet lane with very few houses, especially on a Sunday. One day, while passing one of the houses, Avery, a man aged around 30-35 years, who is a stranger to Nancy, was standing on the pavement, masturbating himself. He saw Nancy walking alone, and started passing lewd comments, whistling, and flashed his penis at her, inviting her to come with him. She ran past the house towards the church where the classes are conducted. On returning home she burst out crying and related the incident to her mother. She is terrified, and says she never wants to go to Sunday school again.

प्रकरण **7:** नैन्सी

14 साल की नैन्सी, हर रविवार को शाम 5-7 बजे एक चर्च में संडे स्कूल की कक्षाओं में भाग लेती है। यह चर्च ग्रामीण इलाके में स्थित उसके घर से लगभग आधे घंटे की पैदल दूरी पर है। स्कूल जाने का रास्ता बहुत कम घरों वाली एक शांत गली है, खासकर रविवार को। एक दिन, एक घर के सामने से गुज़रते वक्त, फुटपाथ पर लगभग 30-35 वर्ष का एवरी नाम का एक व्यक्ति, जिससे नैन्सी अनजान थी, खड़ा था और हस्तमैथुन (मास्टरबेट) कर रहा था। नैन्सी को अकेले चलता देखकर उसने उसे भद्दी टिप्पणियां देना शुरू कर दिया, सीटी बजाने लगा, उसे अपने जननांग दिखाने लगा (जिसे फ्लैशिंग कहते हैं), और उसे अपने साथ आने के लिए बुलाने लगा। नैन्सी उस घर से चर्च की ओर भागी जहाँ कक्षाएं कराई जाती हैं। घर लौटने पर वह

फूट-फूटकर रोने लगी और उसने अपनी माँ को इस घटना के बारे में बताया। वह घबराई हुई है, और कहती है कि वह फिर कभी संडे स्कूल नहीं जाना चाहती।

Suggested Questions for Reflection and Discussion on the case of Nancy

1. Should Nancy's mother approach you as a social worker working in the local NGO that deals with women's issues in the village, what would you do to support Nancy and her mother ?
2. What is 'flashing'? How would you explain this to Nancy and her mother?
3. Do you think this man should be arrested, or be approached and spoken to?
4. Can you raise awareness about what to do in such cases among students and in the community?
5. What steps can the community take to create safer public places? How could you facilitate this?

नैन्सी के प्रकरण पर सोच-विचार और चर्चा के लिए सुझाए गए सवाल:

1. यदि नैन्सी की माँ आपसे, जो गाँव में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाले स्थानीय एन.जी.ओ. में कार्यरत एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, संपर्क करती हैं, तो आप नैन्सी और उसकी माँ का सहयोग करने के लिए क्या करेंगे?
2. 'फ्लैशिंग' क्या होता है? आप नैन्सी और उसकी माँ को इसके बारे में कैसे समझाएँगे?
3. क्या आपको लगता है कि इस आदमी को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए, या उससे जाकर बात की जानी चाहिए?
4. ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए, इस बारे में छात्रों और समुदाय के बीच क्या आप जागरूकता बढ़ा सकते हैं?
5. सार्वजनिक स्थानों को और सुरक्षित बनाने के लिए समुदाय कौन-कौन से कदम उठा सकता है? आप इसमें कैसे सहयोग देंगे?

Annexure 16: Additional Core Messages on case of Nancy

1. **Exhibitionism is a crime under the POCSO Act, 2012**, and since Nancy is a child, this needs to be reported to the police. However, Nancy and her mother need to be first provided the psycho- social support they may need to recover from the trauma of this event, and so the reporting need not be undertaken immediately. Reporting is a process that needs to be undertaken preferably with the active involvement and consent of the family, as this would also result in a greater chance of gaining a conviction in court.
2. However, given the reality that children are often not believed, and there is no physical evidence related to this crime, the mother may need to be supported in bringing up this matter to trusted village elders, who may then become more vigilant about Avery's behaviour, by perhaps initiating a neighbourhood watch, and nabbing him red-handed. Elders in the village who are sensitive and have appropriate understanding of sexuality, could be approached and requested to initiate a conversation with Avery about his behaviour, how he can manage his sexual needs and desires while being respectful of others, and how he could acknowledge and repair the harm done to Nancy..

परिशिष्ट **16:** नैन्सी के प्रकरण से जुड़े अतिरिक्त मुख्य संदेश

1. जननांगों का प्रदर्शन (एक्सहिबिशनिसम) पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत एक अपराध है। चूंकि नैन्सी एक बच्ची है, इसलिए इस घटना की रिपोर्ट पुलिस को देना अनिवार्य है। लेकिन, नैन्सी और उसकी माँ को पहले इस घटना से उबरने के लिए मनोसामाजिक समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए, और इसलिए रिपोर्ट तुरंत करने की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्टिंग जैसी प्रक्रिया को परिवार की सक्रिय भागीदारी और सहमति के साथ करना बेहतर होता है, क्योंकि इससे अदालत में दोष सिद्ध होने की संभावना बढ़ जाती है।
2. हालांकि, इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों की बातों पर अक्सर विश्वास नहीं किया जाता और ऐसे अपराध में भौतिक सबूत नहीं होते, माँ को यह सुझाव दिया जा सकता है कि वे इस मुद्दे को गाँव के भरोसेमंद बुज़ुर्गों के सामने उठाएँ, जो फिर एवरी के व्यवहार पर अधिक सतर्कता बरत सकते हैं। वे मोहल्ले में निगरानी शुरू करके उसे रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। गाँव के वे बुज़ुर्ग जो संवेदनशील हैं और यौनिकता की उचित समझ रखते हैं, उनसे यह अनुरोध किया जा सकता है कि वे एवरी से उसके व्यवहार के बारे में बात करें और उसे यह समझाएँ कि वह अपनी यौन इच्छाओं और ज़रूरतों को दूसरों का सम्मान करते हुए कैसे नियंत्रित कर सकता है, और वह नैन्सी को हुई हानि को कैसे स्वीकार कर उसकी भरपाई कर सकता है।

Suggested Activities

Activity 1:

Research and discuss some community initiatives undertaken in different parts of the country/ world to promote awareness about child sexual abuse, and how to help build safer communities for children.

गतिविधि

गतिविधि **1:**
देश/दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बाल लैंगिक शोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने, और बच्चों के लिए सुरक्षित समुदाय बनाने के लिए शुरू किए गए कुछ सामुदायिक पहलों पर शोध और चर्चा करें।

Chapter 17: Restorative Practices

अध्याय 17: पुनर्स्थापनात्मक प्रक्रियाएं

The philosophy and principles of Restorative Practices resonates very closely with that of professional social work. In particular, Restorative Circles provide an opportunity for social workers to co-create safe spaces and co-equalize power with others so as to enable authentic conversations drawn from one's own life experience and wisdom, engaging with the professional use of self and applying all the social work principles, especially the purposeful expression of feelings and non-judgemental attitude.

Rather than Case scenarios, here are a few samples of a Restorative Circles that you may consider facilitating, either among yourselves as Faculty of Social Work, or with the students in the classroom, who may also facilitate Circles on their own, with a little guidance. You may consider customizing Circles bearing in mind the need for sensitivity to age and culture, and following up the Circle process by having a discussion on how the values and principles in Restorative Practice are similar to those of professional social work, taking into account the specific conversations/processes emerging in the Circles or in other case scenarios. Aside from the content in the Book on Demystifying Sexuality, for more information about Restorative Circles please see the following additional resource - Life Skills through Restorative Circles in a school setting - http://enfoldindia.org/wp-content/uploads/2020/11/Life-Skills-Through-Restorative-Circles.pdf

पुनर्स्थापनात्मक प्रक्रियाऐं (रेस्टोरेटिव प्रक्टिसेस) और व्यावसायिक सामाजिक कार्य के दर्शन और सिद्धांत एक दूसरे के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। विशेष रूप से, पुनर्स्थापनात्मक वृत्त (रेस्टोरेटिव सर्किल) सामाजिक कार्यकर्ताओं को यह अवसर प्रदान करते हैं कि वे दूसरों के साथ मिलकर सुरक्षित स्थान तैयार करें और सबको शक्ति के समान स्तर पर लाएं, जिससे कि वास्तविक अनुभवों और जीवन की समझ पर आधारित खुले और सच्चे संवाद हो सकें। इस प्रक्रिया में सामाजिक कार्य के सिद्धांतों, खासकर कि भावनाओं की उद्देश्यपूर्ण अभिव्यक्ति, और गैर-आलोचनात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है।

प्रकरण के बजाये यहाँ कुछ पुनर्स्थापनात्मक वृत्त के उदाहरण दिए गए हैं, जिन्हें आप सामाजिक कार्य संकाय के बीच या कक्षा में छात्रों के बीच इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी से मार्गदर्शन के साथ, छात्र भी अपने स्तर पर वृत्त चला सकते हैं। आयु और संस्कृति के अनुसार संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आप इसमें बदलाव ला सकते हैं। वृत्त के बाद, उन विशिष्ट चर्चाओं या प्रक्रियाओं का संदर्भ देते हुए जो वृत्त या अन्य प्रकरण में सामने आती हैं, इस पर चर्चा की जा सकती है कि पुनर्स्थापनात्मक प्रथाओं के मूल्य और सिद्धांत सामाजिक कार्य के मूल्यों और सिद्धांतों से किस प्रकार मेल खाते हैं। "डीमिस्टिफ़ाइंग सेक्शुअलिटी" पुस्तक के अलावा, पुनर्स्थापनात्मक वृत्त के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस अतिरिक्त संसाधन को भी देख सकते हैं: लाइफ़ स्किल्स थ्रू रेस्टोरेटिव सर्कल्स इन ए स्कूल सैटिंग - http://enfoldindia.org/wp-content/uploads/2020/11/Life-Skills-Through-Restorative-Circles.pdf

Sample Restorative Circle 1: Body Image and Reproductive Health

पुनर्स्थापनात्मक वृत्त नमूना 1: शारीरिक छवि और प्रजनन स्वास्थ्य
(Level 1) for girls aged 15 - 18 years of age)
Life skill: Self Esteem
(स्तर 1) 15 - 18 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए)
जीवन कौशल: आत्म-सम्मान

Purpose: Growing up, Body Image, Respect for Body and introduction to Reproductive System
उद्देश्य: बड़े होना, शारीरिक छवि, शरीर का सम्मान, और प्रजनन प्रणाली का परिचय

Centre: Create a simple centre, placing elements from nature, and Talking Pieces that have some symbolic or personal value to one or all of the participants.
Opening: Facilitate a mindfulness moment of approximately two minutes, while playing some meditative, culturally appropriate, secular music.
केंद्र: एक साधारण केंद्र बनाएं, जिसमें प्रकृति के तत्वों को रखा जाए, और ऐसे टॉकिंग पीसेस को जो प्रतिभागियों में से किसी एक या सभी के लिए कुछ प्रतीकात्मक या व्यक्तिगत मूल्य रखते हों।
प्रारंभ: ध्यानमग्न, सांस्कृतिक रूप से उचित, धर्मनिरपेक्ष संगीत चलाते हुए, लगभग दो मिनट के लिए शांत सजगता (माइंडफ़ुलनेस) के पलों को संचालित करें।

Check-in: How are you feeling today?
चैक-इन: आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं?

Guidelines: Read out the Guidelines (Speak from the Heart, Listen from the Heart, Without feeling rushed - say just enough, and No need to rehearse - trust you will know what to say). Encourage participants to adhere to them.
दिशानिर्देश: दिशानिर्देश को पढ़ें (दिल से बोलें, दिल से सुनें, जल्दबाज़ी महसूस करें बिना - बस जितना काफ़ी हो कहें, और अभ्यास करने की कोई ज़रूरत नहीं - यह भरोसा रखें कि आपको पता होगा कि क्या कहना है)। प्रतिभागियों को इनका पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें।

Values: Explain the purpose of values in a Restorative Circle, explaining how they serve as a foundation for creating a safe respectful space that enables authentic deeper conversations. Facilitate a process of participants identifying values by asking them "What do you need to be practiced in this Circle, that would enable you to feel safe to share authentically from the heart." Pass the Talking Piece around and provide every participant an opportunity to share a value. Now facilitate a process of gaining consensus on the values, writing each one down on an A4 size paper/ paper plate so that it is visible to every participant, and place them around the Centre. In subsequent Circles with the same participants, ask participants if they would like to add any new values. If there are any new values that are offered, follow the process of gaining understanding, consensus, and commitment. Then write it on a similar paper/paper plate and place it around the Centre.

In today's session we might come across words such as body, growing up, gender, Sex, menstruation, periods, reproductive functions, reproductive system and reproductive organs and a few more that seems like a taboo and not allowed to use in our normal day to conversations. We

wish to take you through a safe, scientific, respectful way (respect for our bodies as well as others) to know about our bodies. We have many organs in our body and each organ plays a very important role and has a function to perform in the body. For example, from the time we start eating the digestion starts from the mouth, then to the stomach, to the large and small intestine and then finally wastage in the body is thrown out in the form of stools. We can't think of not having a digestive system, similarly nervous system, circulatory system, etc.

मूल्य :
पुनर्स्थापनात्मक वृत्त में मूल्यों के उद्देश्य को समझाएं, कैसे वे एक ऐसी सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाने की नींव रखते हैं, जहाँ सच्चे और गहरे संवाद हो सकें। मूल्यों की पहचान करने की प्रतिक्रिया को शुरू करने के लिए प्रतिभागियों से पूछें, "आपके लिए अपने दिल से और सच्ची बात कहने में सुरक्षित महसूस करने के लिए इस वृत्त में किन मूल्यों का पालन होना ज़रूरी है?" इसके बाद, टॉकिंग पीस को आगे देते हुए हर प्रतिभागी को एक मूल्य कहने का अवसर दें। इसके बाद, सबके द्वारा कहे गए मूल्यों पर आम सहमति बनाने की प्रक्रिया का संचालन करें, हर मूल्य को ए4 कागज़/कागज़ की प्लेट पर लिखें ताकि वह हर किसी को दिखाई दे सके, और इन्हें केंद्र के चारों ओर रखें। इन्हीं प्रतिभागियों के साथ हुए अगले वृत्त में उनसे पूछें कि क्या कोई प्रतिभागी कोई नया मूल्य जोड़ना चाहता है। अगर कोई नया मूल्य सामने आता है, तो उस पर समझ बनाने, सहमति पाने, और उसके प्रति प्रतिबद्धता लाने की प्रक्रिया का पालन करें। फ़िर उसे वैसे ही कागज़/कागज़ की प्लेट पर लिखकर केंद्र के पास रखें।

आज के सत्र में कुछ ऐसे शब्दों का ज़िक्र हो सकता है: शरीर, बड़े होना, जेंडर, सेक्स, मासिक धर्म, प्रजनन क्रियाएँ, प्रजनन प्रणालियाँ, प्रजनन अंग, और कुछ ऐसे शब्द जिन्हें आम बातचीत में बोलना निषेध लग सकता है। हम आपको अपने शरीर के बारे में एक सुरक्षित, वैज्ञानिक, और सम्मानजनक (अपने और दूसरों के शरीर के प्रति सम्मान) तरीके से जानकारी देना चाहते हैं। हमारे शरीर में कई अंग होते हैं और हर अंग की अपनी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका और कार्य होता है। उदाहरण के लिए, जैसे ही हम खाना खाते हैं, पाचन क्रिया शुरू हो जाती है — मुँह से शुरू होकर पेट, फिर बड़ी और छोटी आँतों से होते हुए, शरीर से अपशिष्ट मल के रूप में बाहर निकलता है। हम पाचन प्रणाली के न होने की कल्पना भी नहीं कर सकते, वैसे ही तंत्रिका प्रणाली, परिसंचरण प्रणाली, आदि के न होने की भी।

Round 1: How comfortable are you on a scale of 1 to 10 (1 being not comfortable at all, 10 being very comfortable) about learning about Reproductive Systems sitting together here today?
Round 2: What are the changes that you are experiencing growing up?
Round 3: How do you feel about your body? Are there parts of your body you strongly like/dislike?
Round 4: What are the comments or messages you may have received about your body from people around you?

राउंड **1:** आज यहाँ एक साथ बैठकर प्रजनन प्रणालियों के बारे में सीखने को लेकर आप कितना सहज महसूस कर रहे हैं, 1 से 10 के पैमाने पर बताएं (1 का मतलब बिल्कुल भी सहज नहीं, 10 का मतलब पूरी तरह से सहज)

राउंड **2:** बड़े होते हुए आप कौन-कौन से बदलाव अनुभव कर रहे हैं?

राउंड **3:** आप अपने शरीर के बारे में क्या महसूस करते हैं? क्या आपके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसे आप बहुत पसंद या बिल्कुल भी पसंद नहीं करते?

राउंड **4:** आपके शरीर को लेकर आपको आपके आसपास के लोगों से क्या टिप्पणियाँ या संदेश मिले हैं?

Content for Popcorn input session by Facilitator

You may have studied in 9th or 10th grade science about Reproduction of organisms from amoeba to human reproduction. Here is a definition of Human Reproductive System from Wikipedia

“A reproductive system is the part of an organism that makes them able to sexually reproduce. Humans and other animals use their reproductive systems to have sexual intercourse as well as reproduce.”

Let's also understand what is human sexuality, and how people experience and express themselves as sexual beings.

That is, how they experience and express their sexual desires, sexual orientation and gender identity personally, socially, culturally and in intimate relationships.

[According to WHO], "Sex" refers to the biological and physiological characteristics that define men and women. "Gender" refers to the socially constructed roles, behaviours, activities, and attributes that a given society considers appropriate for men and women. To put it another way: "Male" and "female" are sex categories, while "masculine" and "feminine", are gender categories. Gender Identity is an inner sense of being of a particular gender or agender. It is one’s self-identification as male or female or any other. Although the dominant approach in psychology for many years has been to regard gender identity as residing in individuals, the important influence of societal structures, cultural expectations, and personal interactions in its development is now recognized as well. Significant evidence now exists to support the conceptualization of gender identity as influenced by both environmental and biological factors. (American Psychological Association. (2015).

फ़ैसिलिटेटर (प्रशिक्षक) द्वारा पॉपकॉर्न इनपुट सत्र के लिए विषयवस्तु

आपने 9वीं या 10वीं कक्षा की विज्ञान की किताबों में जीवों के प्रजनन के बारे में अमीबा से लेकर मानव प्रजनन तक पढ़ा होगा। यहाँ विकिपीडिया से मानव प्रजनन प्रणाली की एक परिभाषा दी गई है:

“एक प्रजनन प्रणाली किसी जीव का वह भाग है जो उन्हें यौन रूप से प्रजनन करने में सक्षम बनाता है। मनुष्य और अन्य जानवर अपने प्रजनन प्रणाली का उपयोग यौन संबंध बनाने और प्रजनन करने के लिए करते हैं।”

आइए यह भी समझें कि मानव यौनिकता क्या होती है, और लोग अपने यौन अस्तित्व को कैसे अनुभव करते हैं और व्यक्त करते हैं।

अर्थात्, वे अपनी यौन इच्छाओं, यौन अभिविन्यास और जेंडर पहचान को व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक और अंतरंग संबंधों में कैसे अनुभव और व्यक्त करते हैं।

[विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू.एच.ओ.) के अनुसार], "लिंग" उन जैविक और शरीर-संबंधी विशेषताओं को संदर्भित करता है जो पुरुषों और स्त्रियों को परिभाषित करती हैं। "जेंडर" उन सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों और गुणों को संदर्भित करता है जिन्हें कोई समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानता है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो "पुरुष" और "स्त्री" लिंग की श्रेणियाँ हैं, जबकि "मरदाना" और "ज़नाना" जेंडर की श्रेणियाँ हैं।

जेंडर पहचान एक विशेष जेंडर या अजेंडर होने की आंतरिक अनुभूति है। यह खुद की आदमी, औरत, या किसी अन्य जेंडर के रूप में आत्म-पहचान करना है। हालाँकि कई वर्षों तक मनोविज्ञान में प्रमुख दृष्टिकोण यह रहा है कि जेंडर पहचान व्यक्तियों में ही निवास करती है, अब इसके विकास में समाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक अपेक्षाओं, और व्यक्तिगत अनुभवों के महत्त्वपूर्ण प्रभाव को भी स्वीकारा जाने लगा है। जेंडर पहचान पर्यावरणीय और जैविक दोनों कारकों से प्रभावित होती है, इस के अब पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं। (अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, 2015)

Apart from 'girl' and 'boy', is there any other gender? While responding to this question you need to convey that there is a wider and more flexible range of gender expressions, with a range of interests and behaviors. Gender is not a binary, but a continuum; and that many children and adults express their gender in multiple ways. We express our gender through our clothes, hairstyle, mannerisms, speech patterns, body language, social interactions, or choice of activities.
Sexuality is diverse. Gender identity and sexual orientation (a person towards whom one feels sexually attracted) is largely inborn (due to genetic and epigenetic factors).
Transgender: At times, gender identity does not match the anatomical sex of the person. Gender of such people is referred to as transgender.
Every person is equally human. LGBTQIA+ and Queer {Lesbian (female with same sex attraction), Gay (male with same sex attraction), Bisexual (sexual attraction not exclusively to people of one particular gender), Transgender, Queer (an umbrella term for sexual and gender minorities), Intersex (people are born with physical or biological sex characteristics that do not fit the typical definitions for male or female bodies) Asexual (sexual attraction is not experienced)} community members are as intelligent as any other person. We need to look beyond the body at the personhood, the humanity of each individual. We can respect people for their intelligences, qualities, skills and behavior, and not for the way their bodies are made.
Developing human traits - qualities have no gender : All humans are born with all human traits, whether labelled masculine or feminine. Like muscles and bones and heart and liver - all of us have them, though the size and amount differs among the sexes and within the members of each sex. Similarly, all of us have all human qualities and intelligences - nurturing, cooperation, empathy, competitiveness, aggression etc. To categorize these traits as masculine or feminine is discriminatory and restrictive. It prevents people - adults or children, from exploring and developing their complete humanity.
Gendering our society was a big mistake! Each person needs to be encouraged to develop all their traits. No trait is better, superior or more desirable than the other. We need all the traits for us and the society to survive and prosper.

'लड़की' और 'लड़का' के अलावा क्या कोई अन्य जेंडर है? इस सवाल का जवाब देते समय आपको यह बताने की ज़रूरत है कि जेंडर की अभिव्यक्तियों का एक व्यापक और अधिक लचीला स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें कई प्रकार की रुचियाँ और व्यवहार शामिल हैं। जेंडर द्विआधारी (बाइनरी) नहीं है बल्कि एक सातत्य (कन्टीन्युअम) है; और कई बच्चे और वयस्क अपने जेंडर को विभिन्न तरीकों से व्यक्त करते हैं। हम अपने जेंडर को अपने कपड़ों, हेयरस्टाइल, चाल-ढाल, बोलने के तरीकों, शारीरिक भाषा, सामाजिक व्यवहार, गतिविधियों की पसंद, इत्यादि के माध्यम से व्यक्त करते हैं।

यौनिकता विविध है।
जेंडर पहचान और यौन अभिविन्यास (वह व्यक्ति जिसकी ओर कोई यौन रूप से आकर्षित महसूस करता है)

मुख्यतः जन्मजात होते हैं (आनुवंशिक और एपिजेनेटिक कारकों के कारण)।
ट्रांसजेंडर: कभी-कभी, किसी व्यक्ति की जेंडर पहचान उसके शारीरिक लिंग से मेल नहीं खाती। ऐसे लोगों के जेंडर को ट्रांसजेंडर कहा जाता है।

हर व्यक्ति समान रूप से मानव है। एल.जी.बी.टी.क्यू.आई.ऐ+ (LGBTQIA+) और क़्वीयर {लेस्बियन (स्त्रियों की ओर यौन आकर्षण रखने वाली स्त्री), गे (पुरुष की ओर यौन आकर्षण रखने वाला पुरुष), उभयलिंगी/बाइसेक्शुअल (ऐसा व्यक्ति जिसे किसी एक विशिष्ट जेंडर की ओर यौन आकर्षण नहीं होता है), ट्रांसजेंडर, क़्वीयर (जेंडर और लिंग अल्पसंख्यकों के लिए एक व्यापक शब्द), अंतर्लिंगी/इंटरसेक्स (वे लोग जो ऐसी शारीरिक या जैविक लैंगिक विशेषताओं के साथ पैदा हुए हैं जो पारंपरिक रूप से पुरुष या स्त्री की परिभाषाओं में नहीं आती), अलैंगिक/एसेक्शुअल (ऐसे व्यक्ति जो यौन आकर्षण का अनुभव नहीं करते)} समुदाय के सदस्य उतने ही बुद्धिमान होते हैं जितना कोई और व्यक्ति। हमें शरीर से परे, प्रत्येक व्यक्ति की मानवता को देखना चाहिए। हम लोगों का सम्मान उनकी बुद्धिमत्ता, गुणों, कौशल और व्यवहार के लिए कर सकते हैं, ना कि उनके शरीर की बनावट के लिए।

मानव गुणों का कोई जेंडर नहीं होता: सभी मनुष्य जन्म से ही सभी मानवीय गुणों के साथ पैदा होते हैं, चाहे उन्हें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कहा गया हो। जैसे कि मांसपेशियाँ, हड्डियाँ, दिल और जिगर — ये सभी के पास होते हैं, भले ही अलग-अलग लिंगों में और उसी लिंग के विभिन्न सदस्यों में, इनके आकार और मात्रा अलग-अलग हो। उसी प्रकार, सभी के पास सारे मानवीय गुण और बुद्धिमत्ताएँ होती हैं — जैसे कि देखभाल करना, सहयोग, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा, आक्रामकता आदि। इन गुणों को स्त्री या पुरुष में विभाजित करना भेदभावपूर्ण और सीमित करने वाला होता है। यह बच्चों और बड़ों, सभी लोगों को, उनके सम्पूर्ण मानवीयता को तलाशने और विकसित करने से रोकता है।

हमारे समाज को लिंग के आधार पर बांटना एक बड़ी गलती थी! हर व्यक्ति को अपने सभी गुणों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कोई भी गुण दूसरे से बेहतर, श्रेष्ठ या ज़्यादा आकर्षक नहीं है। हमारे और समाज के अस्तित्व और समृद्धि के लिए हमें सभी गुणों की ज़रूरत है।

Check-out: How are you feeling after the session and what did you learn from today's session?

Closing: Stretching exercises, standing and sitting ones.
Alternatively, consider showing one of the videos that have been suggested in the Power Point Presentation on Diversity.

चैक-आउट**:** आज के सत्र के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने आज के सत्र से क्या सीखा?

समापन **:** खड़े होकर और बैठकर किये जाने वाले स्ट्रेचिंग व्यायाम (एक्सेर्साइज़)

या फिर, डाइवर्सिटी पर पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सुझाए गए किसी एक वीडियो को दिखाऐं।

Sample Restorative Circle 2: Gender

Theme: Gender - To explore what according to people around us tells us about being a Male or a Female and the pressure of those societal messages on one's own sense of self.

पुनर्स्थापनात्मक वृत्त नमूना 2: जेंडर

विषयवस्तु: जेंडर - यह पता लगाना कि हमारे आस-पास के लोगों के अनुसार पुरुष या महिला होने का क्या अर्थ है, और इन सामाजिक संदेशों का हमारे आत्मबोध पर क्या दबाव पड़ता है।

Life Skills: Interpersonal and Intrapersonal Relationships, Decision Making - Gender Roles

जीवन कौशल: पारस्परिक और अंतरवैयक्तिक संबंध, निर्णय लेना - जेंडर भूमिकाएँ

Preparation: Print out the table below, and cut it into strips and place the half-sentences in Column A in a box named A, and the half-sentences in Column B, in another box named B.

तैयारी: नीचे दिए गए तालिका को प्रिंट करें, और इसे स्ट्रिप्स में काटें। कॉलम A की अधूरी पंक्तियों को बॉक्स 'A' में और कॉलम B की अधूरी पंक्तियों को बॉक्स 'B' में रखें।

Opening : mindfulness moment instrumental music

Mindfulness music on share screen: https://www.youtube.com/watch?v=WUXEeAXywCY

प्रारंभ: शांत सजगता के पल (माइंडफ़ुलनेस मोमेंट) - वाद्य संगीत
शेयर स्क्रीन पर शांत सजगता (माइंडफ़ुलनेस) संगीत:
https://www.youtube.com/watch?v=WUXEeAXywCY

Check-in: How are you feeling today?

[Facilitators must keenly observe the feelings here, if there is somebody that is not feeling ok, at the end of this round ask another question].

चैक-इन: आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
[फेसिलिटेटर को यहाँ प्रतिभागियों की भावनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि कोई अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, तो इस राउंड के अंत में एक और सवाल पूछें।]

Talking Piece: Ask a child to share a Talking Piece and tell a story about it.

टॉकिंग पीस: किसी बच्चे से उसके टॉकिंग पीस से जुड़ी कहानी बताने को कहें।

Guidelines and Values: Share the Guidelines. Facilitate a process by which children share the values they need the participants to respect, in order to enable them to share freely. Write these

down and place them in the center. Request the children to show a visible sign that they will respect all the values. Instructions: Divide children into two groups - ‘A’ and ‘B’. They are now asked to try and match the half-sentences in order to make complete sense. Each group could be invited to do a small fun body movement to say they are ready with one complete sentence.

दिशानिर्देश और मूल्य: दिशानिर्देश बताएं। एक ऐसी प्रक्रिया को संचालित करें जिसमें बच्चे उन मूल्यों के बारे में बताएं जिनका प्रतिभागियों द्वारा पालन उनके स्वतंत्र रूप से अपनी बात कह सकने के लिए ज़रूरी है। इन मूल्यों को लिखकर केंद्र के बीच में रखें। बच्चों से अनुरोध करें कि वे इन सभी मूल्यों का सम्मान करेंगे, इसका कोई संकेत दें - जैसे कि हाथ उठाएं ।

निर्देश: बच्चों को दो समूहों ‘अ’ और ‘बी’ में बाँटें। अब उनसे कहें कि वे अधूरी पंक्तियों को मिलाकर एक पूरा अर्थपूर्ण वाक्य बनाने की कोशिश करें। प्रत्येक समूह को आमंत्रित किया जा सकता है एक छोटा सा मज़ेदार बॉडी मूवमेंट करके यह बताने के लिए कि वे एक पूरा वाक्य तैयार कर चुके हैं।

First half of sentence (for Group A) वाक्य का पहला हिस्सा *(समूह ‘अ’ के लिए)*	*Second half of sentence (for Group B)* वाक्य का पहला हिस्सा *(समूह ‘बी’ के लिए)*
Men can take care of children पुरुष बच्चों की देखभाल	as well as women महिलाओं की तरह ही कर सकते हैं
Technical skills can place men and तकनीकी कौशल पुरुषों और	women on an equal level महिलाओं को समान स्तर पर ला सकते हैं।
Women can work महिलाएं पुरुषों के जितनी	as hard as men कड़ी मेहनत कर सकती हैं।

It is believed that if we educate a girl ऐसा माना जाता है कि यदि हम एक लड़की को शिक्षित करते हैं	we educate a nation तो हम एक पूरे राष्ट्र को शिक्षित करते हैं।
Boys can play with dolls and लड़के गुड़ियों से खेल सकते हैं और	girls can play with cars लड़कियाँ गाड़ियों से खेल सकती हैं।
Pink and blue colour need not be गुलाबी और नीले रंगों को	associated with girls and boys लड़कियों और लड़कों से जोड़न ज़रूरी नहीं है।
Boys and men should share domestic work लड़कों और पुरुषों को घर के कामों को	with girls and women लड़कियों और महिलाओं के साथ बाँटना चाहिए।
Both man and woman should पुरुष और महिला, दोनों को समान काम के लिए	get equal pay for equal work समान वेतन मिलना चाहिए
A girl child एक लड़की	is not a burden बोझ नहीं होती है
Don’t neglect me क्योंकि मैं एक लड़की हूँ इसलिए	because I am a girl मुझे नज़रअंदाज़ मत करो
“Boys should not “लड़कों को नहीं	cry” is an accepted norm रोना चाहिए” एक स्वीकृत मानक है

It is believed that boys have to go out for work यह माना जाता है कि लड़कों को काम के लिए बाहर जाना होता है	while the girls can take care of the home और लड़कियों को घर की देखभाल करनी होती है
Homosexuality is often considered to be an समलैंगिकता को अक्सर	unspoken subject एक छुपा हुआ विषय माना जाता है
Division of labour on the basis of जेंडर के आधार पर श्रम के	gender needs to be changed विभाजन को बदलने की आवश्यकता है।
Gender bias can lead to जेंडर पूर्वाग्रह महिलाओं के खिलाफ़	violence against women हिंसा का कारण बन सकता है।

Source: Gender Sensitivity: A Training Manual for Sensitizing Education Manager, Curriculum and Material Developers and Media Professional to Gender Concerns. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001376/137604eo.pdf

स्रोत: जेंडर सेंसिटिविटी: ए ट्रेनिंग मैन्युअल फ़ॉर सेंसिटाईज़िंग एजुकेशन मैनेजर, करिकुलम एंड मैटेरियल डेवेलपर्स एंड मीडिया प्रोफ़ेशनल टू जेंडर कंसर्नस http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001376/137604eo.pdf

Round 1: Share one story from your life, when you felt compelled to do something only because of your gender? How did that make you feel?
Round 2: Share a story about something you can do, but society doesn't approve of, because of your gender? How does that make you feel?

राउंड 1: अपने जीवन की कोई एक ऐसी कहानी बताएं, जब आपने केवल अपने जेंडर के कारण कुछ करने के लिए मजबूर महसूस किया। तब आपको कैसा महसूस हुआ?

राउंड 2: कोई एक ऐसी कहानी बताएं, जिसमें आप कुछ ऐसा करते हैं, जिसे समाज आपके जेंडर की वजह से स्वीकार नहीं करता। तब आपको कैसा महसूस हुआ?

Popcorn Round: Reflective questions, children can share or just reflect

1. Are these messages that society, media, people around give are true?
2. Other than male, and female are there any other genders?

पॉपकॉर्न राउंड: चिंतनात्मक सवाल – बच्चे इस बारे में बता सकते हैं या केवल सोचे सकते हैं:

1. क्या ये संदेश, जो समाज, मीडिया और हमारे आसपास के लोग हमें देते हैं, सच हैं?

2. पुरुष और स्त्री के अलावा क्या कोई और जेंडर होते हैं?

Check-Out:

1. Share in one word how you are feeling right now, and
2. What do you wish to take away from today's Circle?

[The Facilitator should open the white board/word/ppt and share and make a list of sharing by the group as co-created core messages.]

चैक-आउट:

1. एक शब्द में बताएं कि आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं, और

2. आज के इस सर्कल से आप कौन सी-सीख या अनुभव साथ लेकर जाना चाहते हैं?

[फ़ैसिलिटेटर को व्हाइटबोर्ड/वर्ड/पीपीटी खोलकर समूह के साथ शेयर कर, उनके द्वारा कही गई बातों को मुख्य संदेश के रूप में सूचीबद्ध करना चाहिए।]

Closing: Show these two videos
-https://www.youtube.com/watch?v=4Ct2bCfPpD8&feature=emb_logo - 2.43 seconds
https://www.youtube.com/watch?v=QCR24jyhfZk&feature=youtu.be - Gillette advertisement Video on female barbers (Hindi) 2.23 minutes

समापन:

नीचे दिए गए दो वीडियो दिखाएं –

https://www.youtube.com/watch?v=4Ct2bCfPpD8&feature=emb_logo – 2.43 मिनट
https://www.youtube.com/watch?v=QCR24jyhfZk&feature=youtu.be – जिलेट का महिला नाई पर विज्ञापन (हिंदी) – 2.23 मिनट

Back cover blurb:

This Demystifying Sexuality Handbook is an accompanying document to the Demystifying Sexuality Reference Book. It has been developed by Enfold Proactive Health Trust for teachers and students of graduate, post graduate and special education courses, with the objective of reflecting on the real-life manifestations and applications of the concepts and ideas discussed in the Demystifying Sexuality program.

The handbook is a compilation of scenarios that aid the understanding of these concepts through Case Studies, discussions, role plays or reflection.

The handbook may be used as a guide by any teacher or facilitator trained in conducting the Demystifying Sexuality program, who may choose to use it as is, use parts of it or modify it to the specific needs of their learners. Students and practitioners may also use it to reflect on how they are applying these concepts in their interactions with people while in training, or in their professional capacity.

पिछे के कवर का विवरण:

यह 'डीमिस्टिफ़ायिंग सेक्शुअलिटी हैंडबुक'—'डीमिस्टिफ़ायिंग सेक्शुअलिटी रेफ़रेन्स बुक' के साथ उपयोग किया जाने वाला एक सहायक दस्तावेज़ है। इसे एनफ़ोल्ड प्रोऐक्टिव ट्रस्ट द्वारा स्नातक, परास्नातक, और विशेष शिक्षा पाठ्यक्रमों के शिक्षकों और छात्रों के लिए विकसित किया गया है, ताकि 'डीमिस्टिफ़ायिंग सेक्शुअलिटी' कार्यक्रम में चर्चित अवधारणाओं और विचारों के वास्तविक जीवन में अभिव्यक्ति और उपयोग पर चिंतन किया जा सके।

यह हैंडबुक ऐसे परिदृश्यों का संकलन है जो इन अवधारणाओं को प्रकरण, चर्चा, रोल प्ले या चिंतन के माध्यम से समझने में मदद करते हैं।

इस हैंडबुक का एक मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग कोई भी शिक्षक या फ़ैसिलिटेटर, जिसे ‘डीमिस्टिफ़ायिंग सेक्शुअलिटी' कार्यक्रम को संचालित करने में प्रशिक्षण मिला हो, कर सकते हैं। वे इसे जैसा है वैसे इस्तेमाल कर सकते है, सिर्फ़ कुछ हिस्सों का उपयोग कर सकते हैं, या अपने शिक्षार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार इसमें संशोधन कर इसका उपयोग कर सकते हैं। छात्र और पेशेवर भी इसका उपयोग इस बात पर चिंतन करने के लिए कर सकते हैं कि वे प्रशिक्षण के दौरान या अपने व्यावसायिक जीवन में इन अवधारणाओं को लोगों के साथ संवाद और व्यवहार में कैसे लागू कर रहे हैं।